

अनुबंध 1.1
(पैराग्राफ 1.3.7 के संदर्भ में)

योजना व्यय के घटकों का अनुदान-वार विश्लेषण*

	अनुदान			33	53	54	55	अन्य	कुल योग
	सहायता अनुदान सामान्य	पूंजीगत सम्पत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान	सहायता अनुदान - वेतन	आर्थिक सहायता	मुख्य कार्य	निवेश	ऋण एवं अग्रिम		
001 कृषि एवं सहकारिता विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	15,749.22	40.65	9.84	0.00	15.37	0.00	25.00	1,890.64	17,730.72
कुल योजना व्यय का %	88.82%	0.23%	0.06%	0.00%	0.09%	0.00%	0.14%	10.66%	100.00%
002 कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	964.85	730.41	823.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	2,519.09
कुल योजना व्यय का %	38.30%	28.99%	32.68%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	100.00%
003 पशुपालन, दुग्ध उत्पादन एवं मत्स्य पालन विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	1,605.27	0.00	3.42	0.00	10.71	0.00	0.00	117.32	1,736.72
कुल योजना व्यय का %	92.43%	0.00%	0.20%	0.00%	0.62%	0.00%	0.00%	6.76%	100.00%
004 परमाणु ऊर्जा विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	126.76	611.43	0.00	0.00	728.34	0.00	0.00	1,073.22	2,539.75
कुल योजना व्यय का %	4.99%	24.07%	0.00%	0.00%	28.68%	0.00%	0.00%	42.26%	100.00%
005 नाभिकीय शक्ति योजना									
व्यय (₹ करोड़ में)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	174.67	0.00	396.88	571.88
कुल योजना व्यय का %	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.06%	30.54%	0.00%	69.40%	100.00%
006 रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	2.90	29.70	0.00	1,552.00	0.00	0.00	21.70	0.30	1,606.60
कुल योजना व्यय का %	0.18%	1.85%	0.00%	96.60%	0.00%	0.00%	1.35%	0.02%	100.00%
007 उर्वरक विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.47	9.40
कुल योजना व्यय का %	20.53%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	79.47%	100.00%
008 औषधीय विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	29.29	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.63	51.27
कुल योजना व्यय का %	57.14%	31.87%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	9.75%	1.23%	100.00%

	अनुदान			33	53	54	55	अन्य	कुल योग
	सहायता अनुदान सामान्य	पूंजीगत सम्पत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान	सहायता अनुदान - वेतन	आर्थिक सहायता	मुख्य कार्य	निवेश	ऋण एवं अग्रिम		
009 नागरिक उड्डयन विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	0.90	59.29	0.00	0.00	0.24	6,010.00	0.00	7.74	6,078.16
कुल योजना व्यय का %	0.01%	0.98%	0.00%	0.00%	0.00%	98.88%	0.00%	0.13%	100.00%
010 कोयला मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	0.00	0.00	0.00	159.01	0.00	0.00	0.00	231.75	390.76
कुल योजना व्यय का %	0.00%	0.00%	0.00%	40.69%	0.00%	0.00%	0.00%	59.31%	100.00%
011 वाणिज्य विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	441.19	42.09	0.00	473.80	725.09	100.00	0.00	15.66	1,797.83
कुल योजना व्यय का %	24.54%	2.34%	0.00%	26.35%	40.33%	5.56%	0.00%	0.87%	100.00%
012 औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	119.55	551.93	12.91	396.69	13.99	44.10	0.00	42.46	1,181.63
कुल योजना व्यय का %	10.12%	46.71%	1.09%	33.57%	1.18%	3.73%	0.00%	3.59%	100.00%
014 दूरसंचार विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	150.00	0.00	0.00	0.00	3.26	60.00	0.00	2,150.72	2,363.98
कुल योजना व्यय का %	6.35%	0.00%	0.00%	0.00%	0.14%	2.54%	0.00%	90.98%	100.00%
015 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	798.71	35.60	123.70	0.00	3.36	0.00	0.00	898.51	1,859.87
कुल योजना व्यय का %	42.94%	1.91%	6.65%	0.00%	0.18%	0.00%	0.00%	48.31%	100.00%
016 उपभोक्ता मामले विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	6.80	28.28	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	85.32	126.40
कुल योजना व्यय का %	5.38%	22.38%	0.00%	0.00%	4.75%	0.00%	0.00%	67.50%	100.00%
017 खाद्य एवं सार्वजनिक सवितरण विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	44.48	10.00	2.50	0.00	0.25	23.28	0.00	2.89	83.39
कुल योजना व्यय का %	53.34%	11.99%	3.00%	0.00%	0.29%	27.92%	0.00%	3.46%	100.00%
018 कार्पोरेट कार्य मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	8.00	0.00	0.00	0.00	16.43	0.00	0.00	0.00	24.43
कुल योजना व्यय का %	32.75%	0.00%	0.00%	0.00%	67.25%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

	अनुदान			33	53	54	55	अन्य	कुल योग
	सहायता अनुदान सामान्य	पूंजीगत सम्पत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान	सहायता अनुदान - वेतन	आर्थिक सहायता	मुख्य कार्य	निवेश	ऋण एवं अग्रिम		
019 संस्कृति मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	397.57	61.24	25.38	0.00	27.94	0.00	0.00	291.66	803.79
कुल योजना व्यय का %	49.46%	7.62%	3.16%	0.00%	3.48%	0.00%	0.00%	36.29%	100.00%
028 उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय विकास मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	122.64	1,358.25	0.00	0.00	142.23	21.53	60.00	13.62	1,718.25
कुल योजना व्यय का %	7.14%	79.05%	0.00%	0.00%	8.28%	1.25%	3.49%	0.79%	100.00%
029 भू-विज्ञान मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	602.48	0.00	14.12	0.00	47.67	0.00	0.00	146.72	811.00
कुल योजना व्यय का %	74.29%	0.00%	1.74%	0.00%	5.88%	0.00%	0.00%	18.09%	100.00%
030 पर्यावरण एवं वन मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	870.25	422.20	0.00	0.00	59.67	0.00	0.00	284.05	1,636.17
कुल योजना व्यय का %	53.19%	25.80%	0.00%	0.00%	3.65%	0.00%	0.00%	17.36%	100.00%
031 विदेश मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138.00	476.02	1,614.02
कुल योजना व्यय का %	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	70.51%	29.49%	100.00%
032 आर्थिक कार्य विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102.45	0.00	0.00	457.55	1,560.00
कुल योजना व्यय का %	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	70.67%	0.00%	0.00%	29.33%	100.00%
033 वित्त सेवाएं विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,652.00	0.00	0.00	14,652.00
कुल योजना व्यय का %	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
035 राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों को अंतरण									
व्यय (₹ करोड़ में)	43,001.16	29,250.56	0.00	0.00	0.00	0.00	10,652.70	0.00	82,904.42
कुल योजना व्यय का %	51.87%	35.28%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	12.85%	0.00%	100.00%
038 व्यय विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88
कुल योजना व्यय का %	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

	अनुदान			33	53	54	55	अन्य	कुल योग
	सहायता अनुदान सामान्य	पूंजीगत सम्पत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान	सहायता अनुदान - वेतन	आर्थिक सहायता	मुख्य कार्य	निवेश	ऋण एवं अग्रिम		
039 पेंशन									
व्यय (₹ करोड़ में)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल योजना व्यय का %									
045 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	601.79	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.09	655.87
कुल योजना व्यय का %	91.75%	6.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.00%	100.00%
046- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	16,776.82	1,130.87	535.11	0.00	1,055.94	150.00	0.00	1,259.26	20,908.02
कुल योजना व्यय का %	80.24%	5.41%	2.56%	0.00%	5.05%	0.72%	0.00%	6.02%	100.00%
047- आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	305.16	167.82	69.22	0.00	0.00	0.00	0.00	38.42	580.61
कुल योजना व्यय का %	52.56%	28.90%	11.92%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6.62%	100.00%
048- स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	275.14	90.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	460.31
कुल योजना व्यय का %	59.77%	19.55%	20.64%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.04%	100.00%
049- एड्स नियंत्रण विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	766.41	0.00	0.00	0.00	1.36	0.00	0.00	548.30	1,316.07
कुल योजना व्यय का %	58.23%	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	0.00%	0.00%	41.66%	100.00%
050- भारी उद्योग विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	0.00	341.94	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	2.09	404.03
कुल योजना व्यय का %	0.00%	84.63%	0.00%	0.00%	0.00%	14.85%	0.00%	0.52%	100.00%
051- सार्वजनिक उद्यम विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	6.17
कुल योजना व्यय का %	86.67%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	13.33%	100.00%
052- गृह मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	60.65	0.00	0.00	0.00	6.25	0.00	0.00	804.09	870.98
कुल योजना व्यय का %	6.96%	0.00%	0.00%	0.00%	0.72%	0.00%	0.00%	92.32%	100.00%

	अनुदान			33	53	54	55	अन्य	कुल योग
	सहायता अनुदान सामान्य	पूंजीगत सम्पत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान	सहायता अनुदान - वेतन	आर्थिक सहायता	मुख्य कार्य	निवेश	ऋण एवं अग्रिम		
054- पुलिस									
व्यय (₹ करोड़ में)	27.69	0.00	0.00	0.00	4,794.01	0.00	0.00	190.87	5,012.57
कुल योजना व्यय का %	0.55%	0.00%	0.00%	0.00%	95.64%	0.00%	0.00%	3.81%	100.00%
055- गृह मंत्रालय के अन्य व्यय									
व्यय (₹ करोड़ में)	42.17	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.37	148.54
कुल योजना व्यय का %	28.39%	52.51%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19.10%	100.00%
056- संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण									
व्यय (₹ करोड़ में)	1,336.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336.21
कुल योजना व्यय का %	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
057- आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	834.93	17.84	3.00	5.01	0.00	0.00	0.00	69.33	930.11
कुल योजना व्यय का %	89.77%	1.92%	0.32%	0.54%	0.00%	0.00%	0.00%	7.45%	100.00%
058- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	29,337.16	12,287.58	578.10	0.00	0.00	0.00	0.00	100.39	42,303.23
कुल योजना व्यय का %	69.35%	29.05%	1.37%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.24%	100.00%
059- उच्च शिक्षा विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	5,037.72	6,989.23	518.17	0.00	0.00	0.00	0.00	186.12	12,731.25
कुल योजना व्यय का %	39.57%	54.90%	4.07%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.46%	100.00%
060- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	90.00	7.10	0.00	0.00	23.35	0.00	333.50	158.14	612.09
कुल योजना व्यय का %	14.70%	1.16%	0.00%	0.00%	3.81%	0.00%	54.49%	25.84%	100.00%
061- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	530.77	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134.79	1,702.89
कुल योजना व्यय का %	31.17%	2.19%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	66.64%	100.00%
063- विधि एवं न्याय									
व्यय (₹ करोड़ में)	712.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.42	787.73
कुल योजना व्यय का %	90.43%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	9.57%	100.00%

	अनुदान			33	53	54	55	अन्य	कुल योग
	सहायता अनुदान सामान्य	पूंजीगत सम्पत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान	सहायता अनुदान - वेतन	आर्थिक सहायता	मुख्य कार्य	निवेश	ऋण एवं अग्रिम		
065- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	1,650.76	67.99	1.30	344.11	2.80	75.00	0.00	87.56	2,229.52
कुल योजना व्यय का %	74.04%	3.05%	0.06%	15.43%	0.13%	3.36%	0.00%	3.93%	100.00%
066- खनन मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.57	305.07
कुल योजना व्यय का %	4.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	95.90%	100.00%
067- अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	1,386.10	640.26	0.00	0.00	0.00	99.64	0.00	32.00	2,158.00
कुल योजना व्यय का %	64.23%	29.67%	0.00%	0.00%	0.00%	4.62%	0.00%	1.48%	100.00%
068- नवीन एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	733.97	0.00	1.00	385.81	5.00	76.00	0.00	28.79	1,230.57
कुल योजना व्यय का %	59.64%	0.00%	0.08%	31.35%	0.41%	6.18%	0.00%	2.34%	100.00%
070- पंचायती राज मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	378.57	3,523.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.19	3,936.73
कुल योजना व्यय का %	9.62%	89.52%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.87%	100.00%
072- कर्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	3.14	3.00	0.00	0.00	48.19	0.00	0.00	94.79	149.12
कुल योजना व्यय का %	2.10%	2.01%	0.00%	0.00%	32.32%	0.00%	0.00%	63.57%	100.00%
074- योजना मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	7.34	0.00	0.00	0.00	39.99	0.00	0.00	1,357.80	1,405.12
कुल योजना व्यय का %	0.52%	0.00%	0.00%	0.00%	2.85%	0.00%	0.00%	96.63%	100.00%
075- विद्युत मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	94.88	687.56	0.00	23.09	1.00	334.20	1,566.99	43.23	2,750.95
कुल योजना व्यय का %	3.45%	24.99%	0.00%	0.84%	0.04%	12.15%	56.96%	1.57%	100.00%
081- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	9.17	2,695.42	0.00	0.00	9,346.22	7,780.00	0.00	122.32	19,953.12
कुल योजना व्यय का %	0.05%	13.51%	0.00%	0.00%	46.84%	38.99%	0.00%	0.61%	100.00%

	अनुदान			33	53	54	55	अन्य	कुल योग
	सहायता अनुदान सामान्य	पूंजीगत सम्पत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान	सहायता अनुदान - वेतन	आर्थिक सहायता	मुख्य कार्य	निवेश	ऋण एवं अग्रिम		
082- ग्रामीण विकास विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	7,067.11	42,287.72	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	774.36	50,142.69
कुल योजना व्यय का %	14.09%	84.33%	0.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.54%	100.00%
083- भू-संसाधन विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	2,976.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.19	2,986.40
कुल योजना व्यय का %	99.66%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.34%	100.00%
084- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	13,022.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.78	13,074.06
कुल योजना व्यय का %	99.60%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.40%	100.00%
085- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	954.80	809.65	308.26	0.00	6.42	0.00	13.00	46.18	2,138.31
कुल योजना व्यय का %	44.65%	37.86%	14.42%	0.00%	0.30%	0.00%	0.61%	2.16%	100.00%
086- विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	680.69	668.08	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.07	1,544.84
कुल योजना व्यय का %	44.06%	43.25%	12.56%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.13%	100.00%
087- जैव-तकनीकी विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	746.33	407.52	77.20	0.00	0.00	0.00	0.00	36.80	1,267.85
कुल योजना व्यय का %	58.87%	32.14%	6.09%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.90%	100.00%
088- पोत परिवहन मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	5.11	144.08	0.00	0.90	267.66	0.00	0.00	77.40	495.15
कुल योजना व्यय का %	1.03%	29.10%	0.00%	0.18%	54.06%	0.00%	0.00%	15.63%	100.00%
089- सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	4,575.12	61.56	3.85	0.00	0.00	202.65	0.00	37.21	4,880.40
कुल योजना व्यय का %	93.74%	1.26%	0.08%	0.00%	0.00%	4.15%	0.00%	0.76%	100.00%
090- अंतरिक्ष विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	145.61	0.00	6.00	0.00	221.59	0.00	0.00	3,410.03	3,783.23
कुल योजना व्यय का %	3.85%	0.00%	0.16%	0.00%	5.86%	0.00%	0.00%	90.14%	100.00%

	अनुदान			33	53	54	55	अन्य	कुल योग
	सहायता अनुदान सामान्य	पूंजीगत सम्पत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान	सहायता अनुदान - वेतन	आर्थिक सहायता	मुख्य कार्य	निवेश	ऋण एवं अग्रिम		
091- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	221.76	3,745.65	1.12	0.00	9.79	0.00	0.00	119.88	4,098.20
कुल योजना व्यय का %	5.41%	91.40%	0.03%	0.00%	0.24%	0.00%	0.00%	2.93%	100.00%
092- इस्पात मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.90
कुल योजना व्यय का %	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
093- कपड़ा मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	1,033.10	361.93	3.00	2,144.51	21.95	0.00	0.00	62.90	3,627.39
कुल योजना व्यय का %	28.48%	9.98%	0.08%	59.12%	0.60%	0.00%	0.00%	1.73%	100.00%
094- पर्यटन मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	48.09	537.55	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00	275.38	865.96
कुल योजना व्यय का %	5.55%	62.08%	0.00%	0.57%	0.00%	0.00%	0.00%	31.80%	100.00%
095- जनजातीय मामले मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	1,930.50	1,035.21	18.61	0.00	0.00	68.10	0.00	4.27	3,056.68
कुल योजना व्यय का %	63.16%	33.87%	0.61%	0.00%	0.00%	2.23%	0.00%	0.14%	100.00%
096- अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह									
व्यय (₹ करोड़ में)	81.78	55.12	12.59	2.91	298.05	0.25	0.00	1,033.56	1,484.25
कुल योजना व्यय का %	5.51%	3.71%	0.85%	0.20%	20.08%	0.02%	0.00%	69.64%	100.00%
097- चंडीगढ़									
व्यय (₹ करोड़ में)	147.75	0.00	0.00	0.02	266.53	0.06	0.00	205.15	619.51
कुल योजना व्यय का %	23.85%	0.00%	0.00%	0.00%	43.02%	0.01%	0.00%	33.12%	100.00%
098- दादरा एवं नगर हवेली									
व्यय (₹ करोड़ में)	131.71	120.90	0.00	0.79	223.54	0.00	0.10	87.27	564.30
कुल योजना व्यय का %	23.34%	21.42%	0.00%	0.14%	39.61%	0.00%	0.02%	15.46%	100.00%
099- दमन एवं दीव									
व्यय (₹ करोड़ में)	91.32	25.00	0.00	0.21	128.08	0.21	0.00	180.07	424.88
कुल योजना व्यय का %	21.49%	5.88%	0.00%	0.05%	30.14%	0.05%	0.00%	42.38%	100.00%

	अनुदान			33	53	54	55	अन्य	कुल योग
	सहायता अनुदान सामान्य	पूँजीगत सम्पत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान	सहायता अनुदान - वेतन	आर्थिक सहायता	मुख्य कार्य	निवेश	ऋण एवं अग्रिम		
100- लक्ष्मीप									
व्यय (₹ करोड़ में)	68.68	0.00	3.55	2.20	66.18	0.09	0.21	103.63	244.54
कुल योजना व्यय का %	28.08%	0.00%	1.45%	0.90%	27.06%	0.04%	0.09%	42.38%	100.00%
101- शहरी विकास विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	23.68	291.03	0.00	0.00	274.94	2,376.72	2,577.93	90.23	5,634.53
कुल योजना व्यय का %	0.42%	5.17%	0.00%	0.00%	4.88%	42.18%	45.75%	1.60%	100.00%
102- लोक निर्माण कार्य									
व्यय (₹ करोड़ में)	0.00	0.00	0.00	0.00	159.75	0.00	0.00	11.33	171.08
कुल योजना व्यय का %	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	93.38%	0.00%	0.00%	6.62%	100.00%
103- लेखन सामग्री एवं मुद्रण									
व्यय (₹ करोड़ में)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल योजना व्यय का %									
104- जल संसाधन मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	155.91	0.00	0.00	0.00	129.87	0.00	0.00	238.22	524.00
कुल योजना व्यय का %	29.75%	0.00%	0.00%	0.00%	24.78%	0.00%	0.00%	45.46%	100.00%
105- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	16,732.01	121.36	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	85.64	16,954.12
कुल योजना व्यय का %	98.69%	0.72%	0.09%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.51%	100.00%
106- युवा मामले एवं खेल-कूद मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	694.18	0.00	172.80	0.00	1.11	0.00	0.00	17.24	885.33
कुल योजना व्यय का %	78.41%	0.00%	19.52%	0.00%	0.12%	0.00%	0.00%	1.95%	100.00%
कुल व्यय (₹ करोड़ में)	1,77,622.13	1,12,727.26	3,645.60	5,496.02	20,302.85	32,308.49	16,394.14	22,255.45	3,90,751.93
योजना व्यय का कुल %	45.46%	28.85%	0.93%	1.41%	5.20%	8.27%	4.20%	5.70%	100%

अनुबंध I.2
(पैराग्राफ 1.4 के संदर्भ में)

व्यय का अनुदान-वार समय विश्लेषण#

	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च	कुल
001 कृषि एवं सहकारिता विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	45	694	2,759	3,026	1,106	2,404	480	792	2,323	886	1,892	1,621	18,028
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0.3%	3.8%	15.3%	16.8%	6.1%	13.3%	2.7%	4.4%	12.9%	4.9%	10.5%	9.0%	100.0%
002 कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	359	522	1,933	26	0	0	386	0	204	0	811	376	4,619
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	7.8%	11.3%	41.9%	0.6%	0.0%	0.0%	8.4%	0.0%	4.4%	0.0%	17.5%	8.2%	100.0%
003 पशुपालन, दुग्ध उत्पादन एवं मत्स्य पालन विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	55	55	239	121	188	561	59	105	92	69	238	372	2,153
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	2.5%	2.6%	11.1%	5.6%	8.7%	26.1%	2.8%	4.9%	4.3%	3.2%	11.0%	17.3%	100.0%
004 परमाणु ऊर्जा विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	823	584	603	679	0	627	785	969	653	717	876	1,470	8,786
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	9.4%	6.7%	6.9%	7.7%	0.0%	7.1%	8.9%	11.0%	7.4%	8.2%	10.0%	16.7%	100.0%
005 नाभिकीय शक्ति योजना													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	98	174	106	202	0	127	230	1,106	134	192	545	1,147	4,061
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	2.4%	4.3%	2.6%	5.0%	0.0%	3.1%	5.7%	27.2%	3.3%	4.7%	13.4%	28.2%	100.0%
006 रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	255	7	506	8	809	27	2	4	1	17	7	43	1,685
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	15.1%	0.4%	30.0%	0.5%	48.0%	1.6%	0.1%	0.2%	0.1%	1.0%	0.4%	2.5%	100.0%
007 उर्वरक विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	9,478	9,868	6,182	7,945	5,596	7,395	6,000	4,772	4,434	2,500	580	5,871	70,622
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	13.4%	14.0%	8.8%	11.2%	7.9%	10.5%	8.5%	6.8%	6.3%	3.5%	0.8%	8.3%	100.0%

	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च	कुल
008 औषधीय विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	2	14	1	6	14	1	9	17	1	1	7	15	87
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	1.7%	16.2%	1.7%	7.0%	15.5%	1.6%	10.3%	19.0%	1.2%	1.1%	7.8%	16.9%	100.0%
009 नागरिक उड्डयन विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	677	7	1,909	8	358	808	266	535	152	2,007	7	336	7,069
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	9.6%	0.1%	27.0%	0.1%	5.1%	11.4%	3.8%	7.6%	2.2%	28.4%	0.1%	4.8%	100.0%
010 कोयला मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	-27	2	2	111	33	-2	2	55	109	74	94	292	745
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	-3.6%	0.2%	0.3%	14.9%	4.4%	-0.2%	0.3%	7.4%	14.7%	10.0%	12.6%	39.2%	100.0%
011 वाणिज्य विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	51	255	466	1,312	509	412	265	369	216	207	367	269	4,698
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	1.1%	5.4%	9.9%	27.9%	10.8%	8.8%	5.6%	7.9%	4.6%	4.4%	7.8%	5.7%	100.0%
012 औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	22	155	27	123	30	502	28	35	33	30	203	190	1,378
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	1.6%	11.3%	2.0%	8.9%	2.2%	36.4%	2.1%	2.5%	2.4%	2.2%	14.7%	13.8%	100.0%
014 दूरसंचार विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	321	479	592	537	1,531	655	473	863	433	590	531	1,588	8,595
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	3.7%	5.6%	6.9%	6.3%	17.8%	7.6%	5.5%	10.0%	5.0%	6.9%	6.2%	18.5%	100.0%
015- सूचना प्रौद्योगिकी विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	68	116	156	67	265	188	175	77	153	59	297	281	1,903
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	3.6%	6.1%	8.2%	3.5%	13.9%	9.9%	9.2%	4.0%	8.0%	3.1%	15.6%	14.8%	100.0%
016 उपभोक्ता मामले विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	9	39	24	90	69	17	9	37	62	22	30	80	487
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	1.8%	8.0%	4.9%	18.4%	14.1%	3.4%	1.8%	7.7%	12.7%	4.6%	6.2%	16.3%	100.0%
017 खाद्य एवं सार्वजनिक संवितरण विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	15,449	6,159	16,255	8,443	9,094	11,993	163	4,947	4,970	6,366	1,761	10,865	96,465
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	16.0%	6.4%	16.9%	8.8%	9.4%	12.4%	0.2%	5.1%	5.2%	6.6%	1.8%	11.3%	100.0%

	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च	कुल
018 कार्पोरेट कार्य मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	15	15	18	9	32	12	12	23	30	10	12	17	206
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	7.1%	7.5%	8.7%	4.5%	15.7%	5.7%	6.0%	11.1%	14.7%	4.7%	5.9%	8.4%	100.0%
019 संस्कृति मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	65	65	298	157	81	126	62	58	110	62	180	125	1,391
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	4.7%	4.7%	21.4%	11.3%	5.8%	9.1%	4.5%	4.2%	7.9%	4.5%	13.0%	9.0%	100.0%
020- रक्षा मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	0	374	1,507	1,329	1,015	1,283	1,256	974	1,247	1,226	1,235	4,164	15,610
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0.0%	2.4%	9.7%	8.5%	6.5%	8.2%	8.0%	6.2%	8.0%	7.9%	7.9%	26.7%	100.0%
021- रक्षा पेंशन													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	0	2,670	4,037	-718	4,877	3,042	2,356	4,645	3,139	3,003	4,824	11,493	43,368
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0.0%	6.2%	9.3%	-1.7%	11.2%	7.0%	5.4%	10.7%	7.2%	6.9%	11.1%	26.5%	100.0%
028 उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय विकास मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	3	149	149	133	63	363	41	107	313	42	63	317	1,742
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0.2%	8.6%	8.5%	7.6%	3.6%	20.8%	2.4%	6.1%	18.0%	2.4%	3.6%	18.2%	100.0%
029 भू-विज्ञान मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	46	44	34	41	174	318	73	39	87	96	135	88	1,177
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	3.9%	3.8%	2.9%	3.5%	14.8%	27.0%	6.2%	3.3%	7.4%	8.1%	11.5%	7.5%	100.0%
030 पर्यावरण एवं वन मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	31	87	228	172	195	186	171	114	56	243	152	361	1,997
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	1.5%	4.4%	11.4%	8.6%	9.8%	9.3%	8.6%	5.7%	2.8%	12.2%	7.6%	18.1%	100.0%
031 विदेश मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	656	376	1,639	718	1,076	501	561	443	727	634	744	2,046	10,121
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	6.5%	3.7%	16.2%	7.1%	10.6%	4.9%	5.5%	4.4%	7.2%	6.3%	7.4%	20.2%	100.0%
032 आर्थिक कार्य विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	13	114	300	5,261	38	30	572	467	294	1,864	845	1,740	11,538
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0.1%	1.0%	2.6%	45.6%	0.3%	0.3%	5.0%	4.0%	2.5%	16.2%	7.3%	15.1%	100.0%

	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च	कुल
033 वित्त सेवाएं विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	10	-103	135	718	508	3,572	103	6	1,178	21	18	15,126	21,293
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0.0%	-0.5%	0.6%	3.4%	2.4%	16.8%	0.5%	0.0%	5.5%	0.1%	0.1%	71.0%	100.0%
034- विनियोग-ब्याज भुगतान													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	22,678	26,967	17,534	21,250	48	34,202	18,244	26,398	28,994	20,519	32,413	79,677	3,28,922
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	6.9%	8.2%	5.3%	6.5%	0.0%	10.4%	5.5%	8.0%	8.8%	6.2%	9.9%	24.2%	100.0%
035 राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों को अंतरण													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	4,462	6,219	7,238	8,213	14,512	9,446	7,594	7,554	18,088	7,993	12,196	27,998	1,31,514
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	3.4%	4.7%	5.5%	6.2%	11.0%	7.2%	5.8%	5.7%	13.8%	6.1%	9.3%	21.3%	100.0%
036- सरकारी कर्मचारियों को ऋण आदि													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	353	-349	7	12	20	23	21	20	20	8	9	42	185
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	190.3%	-188.4%	3.8%	6.4%	10.5%	12.1%	11.6%	10.9%	10.9%	4.3%	4.9%	22.7%	100.0%
038 व्यय विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	9	6	6	14	7	6	8	14	8	7	17	14	116
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	7.5%	5.0%	5.4%	11.9%	5.9%	5.0%	6.6%	12.5%	7.3%	5.8%	15.1%	12.0%	100.0%
039 पेंशन													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	1,270	1,548	1,446	1,531	1,428	1,486	1,325	1,356	1,787	1,852	1,831	2,724	19,584
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	6.5%	7.9%	7.4%	7.8%	7.3%	7.6%	6.8%	6.9%	9.1%	9.5%	9.3%	13.9%	100.0%
040- भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	368	209	223	105	9	286	217	220	254	234	247	342	2,714
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	13.6%	7.7%	8.2%	3.9%	0.3%	10.5%	8.0%	8.1%	9.4%	8.6%	9.1%	12.6%	100.0%
041- राजस्व विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	143	38	34	37	47	36	69	75	34	63	56	123	755
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	19.0%	5.1%	4.5%	4.9%	6.2%	4.7%	9.1%	9.9%	4.6%	8.3%	7.4%	16.3%	100.0%
042- प्रत्यक्ष कर													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	344	274	276	262	261	284	279	269	239	291	301	631	3,710
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	9.3%	7.4%	7.4%	7.1%	7.0%	7.7%	7.5%	7.3%	6.4%	7.8%	8.1%	17.0%	100.0%

	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च	कुल
043- अप्रत्यक्ष कर													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	452	278	279	282	279	284	319	272	280	279	269	208	3,481
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	13.0%	8.0%	8.0%	8.1%	8.0%	8.2%	9.2%	7.8%	8.1%	8.0%	7.7%	6.0%	100.0%
044- विनिवेश विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	1	4	1	3	0	0	2	0	1	1	1	3	18
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	8.2%	23.5%	3.1%	18.4%	2.3%	2.0%	8.8%	2.4%	3.2%	7.7%	3.9%	16.4%	100.0%
045 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	1	72	44	29	39	246	10	9	25	35	85	69	665
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0.2%	10.9%	6.6%	4.4%	5.9%	36.9%	1.5%	1.4%	3.8%	5.2%	12.8%	10.4%	100.0%
046- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	457	755	4,471	920	1,909	7,144	668	914	1,849	835	3,375	3,577	26,876
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	1.7%	2.8%	16.6%	3.4%	7.1%	26.6%	2.5%	3.4%	6.9%	3.1%	12.6%	13.3%	100.0%
047- आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	10	33	79	31	44	222	3	4	70	13	37	209	755
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	1.3%	4.3%	10.5%	4.1%	5.8%	29.3%	0.4%	0.6%	9.3%	1.8%	4.9%	27.6%	100.0%
048- स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	0	118	88	157	6	10	60	0	118	0	0	163	720
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0.0%	16.4%	12.2%	21.7%	0.8%	1.4%	8.3%	0.0%	16.3%	0.1%	0.1%	22.6%	100.0%
049- एड्स नियंत्रण विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	1	2	264	27	24	495	2	61	141	32	81	187	1,316
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0.1%	0.2%	20.1%	2.0%	1.8%	37.6%	0.2%	4.6%	10.7%	2.4%	6.1%	14.2%	100.0%
050- भारी उद्योग विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	2	1	1	117	46	372	16	1	1	1	1	209	769
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0.3%	0.2%	0.2%	15.2%	5.9%	48.4%	2.0%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	27.2%	100.0%
051- सार्वजनिक उद्यम विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	1	1	1	3	1	1	1	1	2	1	2	1	15
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	6.2%	5.5%	4.1%	21.1%	7.1%	5.6%	5.2%	6.2%	10.1%	4.1%	15.9%	8.8%	100.0%

	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च	कुल
052- गृह मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	53	51	110	235	68	628	73	56	53	50	148	101	1,626
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	3.3%	3.1%	6.8%	14.4%	4.2%	38.6%	4.5%	3.4%	3.2%	3.1%	9.1%	6.2%	100.0%
053- मंत्रिमंडल													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	53	56	44	231	50	31	30	55	36	42	41	255	925
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	5.7%	6.1%	4.8%	24.9%	5.5%	3.3%	3.3%	6.0%	3.9%	4.6%	4.5%	27.6%	100.0%
054- पुलिस													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	4,667	3,543	3,366	3,670	3,619	4,007	3,995	3,368	2,977	3,697	3,612	3,338	43,859
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	10.6%	8.1%	7.7%	8.4%	8.3%	9.1%	9.1%	7.7%	6.8%	8.4%	8.2%	7.6%	100.0%
055- गृह मंत्रालय के अन्य व्यय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	68	92	112	138	99	216	128	99	136	131	140	259	1,620
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	4.2%	5.7%	6.9%	8.5%	6.1%	13.4%	7.9%	6.1%	8.4%	8.1%	8.7%	16.0%	100.0%
056- संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	0	183	287	260	114	124	264	122	10	230	116	211	1,921
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0.0%	9.5%	14.9%	13.6%	5.9%	6.4%	13.8%	6.4%	0.5%	12.0%	6.0%	11.0%	100.0%
057- आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	1	1	1	180	29	181	2	2	174	25	168	173	937
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0.1%	0.1%	0.1%	19.2%	3.1%	19.3%	0.2%	0.2%	18.6%	2.6%	18.0%	18.5%	100.0%
058- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	2	8,514	1,013	6,997	6,489	4,880	1,034	3,352	3,718	1,867	3,720	3,527	45,113
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0.0%	18.9%	2.2%	15.5%	14.4%	10.8%	2.3%	7.4%	8.2%	4.1%	8.2%	7.8%	100.0%
059- उच्च शिक्षा विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	20	251	3,105	813	759	5,210	1,150	624	2,827	46	3,630	2,024	20,458
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0.1%	1.2%	15.2%	4.0%	3.7%	25.5%	5.6%	3.1%	13.8%	0.2%	17.7%	9.9%	100.0%
060- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	39	29	774	91	26	273	53	86	38	375	185	655	2,625
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	1.5%	1.1%	29.5%	3.5%	1.0%	10.4%	2.0%	3.3%	1.4%	14.3%	7.1%	25.0%	100.0%

	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च	कुल
061- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	46	251	95	94	1,592	458	59	82	305	49	262	349	3,643
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	1.3%	6.9%	2.6%	2.6%	43.7%	12.6%	1.6%	2.2%	8.4%	1.3%	7.2%	9.6%	100.0%
062- निर्वाचन आयोग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	4	2	3	3	2	7	3	3	6	3	3	1	39
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	10.2%	5.3%	7.0%	7.7%	5.4%	17.4%	6.8%	7.8%	14.9%	7.5%	6.8%	3.3%	100.0%
063- विधि एवं न्याय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	12	14	64	140	198	241	57	126	113	49	91	78	1,184
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	1.0%	1.2%	5.4%	11.8%	16.7%	20.4%	4.8%	10.6%	9.5%	4.2%	7.7%	6.6%	100.0%
064- विनियोग-भारतीय सर्वोच्च न्यायालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	16	8	10	9	9	11	11	9	9	10	9	4	117
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	13.7%	7.3%	8.9%	7.9%	7.8%	9.4%	9.2%	8.1%	7.6%	8.6%	7.6%	3.9%	100.0%
065- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	18	236	703	156	52	141	40	193	289	33	326	331	2,517
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0.7%	9.4%	27.9%	6.2%	2.1%	5.6%	1.6%	7.7%	11.5%	1.3%	13.0%	13.2%	100.0%
066- खनन मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	78	53	52	56	53	109	124	-9	50	51	52	129	799
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	9.8%	6.6%	6.5%	7.0%	6.6%	13.7%	15.6%	-1.1%	6.3%	6.4%	6.5%	16.1%	100.0%
067- अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	2	122	161	113	80	69	201	159	682	72	287	225	2,174
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0.1%	5.6%	7.4%	5.2%	3.7%	3.2%	9.3%	7.3%	31.4%	3.3%	13.2%	10.4%	100.0%
068- नवीन एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	5	106	47	50	297	158	64	50	61	62	90	254	1,244
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0.4%	8.5%	3.8%	4.0%	23.9%	12.7%	5.1%	4.1%	4.9%	5.0%	7.3%	20.4%	100.0%
069- प्रवासी भारतीय मामले मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	2	2	7	3	4	8	3	2	19	15	3	15	83
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	2.5%	2.6%	8.1%	4.0%	4.9%	9.3%	3.4%	2.6%	23.0%	17.8%	4.0%	17.8%	100.0%

	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च	कुल
070- पंचायती राज मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	2	334	87	25	372	354	227	460	183	79	564	1,251	3,937
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0.0%	8.5%	2.2%	0.6%	9.4%	9.0%	5.8%	11.7%	4.6%	2.0%	14.3%	31.8%	100.0%
071- संसदीय कार्य मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	12.2%	6.7%	6.9%	7.0%	8.1%	8.2%	7.9%	7.6%	9.8%	7.1%	6.3%	12.3%	100.0%
072- कर्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	59	71	71	69	66	86	76	63	70	53	64	75	823
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	7.2%	8.6%	8.6%	8.3%	8.1%	10.5%	9.3%	7.6%	8.5%	6.4%	7.8%	9.1%	100.0%
073- पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	3	1	7,539	21,086	10,992	315	114	259	250	30,306	310	26,248	97,423
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0.0%	0.0%	7.7%	21.6%	11.3%	0.3%	0.1%	0.3%	0.3%	31.1%	0.3%	26.9%	100.0%
074- योजना मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	187	57	139	127	31	90	50	69	159	78	182	309	1,479
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	12.6%	3.8%	9.4%	8.6%	2.1%	6.1%	3.4%	4.7%	10.8%	5.3%	12.3%	20.9%	100.0%
075- विद्युत मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	13	196	125	752	76	682	157	16	116	30	189	3,951	6,303
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0.2%	3.1%	2.0%	11.9%	1.2%	10.8%	2.5%	0.3%	1.8%	0.5%	3.0%	62.7%	100.0%
076- विनियोग-कर्मचारी, आवास एवं राष्ट्रपति के भत्ते													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	3	2	2	3	2	3	3	2	3	2	2	2	31
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	10.6%	7.9%	7.1%	8.7%	7.6%	8.3%	9.1%	7.8%	9.5%	7.8%	7.7%	8.0%	100.0%
077- लोक सभा													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	48	38	31	36	2	36	43	37	37	39	35	88	470
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	10.3%	8.0%	6.5%	7.7%	0.5%	7.6%	9.1%	7.8%	7.9%	8.3%	7.5%	18.7%	100.0%
078- राज्य सभा													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	27	19	17	25	26	21	26	17	22	34	18	26	278
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	9.5%	6.7%	6.3%	9.0%	9.5%	7.7%	9.3%	6.2%	7.8%	12.4%	6.4%	9.3%	100.0%

	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च	कुल
079- विनियोग-सं.लो.से.आ													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	15	11	9	13	10	11	15	13	10	16	11	12	147
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	10.4%	7.6%	6.3%	9.0%	7.1%	7.5%	10.1%	9.1%	6.6%	10.6%	7.4%	8.4%	100.0%
080- उप-राष्ट्रपति सचिवालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	12.1%	8.4%	9.1%	8.6%	7.7%	7.5%	7.9%	10.0%	7.5%	8.0%	8.7%	4.5%	100.0%
081- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	43	1,732	2,389	1,025	607	619	4,739	944	3,611	1,337	1,102	6,184	24,331
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0.2%	7.1%	9.8%	4.2%	2.5%	2.5%	19.5%	3.9%	14.8%	5.5%	4.5%	25.4%	100.0%
082- ग्रामीण विकास विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	3,489	6,908	8,651	3,231	2,362	2,781	6,413	1,132	3,121	2,701	2,701	6,696	50,187
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	7.0%	13.8%	17.2%	6.4%	4.7%	5.5%	12.8%	2.3%	6.2%	5.4%	5.4%	13.3%	100.0%
083- भू-संसाधन विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	1	354	51	33	1,566	7	57	356	7	128	80	354	2,994
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0.0%	11.8%	1.7%	1.1%	52.3%	0.2%	1.9%	11.9%	0.2%	4.3%	2.7%	11.8%	100.0%
084- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	1	323	1,963	993	896	1,495	405	153	2,481	28	2,374	1,967	13,079
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0.0%	2.5%	15.0%	7.6%	6.8%	11.4%	3.1%	1.2%	19.0%	0.2%	18.2%	15.0%	100.0%
085- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	124	111	389	198	307	436	102	109	335	105	140	168	2,524
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	4.9%	4.4%	15.4%	7.9%	12.2%	17.3%	4.0%	4.3%	13.3%	4.2%	5.6%	6.6%	100.0%
086- विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	1	540	1	217	57	822	-6	-1	771	-27	562	9	2,946
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0.0%	18.3%	0.0%	7.4%	1.9%	27.9%	-0.2%	0.0%	26.2%	-0.9%	19.1%	0.3%	100.0%
087- जैव-तकनीकी विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	16	89	71	237	87	275	30	113	67	51	104	143	1,283
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	1.2%	7.0%	5.5%	18.5%	6.8%	21.4%	2.3%	8.8%	5.2%	4.0%	8.1%	11.2%	100.0%

	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च	कुल
088- पोत परिवहन मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	20	23	48	72	146	157	59	120	227	44	120	168	1,203
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	1.6%	1.9%	4.0%	6.0%	12.1%	13.1%	4.9%	10.0%	18.8%	3.7%	10.0%	13.9%	100.0%
089- सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	4	4	923	88	137	729	150	231	1,487	23	171	1,024	4,972
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0.1%	0.1%	18.6%	1.8%	2.8%	14.7%	3.0%	4.7%	29.9%	0.5%	3.4%	20.6%	100.0%
090- अंतरिक्ष विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	384	288	258	324	0	342	279	696	395	666	488	737	4,856
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	7.9%	5.9%	5.3%	6.7%	0.0%	7.0%	5.7%	14.3%	8.1%	13.7%	10.0%	15.2%	100.0%
091- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	94	315	319	414	281	388	241	445	598	494	282	605	4,475
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	2.1%	7.0%	7.1%	9.3%	6.3%	8.7%	5.4%	9.9%	13.4%	11.0%	6.3%	13.5%	100.0%
092- इस्पात मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	3	12	14	3	8	9	4	2	11	153	15	10	243
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	1.0%	5.1%	5.8%	1.4%	3.3%	3.7%	1.5%	0.7%	4.5%	62.8%	6.3%	3.9%	100.0%
093- कपड़ा मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	60	106	873	183	137	613	261	166	809	98	504	574	4,385
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	1.4%	2.4%	19.9%	4.2%	3.1%	14.0%	5.9%	3.8%	18.5%	2.2%	11.5%	13.1%	100.0%
094- पर्यटन मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	7	24	61	71	95	227	44	84	85	43	60	133	934
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0.7%	2.6%	6.5%	7.6%	10.1%	24.4%	4.7%	8.9%	9.1%	4.6%	6.5%	14.2%	100.0%
095- जनजातीय मामले मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	2	2	600	89	12	1,477	44	57	263	97	185	245	3,073
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0.1%	0.1%	19.5%	2.9%	0.4%	48.1%	1.4%	1.9%	8.6%	3.1%	6.0%	8.0%	100.0%
096- अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	227	201	243	157	191	209	235	216	162	224	210	548	2,824
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	8.0%	7.1%	8.6%	5.6%	6.8%	7.4%	8.3%	7.6%	5.7%	7.9%	7.4%	19.4%	100.0%

	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च	कुल
097- चंडीगढ़													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	242	234	302	0	181	257	257	262	225	190	288	686	3,125
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	7.8%	7.5%	9.7%	0.0%	5.8%	8.2%	8.2%	8.4%	7.2%	6.1%	9.2%	21.9%	100.0%
098- दादरा एवं नगर हवेली													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	19	193	280	28	40	437	220	200	197	499	145	90	2,347
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0.8%	8.2%	11.9%	1.2%	1.7%	18.6%	9.4%	8.5%	8.4%	21.2%	6.2%	3.8%	100.0%
099- दमन एवं दीव													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	95	87	104	118	100	103	108	100	180	86	121	60	1,263
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	7.5%	6.9%	8.2%	9.3%	7.9%	8.2%	8.6%	7.9%	14.2%	6.8%	9.6%	4.8%	100.0%
100- लक्षद्वीप													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	67	91	59	40	123	30	58	68	76	64	68	59	805
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	8.3%	11.3%	7.4%	4.9%	15.3%	3.7%	7.2%	8.4%	9.4%	8.0%	8.5%	7.4%	100.0%
101- शहरी विकास विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	101	618	547	117	106	1,318	285	560	2,341	101	115	365	6,575
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	1.5%	9.4%	8.3%	1.8%	1.6%	20.1%	4.3%	8.5%	35.6%	1.5%	1.7%	5.6%	100.0%
102- लोक निर्माण कार्य													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	187	166	180	153	155	151	158	153	142	144	154	112	1,856
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	10.1%	8.9%	9.7%	8.3%	8.3%	8.1%	8.5%	8.3%	7.7%	7.8%	8.3%	6.0%	100.0%
103- लेखन सामग्री एवं मुद्रण													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	28	19	16	18	19	15	19	20	27	19	19	4	224
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	12.5%	8.7%	7.3%	7.8%	8.7%	6.9%	8.3%	8.9%	12.2%	8.4%	8.4%	1.9%	100.0%
104- जल संसाधन मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	110	92	80	127	113	62	92	90	72	69	87	63	1,056
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	10.4%	8.7%	7.6%	12.0%	10.7%	5.9%	8.7%	8.5%	6.8%	6.6%	8.2%	6.0%	100.0%
105- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	14	2,674	1,231	146	1,879	3,874	48	90	3,202	123	1,625	2,129	17,037
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0.1%	15.7%	7.2%	0.9%	11.0%	22.7%	0.3%	0.5%	18.8%	0.7%	9.5%	12.5%	100.0%

	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च	कुल
106- युवा मामले एवं खेल-कूद मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	3	34	171	226	153	60	21	79	42	10	140	61	999
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0.3%	3.4%	17.1%	22.7%	15.3%	6.0%	2.1%	7.9%	4.2%	1.0%	14.0%	6.1%	100.0%
माह के दौरान कुल व्यय (₹ करोड़ में)	69,862	88,584	1,09,898	1,07,203	81,221	1,24,933	65,704	74,490	1,06,352	98,020	93,498	2,43,558	12,63,323
वार्षिक व्यय की कुल प्रतिशतता	5.5%	7.0%	8.7%	8.5%	6.4%	9.9%	5.2%	5.9%	8.4%	7.8%	7.4%	19.3%	100.0%

अनुबंध 2.1

(पैराग्राफ 2.1.2 के संदर्भ में)

राजस्व और पूँजीगत मुख्य शीर्ष का विवरण जिसमें लघुशीर्ष '800-अन्य व्यय' जो 2012-13 में कार्यान्वित किया गया था जिसमें कुल खर्च के 50 प्रतिशत से ज्यादा खर्च को मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किया गया

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल व्यय	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत व्यय-अन्य व्यय	मुख्य शीर्ष की तुलना में लघु शीर्ष में व्यय की प्रतिशतता
		(₹ हजार में)		
1.	2079-रक्षा सेवाएं-आयुध कारखाने	13405906	7677905	57
2.	2236-पोषण	912828	556919	61
3.	2250-अन्य सामाजिक कार्य	449949	448245	100
4.	2416-कृषि वित्तीय संस्थान	54158452	54000000	100
5.	2552-उत्तर-पूर्व क्षेत्र	999266	832885	83
6.	2711-बाड़ नियंत्रण एवं जल निकास	1987692	1920538	97
7.	2803 कोयला और लिग्नाइट	3971357	2195900	55
8.	3053-नागरिक उड़्डयन	11450275	10663457	93
9.	4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	87377	87279	100
10.	4211परिवार कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	2355	2355	100
11.	4402-मृदा एवं जल संरक्षण पर पूँजीगत परिव्यय	3700	3700	100
12.	4408- खाद्य, भंडारण एवं भंडारागार पर पूँजीगत परिव्यय	260338	209756	81
13.	4853- धातु शोधन संबंधी उद्योगों एवं नॉन-फेरस खनन पर पूँजीगत परिव्यय	1462454	1462454	100
14.	5275-अन्य संचार सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	15234261	15210583	100
15.	5453-विदेश व्यापार पर पूँजीगत परिव्यय	7234347	6610883	91
16.	5475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	8844574	6263292	71
	योग	120465131	108146151	

अनुबंध 2.2

(पैराग्राफ 2.1.3 के संदर्भ में)

सरकारी लेखों से परे नियामकों के कोष

क्र. सं.	नियामकों/स्वायत्त निकायों का नाम	निवेशों/पूंजीगत निधि के प्रकार	राशि (₹ करोड़ में)
1.	भारतीय सुरक्षा एवं प्रतिभूति बोर्ड	अधिशेष निधि/समग्र निधि	1651.38
2.	बीमा नियामक एवं विकास संस्था	अधिशेष निधि	991.64
3.	पेंशन निधि विकास नियामक संस्था	पूंजीगत/समग्र निधि	2.14
4.	भारतीय चिकित्सा परिषद्	1. स्वयं के संसाधनों से निवेश 2. भवन निधि	264.13
5.	भारतीय दंत चिकित्सा परिषद्	स्वयं के संसाधनों से निवेश	74.88
6.	भारतीय औषधी परिषद्	भवन निधि	16.50
7.	भारतीय नर्सिंग परिषद्	स्वयं के संसाधनों से निवेश	46.82
8.	केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्	मुख्य लेखा निध	0.94
9.	केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद्	लोक जमा लेखे	4.95
10.	भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक ब्यूरो	पूंजीगत/समग्र निधि	30.70
11.	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्	बैंक के पास एफ.डी.आर. जनरल	575.00
12.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	बचत खाता खाते	1032.50
13.	भारतीय पशुचिकित्सा परिषद्	सावधि जमा (परीक्षा निधि)	6.24
14.	भारतीय मानक ब्यूरो	समग्र /पूंजीगत निधि	84.24
योग			4782.06

अनुबंध 2.3

(पैराग्राफ 2.1.3 -ग के संदर्भ में)

अंतरिक्ष विभाग में निलंब लेखों के संचालन का विवरण

(₹ लाखों में)

क्र. सं.	केन्द्र	अनुमोदन सं. एवं तिथि और राशि	योजना का उद्देश्य और नाम	बैंक का विवरण	31 मार्च 2013 को शेष	ब्याज
1	एल.पी.एस.सी.	3/5(5)/2002-III 27/3/2003 तथा 3/5/7/2002-III 28/3/2003 (₹40.66 करोड़)	तरल हाइड्रोजन संयंत्र की स्थापना मैसर्स आन्ध्र चीनी लिमिटेड, थानुकु	भा.स्टे.बैं., वी.एम.सी.	172.62	697.68
2	एल.पी.एस.सी.	13015/5/2010 धारा-3 (खण्ड II) 27/3/2010 (₹9.71 करोड़)	क्रायो एवं सेमीक्रायो गतिविधियों के लिए सी.यू.-सी.आर-जे.टी.आई.आई. ताम्बे एलोय प्लेट की प्राप्ति। मैसर्स नॉन-फैरस पदार्थ प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र (ना.फै.प.फौ.वि.के.), हैदराबाद	भा.स्टे.बैं., वी.एम.सी.	567.65	211.44
3	एल.पी.एस.सी.	3/5/7/2005-III, 24.03.2005 (₹38.25 करोड़)	एल.पी.एस.सी., महेन्द्र गिरि में ट्रस्ट चेम्बर टेस्ट तरल सेवा प्रणाली की प्राप्ति मैसर्स लिंडे प्रक्रिया प्रौद्योगिकी प्राइवेट लि. वड़ोदरा	भा.स्टे.बैं., वालियामल, त्रिवेन्द्रम	0.00	778.70
4	एल.पी.एस.सी.	3/5/7/2005-III, 24.03.2005 (₹56.48 करोड़)	एल.पी.एस.सी., महेन्द्र गिरि में ट्रस्ट चेम्बर टेस्ट तरल सेवा प्रणाली की प्राप्ति मैसर्स लिंडे क्रायो तकनीकी ए.जी., स्वीट्जरलैण्ड	भा.स्टे.बैं., वालियामल, त्रिवेन्द्रम्	0.00	685.83
5	वी.एस.एस.सी.सी.	बी.12011/11/2009 -धारा-2 21/12/2009 (₹18.00 करोड़)	मिधानी में ई.बी. पिघलाने वाली भट्टी की स्थापना	भा.स्टे.बैं. कंचनबाग	1800.00	221.79
6	वी.एस.एस.सी.सी.	सी.13011/24/ 2010-11 29/3/2010 (₹28.14 करोड़)	न्योवयम उत्पादन सुविधा की स्थापना	भा.स्टे.बैं. नचरम शाखा, हैदराबाद	2234.08	181.01
7	वी.एस.एस.सी.सी.	सी.13011/19/ 2010-11 24/3/2010 तथा सं.सी.13011/ 2010-11/4/3/2011 (₹23.74 करोड़)	टी.सी.सी. कोच्ची में सोडियम क्लोरेट उत्पादन सुविधा की स्थापना	भा.स्टे.बैं. अलुवा शाखा, अलुवा	25.87	21.12
8	वी.एस.एस.सी.सी.	3/1/2/2004-III 18/2/2004 3/1/2/2004-III 21/7/2004 (₹15.60 करोड़)	हिंदु उच्च निर्वात, बेंगलूर से एस.आई.सी. कोटिंग तथा रसायन वाष्प डेपोसिशन प्रावधान के साथ निर्वात प्रवर्तन भट्टी का प्रापण	भा.स्टे.बैं.पीनया ईडल शाखा, बेंगलूर	238.49	350.63
9	वी.एस.एस.सी.सी.	3/16(3)/03-III, 28.02.2003 (₹8.73 करोड़)	मैसर्स टी.ए.एम.एल., बेंगलूर द्वारा योक एवं सौर पैनल का निर्माण एवं आपूर्ति	भा.स्टे.बैं. रेसकोर्स रोड, बेंगलूर	0.00	60.00

क्र. सं.	केन्द्र	अनुमोदन सं. एवं तिथि और राशि	योजना का उद्देश्य और नाम	बैंक का विवरण	31 मार्च 2013 को शेष	व्याज
10	वी.एस.एस.सी.पी.	सी.13011/19/2006-धारा-3 24/3/2006 (₹31.13 करोड़)	ए.आई. एलॉय कास्ट हाउस की स्थापना तथा बिलेट की आपूर्ति	भा.स्टे.बैं. बाल्को टाउनशिप शाखा, कोरबा	203.25	221.45
11	वी.एस.एस.सी.पी.	3/1/10/2003-III 01.10.2003 सी.13011/5/2003-III सी.13011/5/2003-धारा-3 30/3/2009 (₹39.50 करोड़)	बाल्को द्वारा सुविधा आवर्धन तथा शीट	भा.स्टे.बैं. बाल्को टाउनशिप शाखा, कोरबा	432.40	200.00
12	वी.एस.एस.सी.पी.	सी.13011/5/2006-धारा-3 20/2/2006 13011.5.2006/ धारा-31/3/2010 (₹143.11 करोड़)	के.एम.एम.एल. द्वारा टाइटेनियम स्पॉन्ज की स्थापना	भा.स्टे.बैं., कोम्मल, शाखा, कोल्लम	251.00	3506.00
13	वी.एस.एस.सी.पी.	3/1/12/2005-III 15/3/2005 (₹31.01 करोड़)	हिन्द हाई वैक्यूम से निर्वात प्रणाली का प्रापण	भा.स्टे.बैं., पीनया औद्योगिक शाखा, बैंगलौर	0.00	50.00
14	वी.एस.एस.सी.पी.	3/1(15)/2001-III 27/3/2002 3/1(15)/2001-III 27/3/2003 3/1(15)/2001-III 24/3/2004 सी.13011/1/2001-धारा-31/3/2008 (₹75.40 करोड़)	बे-फोर्ज लिमिटेड द्वारा रिंग रोलिंग मिल की स्थापना	भा.स्टे.बैं., कोम्मल शाखा, चैन्नई	0.00	43.50
15	वी.एस.एस.सी.पी.	3/1/5/03-III 1/12/2003 3/1/5/01-III (खण्ड II) 22/2/2005 सी.13011/1/2001- धारा-17/1/2006 सी.13011/1/2001-III 7/11/2006 (₹20 करोड़)	बे-फोर्ज लिमिटेड द्वारा रिंग रोलिंग मिल की स्थापना	भा.स्टे.बैं., विदेश, चैन्नई	2000.00	48.00
16	वी.एस.एस.सी.पी.	सी.13011/42/2006-III 20/2/2007 (₹2.75 करोड़)	एस.आई.एफ.एल. का सुविधा आवर्धन	भा.स्टे.बैं., बलियामाला	0.00	0.21
17	वी.एस.एस.सी.पी.	3/1/19/2005-III 28/3/2005 13011/39/2005-III 28.1.2009 (₹159.50 करोड़)	एल. एवं टी. द्वारा हवा सुरंग प्रणाली का डिजाइन, निर्माण	भा.स्टे.बैं., नि.म.ले.प. शाखा, मुम्बई	6065.00	1534.00

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन संघ लेखे 2012-13

क्र. सं.	केन्द्र	अनुमोदन सं. एवं तिथि और राशि	योजना का उद्देश्य और नाम	बैंक का विवरण	31 मार्च 2013 को शेष	ब्याज
18	वी.एस.एस.सी.पी.	3/1/11/2005 10/3/2005 (₹20.10 करोड़)	न्यूमन एवं एसर द्वारा उच्च दाब प्रणाली का प्रापण	भा.स्टे.बैं., चिंचवाड, पुणे	0.00	17.00
19	वी.एस.एस.सी.पी.	3/1/10/04-III 27/3/2004 3/1/10/2004-III 24/3/2005 3/1/10/2004-III 20/1/2006 (₹ 69.30 करोड़)	मिधानी का सुविधा आवर्धन	भा.स्टे.बैं., चन्द्रयानागत शाखा, हैदराबाद	0.00	1187.18
	योग	₹ 831.11 करोड़			13990.36	10015.54

अनुबंध 2.4

(पैरागाफ 2.3.6 के संदर्भ में)

निष्क्रिय रिजर्व निधियों/जमाओं को दर्शाती हुई विवरणी

क्र. सं.	शीर्ष का नाम	निधि की प्रकृति रिजर्व	31 मार्च 2013 को शेष (₹ हजार में)	निम्न से निष्क्रिय
1.	8116-राजस्व रिजर्व निधि	रिजर्व	826894	2001-02
2.	8118.105-दूरसंचार पूंजीगत रिजर्व निधि	रिजर्व	6	2001-02
3.	8121.119-Staff स्टाफ लाभ निधि (रेलवे)- निवेश लेखे	रिजर्व	100	1999-00
4.	8121.111-आकस्मिकता रिजर्व निधि-विद्युत	रिजर्व	13075	2006-07
5.	8223.101-अकाल सहायता निधि	रिजर्व	3	2008-09
6.	8229.101-शैक्षिक उद्देश्यों के लिए विकास निधि	रिजर्व	7	2002-03
7.	8229.102-चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रायोजन हेतु विकास निधि	रिजर्व	60	2002-03
8.	8229.108-खनन क्षेत्र विकास निधि	रिजर्व	102	2002-03
9.	8229.117 राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिक कोर निधि	रिजर्व	32513	2002-03
10.	8230.101-विशेष रेलवे सुरक्षा निधि (वाणिज्यिक)	रिजर्व	5811202	2008-09
11.	8230.102- विशेष रेलवे सुरक्षा निधि (सामरिक)	रिजर्व	166624	2007-08
12.	8235.101-सरकारी वाणिज्यिक विभाग/ उपक्रमों की सामान्य रिजर्व निधि	रिजर्व	7586	2008-09
13.	8235.104-रेलवे सुरक्षा कार्य निधि	रिजर्व	407441	2003-04
14.	8235.105-सामान्य बीमा निधि	रिजर्व	2613201	2005-06
15.	8235.113-राष्ट्रीय नवीकरण निधि	रिजर्व	177020	2008-09
16.	8337.103-अंशदायी भारतीय रेलवे सम्मेलन संघ कर्मचारी भविष्य निधि निवेश लेखा	जमा	6512	2001-02
17.	8337.104-गैर-अंशदायी भारतीय रेलवे सम्मेलन संघ कमचारी भविष्य निधि निवेश लेखा	जमा	50	2001-02
18.	8342.104-कोयला खनन पेंशन योजना 1998	जमा	2946846	2006-07
19.	8342.107-संपदा शुल्क के भुगतान के प्रति जमा	जमा	131	2008-09
20.	8342.110-दूरभाष आवेदन पत्र जमा	जमा	2239801	2005-06
21.	8342.111-टेलेक्स आवेदन पत्र जमा	जमा	79306	2003-04

क्र. सं.	शीर्ष का नाम	निधि की प्रकृति रिजर्व	31 मार्च 2013 को शेष (₹ हजार में)	निम्न से निष्क्रिय
22.	8342.114-पट्टे पर दी गई दूरसंचार सुविधा जमा	जमा	16947	2001-02
23.	8342.108-आयकर, भव्यकर, आधिक्य लाभ, कर तथा अधिभार के जमा	जमा	12161	2001-02
24.	8443.114-निर्यात व्यापार जमा	जमा	152527	1988-89
25.	8443.122-खदान श्रमिक कल्याण जमा	जमा	2335	1988-89
26.	8443.127- पाकिस्तान में जा बसे ठेकेदारों/कर्मचारियों/पेशनरों दावों को पूरा करने के लिए स्थानीय निकायों के जमा	जमा	2107	1996-97
27.	8443.130-प्रोविडेंट समिति परिसमापन लेखे	जमा	13	2008-09
28.	8445.102-शाखा सीमा कम्पनी के जमा	जमा	65	1992-93
29.	8448.103-छावनी निधि	जमा	1	2000-01
30.	8448.111-चिकित्सा एवं धर्मार्थ निधि	जमा	52	1988-89
31.	8448. 120- अन्य निधियां	जमा	226	2004-05
32.	8449.104-खादान भविष्य निधियों का जमा	जमा	1601	1988-89
33.	8449.106-भारत समझौता अधीन खाते 1974	जमा	16	1991-92
34.	8449.107-आयकर, भव्यकर, आधिक्य लाभ, कर तथा अधिभार के जमा	जमा	13393	1991-92
35.	8449.108- ऋण से मुक्ति के लिए स्थानीय निकायों के जमा	जमा	3297	2000-01
36.	8449.113-तेल बीज एवं खाद्य तेल विकास निधि	जमा	36613	1999-00
37.	8449.118-जापानी सहायता प्रदत्त योजनाओं के लिए अधिक जमा	जमा	10360	1995-96
38.	8450.101-पांडीचेरी का शेष	जमा	401290	2008-09
39.	8450.102-गोवा, दमन, दीयु का शेष	जमा	163026	1988-89
40.	8450.104-अरुणाचल प्रदेश का शेष	जमा	568251	1988-89
41.	8450.105-मिजोरम का शेष	जमा	1244138	1988-89
42.	8009.01.103- आईसीएस भविष्य निधि	अन्य देयताएं	201	1999-00
43.	8009.03.102-अंतरण हुई रेलवे कार्मिक भविष्य निधि	अन्य देयताएं	3536	2000-01
44.	8010.105-अन्य ट्रस्ट	अन्य देयताएं	1923	1999-00

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन संघ लेखे 2012-13

क्र. सं.	शीर्ष का नाम	निधि की प्रकृति रिजर्व	31 मार्च 2013 को शेष (₹ हजार में)	निम्न से निष्क्रिय
45.	8010.102-अवध के स्वर्गीय राजा के द्वारा दान	अन्य देयताएं	9104	1992-93
46.	8010.104-धर्मार्थ एवं शिक्षण संस्थाओं के दान	अन्य देयताएं	12	2008-09
47.	8011.102-पारिवारिक पेंशन निधि	अन्य देयताएं	610	2008-09
48.	8012.103-ग्रामीण विद्युत कार्पोरेशन को जारी विशेष प्रतिभूति	अन्य देयताएं	1628305	1988-89
कुल			46122208	

अनुबंध 2.5

(पैराग्राफ 2.4.1 के संदर्भ में)

विदेश में किए गए क्रयों के लिए उचित लेखा में शेष राशि (2003 से)

(₹ हजार में)

क्रम संख्या	आयातक का नाम	मामलों की संख्या	राशि
1.	सड़क एवं भवन विभाग गुजरात	1	1104
2.	तमिलनाडु राज्य विद्युत बोर्ड	1	5198
3.	परिवारिक स्वास्थ्य सहायता महाराष्ट्र	1	218
4.	मैसूर सीमेंट लिमिटेड	1	4326
5.	रेल मंत्रालय	2	8399
6.	पाईसाईट फोस्टफेट एवं रसायन लिमिटेड	2	249513
7.	रेल कोच कारखाना (कपूरथला)	1	1895
8.	रेलवे बोर्ड	1	13138
9.	रेल स्प्रिंग कुण्डली	1	7111
10.	जल संसाधन मंत्रालय	2	5233
11.	पवन हंस लिमिटेड	1	574384
12.	दूर संचार विभाग	6	14737
13.	उर्वरक एवं रसायन त्रावणकोर लिमिटेड	1	341
14.	भारतीय कृषि उर्वरक सहकारी लिमिटेड	3	14257
15.	लेडी हार्डिंग चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध अस्पताल	1	9962
16.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	1	136
17.	गृह मंत्रालय	1	2255
18.	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	3	3729
19.	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तकनीकी	3	15277
20.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1	48297
21.	कोचीन पोर्ट ट्रस्ट	1	3648
22.	दिल्ली विद्युत आपूर्ति उपक्रम दिल्ली	1	78009
23.	भिलाई स्टील प्लांट	1	1200
24.	कोल इंडिया लिमिटेड (पश्चिम बंगाल)	3	231832
25.	सी.एम.ए.एल.-डी.एल.	1	348
26.	झांझरा भिलाई इस्पात संयंत्र	1	906
27.	तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग	2	59427
28.	आ.प्र. राज्य विद्युत बोर्ड आ.प्र.	1	47476
29.	भारतीय हैलीकॉप्टर कार्पोरेशन	1	672356
30.	कृषि वर्षा कृषि तथा पूर्वी एवं पश्चिमी घाट परियोजना	1	7079
31.	वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों का विभाग	1	4560
32.	जिला गरीबी उपक्रमण परियोजना	1	14630
33.	कृषि मंत्रालय	1	3602
योग		50	2104583

अनुबंध 2.6

(पैराग्राफ 2.4.2 के संदर्भ में)

ऋण, जमा तथा प्रेषण के अंतर्गत प्रतिकूल शेष

(₹ हजार में)

क्र.सं.	लेखा शीर्ष (मुख्य/लघुशीर्ष)	31.03.2012 को शीर्ष	अवधि जब से शेष प्रतिकूल हुए
विवरणी सं. 13			
1.	8115.00.101 विमूल्यन रिजर्व निधि-रेलवे (वाणिज्यिक लाईन)	डेबिट 27167883	2009-10
2.	8117.00.101 रेलवे विकास निधि (वाणिज्यिक लाईन)	डेबिट 15480118	2009-10
3.	8118.00.106 रेलवे पूंजीगत निधि	डेबिट 3252349	2010-11
4.	8121.00.103 रेलवे पेंशन निधि- वाणिज्यिक लाईन	डेबिट 18908664	2009-10
5.	8229.00.200 अन्य विकास एवं कल्याण निधि	डेबिट 2004601	2007-08
6.	8231.00.102 रेलवे सुरक्षा निधि (सामरिक)	डेबिट 1	2004-05
7.	8443.00.111 अन्य विभागीय जमा	डेबिट 492074	2006-07
8.	8445.00.104 रेलवे जमा ट्रस्ट ब्याज खाता	डेबिट 198265	2005-06
9.	8445.00.800 रेलवे जमा-अन्य जमा	डेबिट 7693048	2005-06
10.	8446.00.800 डाक संबंधी जमा अन्य जमा	डेबिट 159441	2005-06
11.	8448.00.102 निगम निधि स्थानीय निधि जमा	डेबिट 3	2007-08
12.	8448.00.104 भारतीय बीमा संघ की निधियां स्थानीय निधियों के जमा	डेबिट 291	Pre-1976-77
13.	8451.00.101 भोपाल गैस लीक आपदा राहत निधि-दावे एवं राहत निधि	डेबिट 9309008	2005-06
14.	8451.00.102 भोपाल गैस लीक आपदा राहत निधि-दावे राहत निधि निवेश खाता	डेबिट 9216338	2005-06
15.	8670.00.101 पूर्व लेखापरीक्षा चैक	डेबिट 16681951	2011-12
16.	8670.00.111 लेखा एवं संवितरण कार्यालय इलैक्ट्रॉनिक सलाह	डेबिट 7968473	2011-12
विवरणी सं. 14			
17.	6002.00. 207 यूरोपियन आर्थिक समूह से कर्ज	डेबिट 771524	2000-01
18.	6002.00. 208 फ्रांस सरकार से कर्ज	डेबिट 24799504	2000-01
19.	6002.00. 223 स्विस् संघ सरकार और स्विस् बैंक से कर्ज	डेबिट 98913	2010-11

क्र.सं.	लेखा शीर्ष (मुख्य/लघुशीर्ष)	31.03.2012 को शीर्ष	अवधि जब से शेष प्रतिकूल हुए
20.	6002.00. 226 अंतरराष्ट्रीय विकास अमेरिका के लिए अभिकरण से ऋण	डेबिट 6707281	1995-96
21.	6002.00. 227 पी.एल.-480 परिवर्तनीय स्थानीय मुद्रा जमा के अधीन यू.एस.ए. सरकार से कर्जा	डेबिट 4787983	1995-96
22.	8013.01.101 जमा सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए योजना, 1989	डेबिट 655086	2007-08
विवरणी सं. 14-क			
23.	6001.00.105 अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निमाण एवं प्रतिभूतियाँ	डेबिट 404339	2010-11
24.	6001.00.105 अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था, अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष को जारी प्रतिभूतियाँ	डेबिट 200120	2002-03
25.	6001.00.106 क्षतिपूर्ति एवं अन्य ऋणपत्र-7% बचत ऋणपत्र 2002	डेबिट 117466	2009-10
विवरणी सं. 15			
26.	6202.01. 203 विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा	क्रेडिट 1568	2004-05
27.	6215.02.800 अन्य कर्जे	क्रेडिट 18346	2001-02
28.	6216.80.190 सार्वजनिक निकाय एवं अन्य उपक्रम को कर्जे	क्रेडिट 2	2008-09
29.	6216.80.800 अन्य कर्जे	क्रेडिट 11889	2010-11
30.	6225-01-800 अन्य कर्जे	क्रेडिट 829	1994-95
31.	6245.01.101 पेंशन सहायता	क्रेडिट 830	1986-87
32.	6245.02.101 पेंशन सहायता	क्रेडिट 2157	1997-98
33.	6402.00.102 मृदा संरक्षण	क्रेडिट 7625	1995-96
34.	6402.00.203 भूमि -सुधार एवं विकास	क्रेडिट 592	2007-08
35.	6404.00.800 अन्य कर्जे	क्रेडिट 4642331	2004-05
36.	6405.00.106 मछली पकड़ने के शिल्प मशीनीकरण	क्रेडिट 532	2006-07
37.	6416.00.190 सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को ऋण	क्रेडिट 174472	2012-13
38.	6425.00.108 अन्य सहकारिताओं को ऋण	क्रेडिट 3975945	2003-04
39.	6515.00.102 समुदाय विकास	क्रेडिट 121	1986-87

क्र.सं.	लेखा शीर्ष (मुख्य/लघुशीर्ष)	31.03.2012 को शीर्ष	अवधि जब से शेष प्रतिकूल हुए
40.	6801.00.201 जल विद्युत उत्पादन	क्रेडिट 3068415	2004-05
41.	6801.00.205 ट्रांसमिशन एवं वितरण	क्रेडिट 1240335	2005-06
42.	6851.00.102 लघु उद्योग	क्रेडिट 4222	2006-07
43.	7052.02.101 एस.डी.एफ.सी. को कर्जे	क्रेडिट 2941224	2011-12
44.	7053.00.190 सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को ऋण	क्रेडिट 377537	2010-11
45.	7425.00.800 अन्य कर्जे	क्रेडिट 3074	2005-06
46.	7475.00.102 व्यापार संस्थान	क्रेडिट 25000	2011-12
47.	7601.01.436 फसल कृषिकर्म- वाणिज्यिक फसलें	क्रेडिट 1	2012-13*
48.	7601.03.413 सहकारिता- अन्य सहकारिता को ऋणें	क्रेडिट 4184	2012-13*
49.	7601.03.501 मृदा एवं जल संरक्षण- मृदा संरक्षण योजनाएं	क्रेडिट 2033	2012-13*
50.	7601.03.576 पशु-पालन-मवेशी एवं भैंस विकास	क्रेडिट 11	2012-13*
51.	7601.03.601 दुग्धशाला विकास	क्रेडिट 29	2012-13*
52.	7601.03.727 ग्रामीण एवं लघु उद्योग - लघु उद्योग	क्रेडिट 139	2012-13*
53.	7601.03.786 बाढ़ नियंत्रण - अन्य ऋणें	क्रेडिट 71707	2012-13*
54.	7601.03.787 समुद्री कटाव विरोधी योजनाएं- अन्य ऋणें	क्रेडिट 1239	2012-13*
55.	7601.04.267 जल आपूर्ति - अन्य ऋणें	क्रेडिट 149604	2012-13*
56.	7601.04.312 शहरी विकास- लघु/मध्यम शहरों का समेकित विकास	क्रेडिट 191427	2012-13*
57.	7601.04.360 अनुसूचित जन-जातियों का कल्याण- अन्य ऋणें	क्रेडिट 408	2012-13*
58.	7601.04.411 सहकारिता-साख सहकारियाँ	क्रेडिट 32522	2012-13*
59.	7601.04.413 अन्य सहकरियां	क्रेडिट 1686	2012-13*
60.	7601.04.436 फसल कृषिकर्म-वाणिज्यिक फसलें	क्रेडिट 131131	2012-13*
61.	7601.04.443 फसल कृषिकर्म-अन्य ऋणें	क्रेडिट 326226	2012-13*
62.	7601.04.501 मृदा एवं जल संरक्षण- मृदा संरक्षण योजनाएं	क्रेडिट 962.29	2012-13*
63.	7601.04.579 पशु-पालन-भेड़ एवं ऊा विकास	क्रेडिट 175	2012-13*

क्र.सं.	लेखा शीर्ष (मुख्य/लघुशीर्ष)	31.03.2012 को शीर्ष	अवधि जब से शेष प्रतिकूल हुए
64.	7601.04.601 दुग्धशाला विकास	क्रेडिट 36	2012-13*
65.	7601.04.726 ग्रामीण एवं लघु उद्योग- हस्तकरघा उद्योग	क्रेडिट 6960	2012-13*
66.	7601.04.727 ग्रामीण एवं लघु उद्योग- लघु उद्योग	क्रेडिट 853	2012-13*
67.	7601.04.729 ग्रामीण एवं लघु उद्योग- नारियल जटा उद्योग	क्रेडिट 354	2012-13*
68.	7601.04.747 ग्रामीण एवं लघु उद्योग- अन्य ग्रामीण उद्योग	क्रेडिट 1088	2012-13*
69.	7601.04.786 बाढ़ नियंत्रण - अन्य ऋण	क्रेडिट 4730	2012-13*
70.	7601.04.825 अंतर्राज्यीय या आर्थिक महत्व के मार्ग- कार्य	क्रेडिट 17910	2012-13*
71.	7601.04.826 अंतर्राज्यीय या आर्थिक महत्व के मार्ग - मशीनरी एवं उपकरण	क्रेडिट 555	2012-13*
72.	7601.04.871 अंतर्देशीय जल परिवहन - अन्य ऋण	क्रेडिट 897	2012-13*
73.	7601.07.800 अन्य ऋण	क्रेडिट 1580	2012-13*
74.	7602.04.412 सहकारिता- उपभोक्ता सहकारियाँ	क्रेडिट 14	2012-13*
75.	7605.00.071 मोजाम्बिक सरकार को ऋण	क्रेडिट 1	2012-13*
76.	7605.00.094 मॉरिशस सरकार को ऋण	क्रेडिट 13313	2012-13*
सरकारी कर्मचारियों इत्यादि को ऋण			
77.	7610.00.203 अन्य वाहनों के क्रय के लिए अग्रिम	क्रेडिट 380141	2004-05
विवरणी सं. 16			
78.	8002.00.103 राजकोष बचत जमा प्रमाणपत्र	डेबिट 6962	1976-77
79.	8002.00.104 रक्षा बचत प्रमाणपत्र	डेबिट 1726	2012-13
80.	8002.00.105 बचत प्रमाण पत्र (बैंक क्रम)	डेबिट 189	2007-08
81.	8002.00.106 राष्ट्रीय विकास बॉण्ड्स	डेबिट 12940	2012-13

*म.नि.ले.प. ने बताया कि वित्त मंत्रालय द्वारा अपनाने हेतु लंबित रहने तथा 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार प्रतिकूल शेष, शेषों को बट्टे खाते में डालने के कारण थे।

अनुबंध 2.7

(पैराग्राफ 2.4.5 के संदर्भ में)

विभाग द्वारा प्रबंधित सरकारी उपक्रम के सारांशीकृत वित्तीय परिणाम 2012-13

क्र.सं.	उपक्रम का नाम	अंतिम तैयारी लेखे की अवधि
कृषि मंत्रालय		
1.	दिल्ली दुग्ध योजना	2012-13
2.	शीत -सह हिमीकरण, संयन्त्र, कोच्ची	2009-10
परमाणु ऊर्जा विभाग		
3.	परमाणु ईंधन परिसर, हैदराबाद	2010-11
4.	भारी जल संयंत्र मुंबई	2010-11
रक्षा मंत्रालय		
5.	कैंटीन भंडारण विभाग	2011-12
वित्त मंत्रालय		
6.	सरकारी क्षारद निर्माण, नीमच	2010-11
7.	सरकारी क्षारद निर्माण, गाजीपुर	2009-10
8.	सरकारी अफीम कारखाना, गाजीपुर	2009-10
9.	सरकारी अफीम कारखाना, नीमच	2010-11
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय		
10.	केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली	2006-07
11.	राजकीय चिकित्सा भंडार डिपो, कोलकाता	2007-08
12.	राजकीय चिकित्सा भंडार, हैदराबाद	2009-10
13.	राजकीय चिकित्सा भंडार, नई दिल्ली	2008-09
14.	राजकीय चिकित्सा भंडार विभाग, मुंबई	2006-07
15.	केन्द्रीय मनोचिकित्सा संस्थान का शाकाहारी बगीचा कांके, राँची	2011-12
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय		
16.	फिल्म शाखा, मुंबई	2009-10
ऊर्जा मंत्रालय		
17.	विद्युत विभाग, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	2010-2011
18.	विद्युत विभाग, लक्षद्वीप	2008-09
नौपरिवहन मंत्रालय		
19.	प्रकाश गृह एवं द्वीप नौका, नोएडा	2011-12
20.	अण्डमान नौका सेवा	2004-05
21.	नौ परिवहन सेवाएं अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2009-10
22.	समुद्रीय विभाग (डाकयार्ड) अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2003-04
सड़क एवं परिवहन मंत्रालय		
23.	चंडीगढ़ परिवहन उपक्रम	2009-10
24.	राज्य परिवहन सेवा, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2011-12
शहरी विकास मंत्रालय		
25.	प्रकाशन विभाग	2000-01 से आगे
26.	भारत सरकार प्रेस, मिन्टो रोड, नई दिल्ली	2011-12

क्र.सं.	उपक्रम का नाम	अंतिम तैयारी लेखे की अवधि
27.	भारत सरकार प्रेस, रिंग रोड, नई दिल्ली	2011-12
28.	भारत सरकार प्रेस, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली	2011-12
29.	भारत सरकार प्रेस, निलोखरी	2012-13
30.	भारत सरकार प्रेस, फरीदाबाद	2012-13
31.	भारत सरकार प्रेस, शिमला	2012-13
32.	भारत सरकार प्रेस, कोयम्बटूर	2012-13
33.	भारत सरकार टेक्स्ट बुक प्रेस, भुवनेश्वर	2011-12
34.	भारत सरकार टेक्स्ट बुक प्रेस, मैसूर	2011-12
35.	भारत सरकार प्रेस, कोलकाता	2011-12
36.	भारत सरकार प्रेस, कोरट्टी	2012-13
37.	भारत सरकार प्रेस, नासिक	2012-13
38.	भारत सरकार प्रेस, अलीगढ़	2011-12
39.	भारत सरकार टेक्स्ट बुक प्रेस, चंडीगढ़	2012-13
40.	भारत सरकार प्रेस, गंगटोक	2007-08
41.	भारत सरकार प्रेस, सत्रगाची, हावड़ा	2011-12

अनुबंध 2.8

(पैराग्राफ 2.4.6 के संदर्भ में)

2012-13 के दौरान कुल हानि/माफ किए गए हानियों एवं अप्राप्य बकायों का विवरण

(₹ लाख में)

मंत्रालय/विभाग का नाम	हानि को बट्टे खाते में डालने से एवं अप्राप्य बकायों के कारण									
	प्रणाली की विफलता		उपेक्षा/ कपट आदि		अन्य कारण		वसूली की छूट		अनुग्रही भुगतान	
	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
परमाणु ऊर्जा विभाग	0	0	0	0	26	10.5	0	0	0	0
शहरी विकास	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8.96
अंतरिक्ष विभाग	0	0	0	0	4	0.80	2	11.14	0	0
डाक व दूरसंचार	24	0.03	35	31.73	47	31.18	32	40.01	153	5.38
जल संसाधन मंत्रालय	5	9.05	1	0.37	5	2.78	0	0	0	0
मण्डलीय वन अधिकारी, दक्षिण अण्डमान	0	0	0	0	3	3.91	0	0	2	1.13
वित्त मंत्रालय सी.बी.ई.सी.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10
उपभोक्ता मामलों एवं खाद्य जन वितरण मंत्रालय	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.08
औद्योगिक एवं खनन विभाग	0	0	0	0	1	0.07	0	0	0	0
वित्त मंत्रालय, सेबी कोलकाता	0	0	0	0	1	1.25	0	0	0	0
संस्कृति मंत्रालय-आर.आर.एल.एफ. कोलकाता	0	0	0	0	1	0.02	0	0	0	0
पर्यटन मंत्रालय एवं सी.एन.सी.एस.एम. कोलकाता	0	0	0	0	3	17.43	0	0	0	0
संस्कृति मंत्रालय वी.एम.एच. कोलकाता	0	0	0	0	1	9.26	0	0	0	0
संस्कृति मंत्रालय आई.एम. कोलकाता	0	0	0	0	2	0.31	0	0	0	0
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ई.पी.एफ.ओ हावड़ा	0	0	0	0	1	34.59	0	0	0	0
वित्त मंत्रालय आर्थिक मामलों का विभाग	0	0	0	0	1	0.43	0	0	0	0
कृषि मंत्रालय	0	0	0	0	2	0.72	0	0	0	0
अण्डमान व निकोबार प्रशासन	0	0	0	0	0	0	0	0	03	29.16
रोड़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	05	2.80	15	34.06	54	129.44	01	0.21	05	8.70

मंत्रालय/विभाग का नाम	हानि को बट्टे खाते में डालने से एवं अप्राप्य बकायों के कारण									
	प्रणाली की विफलता		उपेक्षा/ कपट आदि		अन्य कारण		वसूली की छूट		अनुग्रही भुगतान	
	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण का मुंबई बेस, मुंबई	0	0	0	0	0	0.05	0	0.05	0	0
भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण बोटा वाला चेम्बर, मुंबई	0	0	0	0	0	0.02	0	0	0	0
योग	34	11.88	51	66.16	152	242.76	35	51.41	167	63.41
बट्टे खाते मामले में डाली गई हानियाँ: मामले- 237, राशि ₹320.80							माफ की गई वसूली एवं अनुग्रह भुगतान: मामले 202, ₹114.82			

अनुबंध-3.1

(पैराग्राफ 3.2 के संदर्भ में)

प्राधिकरण तथा संवितरण

(₹ करोड़ में)

संवितरणों की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/विनियोग	योग	वास्तविक संवितरण	बचत (-) आधिक्य (+)
क- सिविल					
दत्तमत					
I. राजस्व	919615.39	71562.39	991177.78	883875.92	(-) 107301.86
II. पूंजीगत (ऋण एवं अग्रिम सहित)	159440.81	4443.97	163884.78	93194.59	(-) 70690.19
योग	1079056.21	76006.35	1155062.56	977070.51	(-) 177992.05
प्रभारित					
III. राजस्व	387306.10	4844.46	392150.56	378805.71	(-) 13344.85
IV. पूंजीगत (ऋण एवं अग्रिम तथा लोक ऋण सहित)	3798123.77	31.00	3798154.77	3437589.76	(-) 360565.01
योग	4185429.87	4875.46	4190305.33	3816395.47	(-) 373909.86
कुल योग	5264486.08	80881.81	5345367.89	4793465.98	(-) 551901.91
संवितरणों की कटौती में वसूलियां			131006.19	115890.39	
कुल निवल प्रावधान			5214361.70		
कुल निवल संवितरण				4677575.59	

ख - डाक					
दत्तमत					
I. राजस्व	14379.61	940.88	15320.49	15480.63	+160.14
II. पूंजीगत	615.77	--	615.77	145.59	-470.18
योग	14995.38	940.88	15936.26	15626.22	-310.04
प्रभारित					
III. राजस्व	0.10	0.65	0.75	0.52	-0.23
IV. पूंजीगत	--	0.69	0.69	0.68	-0.01
योग	0.10	1.34	1.44	1.20	-0.24
कुल योग	14995.48	942.22	15937.70	15627.42	-310.28
संवितरणों की कटौती में वसूलियां		665.05	665.05	688.77	
कुल निवल प्रावधान			15272.65		
कुल निवल संवितरण				14938.65	

(₹ करोड़ में)

संवितरणों की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/विनियोग	योग	वास्तविक संवितरण	वचत आधिक्य (+)
ग - रक्षा सेवाएं					
दत्तमत					
I राजस्व	118876.67	--	118876.67	116707.76	-2168.91
II. पूंजी	79526.98	0.01	79526.99	70483.32	-9043.67
योग	198403.65	0.01	198403.66	187191.08	-11212.58
प्रभारित					
III. राजस्व	59.60	10.99	70.59	262.11	(+)191.52
IV. पूंजी	51.65	--	51.65	15.80	-35.85
योग	111.25	10.99	122.24	277.91	(+)155.67
कुल योग	198514.90	11.00	198525.90	187468.99	-11056.91
संवितरणों की कटौती में वसूलियां			541.82	484.78	
कुल निवल प्रावधान			197984.08		
कुल निवल संवितरण				186984.21	(-)10999.87

घ - रेलवे					
दत्तमत					
	241816.89	2731.91	244548.80	226054.95	-18493.85
प्रभारित					
	259.24	81.44	340.68	284.35	-56.33
योग	242076.13	2813.35	244889.48	226339.30	-18550.18
04 - रक्षा आयुध कारखाना					
संवितरणों की कटौती में वसूलियां			79254.00	76026.97	
कुल निवल प्रावधान			165635.48		
कुल निवल संवितरण				150312.33	

कुल

योग	दत्तमत	1534272.13	79679.15	1613951.28	1405942.76	-208008.52
भा.सं.नि.	प्रभारित	4185800.46	4969.23	4190769.69	3816958.93	-373810.76
कुल योग भा.सं.नि.		5720 072.59	84648.38	5804720.97	5222901.69	-581819.28
व्यय की कटौती में कुल वसूलियां				211467.06	193090.91	18376.15
विनियोग लेखे (भा.सं.नि.) के अनुसार कुल व्यय				5593253.91	5029810.78	563443.13
वित्त लेखे के आंकड़ों के साथ भिन्नता					(+) 0.02	
वित्त लेखे के अनुसार भा.सं.नि. से कुल संवितरण					5029810.80	

टिप्पणी: अनुदानों की मांगों में, प्रभारित संवितरण का प्रावधान विनियोग कहलाता है और दत्तमत संवितरण कहलाता है।

भा.सं.नि.: भारत की संचित निधि

अनुबंध -3.2

(पैराग्राफ 3.2 के संदर्भ में)

अनुदानों/विनियोगों में निवल बचतें

(₹ करोड़ में)

प्रभावित अनुदानें तथा विनियोग	अव्ययित प्रावधान		आधिव्यय		निवल बचत (-) निवल आधिव्यय (+)	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
क - सिविल						
दत्तमत	111167.63	70690.19	3865.77	--	(-)107301.86	(-)70690.19
अनुदानों की संख्या	91	70	2	--		
प्रभारित	14044.47	360565.01	699.62	--	(-)13344.85	(-)360565.01
विनियोगों की संख्या	32	11	3	--		
ख - डाक						
दत्तमत		470.18	160.14		+160.14	(-)470.18
अनुदानों की संख्या		1	1			
प्रभारित	0.23	0.01			-0.23	-0.01
विनियोगों की संख्या	1	1				
ग - रक्षा सेवाएं						
दत्तमत	2168.91	9043.67	--	-	(-)2168.91	(-)9043.67
अनुदानों की संख्या	5	1	--	-	-	-
प्रभारित	4.01	35.85	195.53	-	(+)191.52	(-)35.85
विनियोगों की संख्या	2	1	3	-	-	-
घ - रेलवे						
दत्तमत	11022.42	9140.38	1668.94	-	(-) 9353.48	(-) 9140.38
अनुदानों की संख्या	12	4*	3	-		
प्रभारित	44.52	13.10	1.30	-	(-)43.22	(-)13.10
विनियोगों की संख्या	5	4*	7	-		

* एक अनुदान के चार खण्ड

अनुबंध-3.3

(पैराग्राफ 3.3 के संदर्भ में)

सिविल मंत्रालयों/ विभागों के अंतर्गत प्रभारित तथा दत्तमत संवितरणों का वर्ष-वार समानुपात

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	प्राधिकरण			संवितरण				
		दत्तमत	प्रभारित	योग	दत्तमत	प्रभारित	योग	प्रतिशतता	
								दत्तमत	प्रभारित
1.	2000-01	173677	530530	704207	160753	405289	566042	28	72
2.	2001-02	218136	481679	699815	201574	473950	675524	30	70
3.	2002-03	230649	547152	777801	213833	504119	717952	30	70
4.	2003-04	254328	564275	818603	231100	599889	830989	28	72
5.	2004-05	278555	703835	982390	252254	724942	977196	26	74
6.	2005-06	330051	1193138	1523189	301269	1288817	1590086	19	81
7.	2006-07	449178	1635986	2085164	415785	1670413	2086198	20	80
8.	2007-08	551115	1894750	2445865	519214	1818879	2338093	22	78
9.	2008-09	780316	2440552	3220868	744116	2404957	3149073	24	76
10.	2009-10	830706	3525606	4356312	768458	3349254	4117712	19	81
11.	2010-11	986064	3697775	4683839	918675	3104657	4023332	23	77
12.	2011-12	1060295	3875262	4935557	921280	3840960	4762240	19	81
13.	2012-13	1155063	4190305	5345368	977071	3816395	4793466	20	80

अनुबंध-3.4

(पैराग्राफ 3.6 के संदर्भ में)

निधियों के पर्याप्त पुनर्विनियोग के बिना अधिक व्यय के मामले दर्शाने वाली विवरणी
(₹ पांच करोड़ और उससे अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लघु/उप-शीर्ष	प्रावधान	वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य व्यय
सिविल				
21- रक्षा पेंशन				
1.	2071.02.101.01-पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	मू. अ. सं. 33971.48 211.91 (-)70.59	37570.70	3457.90
2.	2071.02.102.01-पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	मू. अ. सं. 1322.20 16.59 (-)10.13	1517.85	189.19
3.	2071.02.103.01-पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	मू. अ. सं. 2312.36 10.30 (-)59.08	2525.03	261.45
31- विदेश मंत्रालय				
4.	2061.00.101.01-प्रबंधन एवं स्थापना	मू. अ. सं. 1526.22 15.00 (+)92.42	1709.57	75.93
5.	2061.00.789.03-संयुक्त राष्ट्र संगठन	मू. सं. 152.80 (-)7.50	150.96	5.66
6.	3605.00.101.12-श्रीलंका-अन्य सहायता कार्यक्रम	मू. सं. 290.00 (-)57.04	248.20	15.24
34- विनियोग-ब्याज भुगतान				
7.	2049.02.217 जापान सरकार से लिए गए ऋण पर ब्याज	मू. सं. 1517.03 (-)47.24	1475.08	5.29
8.	2049.03.104.01-सामान्य भविष्य निधि	मू. सं. 6329.24 (-)988.48	5907.44	566.68
9.	2049.03.104.02-अन्य राज्य भविष्य निधि	मू. सं. 1443.50 (+)455.76	3091.08	1191.82
10.	2049.03.104.04-राज्य रेलवे भविष्य निधि	मू. सं. 2042.53 (-)56.23	2144.74	158.44
11.	2049.03.108.06-डाक बीमा एवं जीवन वृत्ति निधि	मू. सं. 474.54 (-)44.88	961.89	532.23
39- पेंशन				
12.	2071.01.101.01-साधारण पेंशन	मू. सं. 10221.01 (-)387.00	9872.67	38.66
13.	2071.01.104.01-साधारण पेंशन	मू. सं. 2476.85 (-)208.15	2349.21	80.51
14.	2071.01.117.01-सरकारी अंशदान	मू. सं. 1000.00 (+)130.00	1197.36	67.36

**निधियों के पर्याप्त पुनर्विनियोग के बिना अधिक व्यय के मामले दर्शाने वाली विवरणी
(₹ पांच करोड़ और उससे अधिक)**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लघु/उप-शीर्ष	प्रावधान	वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य व्यय
46- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग				
15.	2210.06.101.31-राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम	मू. सं. 27.22 (-)16.83	22.64	12.25
16.	2211.00.109.09-नियमित टीकाकरण कार्यक्रम	मू. सं. 467.64 (+)52.43	525.38	5.31
17.	3601.04.246.02- नियमित टीकाकरण कार्यक्रम	मू. सं. 512.37 (-)180.21	339.17	7.01
54- पुलिस				
18.	2055.00.102.01- स्थापना	मू. अ. सं. 8968.04 2.79 (+)623.84	9696.02	101.35
19.	2055.00.105.01 महानिदेशालय सीमा सुरक्षा बल	मू. अ. सं. 8413.93 1.81 (+)443.89	8933.55	73.92
20.	2055.00.105.03-भारत तिब्बत सीमा पुलिस	मू. अ. सं. 2320.65 1.80 (+)89.17	2457.48	45.86
21.	2055.00.107.01-निर्देशन एवं प्रशासन	मू. अ. सं. 3766.12 1.80 (+)197.01	3990.42	25.49
22.	2055.00.120.01- स्थापना	मू. अ. सं. 1844.88 1.80 (+)227.60	2114.00	39.72
74- योजनाएं				
23.	3475.00.800.83 योजनागत लेखांकन और लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली	मू. सं. 130.00 -120.89	14.45	5.34
100- लक्षद्वीप				
24.	2202.80.198.01- पंचायतें	मू. अ. सं. 70.49 19.67 (-)2.46	95.66	7.96
25.	4059.80.051.26-भवन	मू. सं. 1.00 (-)0.75	7.30	7.05
102- लोक निर्माण विभाग				
26.	2059.01.104.01- स्थानीय निकायों को किराया दरों एवं करों का भुगतान	मू. सं. 135.37 शून्य	152.29	16.92
रक्षा सेवाएं				
22- रक्षा सेवाएं - थल सेना				
27.	2076.00.101- थल सेना के वेतन एवं भत्ते (प्रभारित)	मू. सं. 13.00 (-)1.69	187.42	176.11

**निधियों के पर्याप्त पुनर्विनियोग के बिना अधिक व्यय के मामले दर्शाने वाली विवरणी
(₹ पांच करोड़ और उससे अधिक)**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लघु/उप-शीर्ष	प्रावधान	वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य व्यय
28.	2076.00.101 थल सेना के वेतन एवं भत्ते (दत्तमत)	मू. सं. 45014.03 (-) 1341.00	45151.99	1478.96
29.	2076.00.104- गैर-सैनिकों के वेतन एवं भत्ते	मू. सं. 3660.57 (-)90.32	3673.96	103.71
30.	2076.00.109-निरीक्षण संगठन	मू. सं. 795.98 (-)124.22	696.56	24.80
31.	2076.00. 111- निर्माण कार्य	मू. सं. 5634.95 (+)115.00	5768.73	18.78
32.	2076.00.112-राष्ट्रीय राईफल	मू. सं. 3497.80 (+) 168.43	4076.22	409.99
33.	2076.00.113-राष्ट्रीय क्रेडिट कोर (रा.कै.को.)	मू. सं. 1076.58 (-)293.24	790.25	6.91
23 – रक्षा सेवाएं - नौ सेना				
34.	2077.00.101- नौ सेना के वेतन एवं भत्ते (प्रभारित)	मू. सं. 0.70 (+)3.04	14.10	10.36
35.	2077.00.101- नौ सेना के वेतन एवं भत्ते	मू. सं. 3430.00 (-)534.76	3126.53	231.29
36.	2077.00.104- गैर-सैनिकों के वेतन एवं भत्ते	मू. सं. 1844.00 (-)353.00	1548.13	57.13
37.	2077.00.105- परिवहन	मू. सं. 400.00 (-)65.53	380.49	46.02
38.	2077.00.106- मरम्मत एवं दुरुस्ती	मू. सं. 700.00 (-)61.77	653.81	15.58
39.	2077.00.110- भण्डार	मू. सं. 3896.00 (+)38.68	3981.91	47.23
40.	2077.00.111 – निर्माण कार्य	मू. सं. 750.00 (-)28.08	759.64	37.72
41.	2077.00.112 – संयुक्त स्टाफ	मू. सं. 1371.82 (-)114.07	1294.38	36.63
42.	2077.00.800-अन्य व्यय	मू. सं. 350.00 (-)34.58	351.07	35.65
24 – रक्षा सेवाएं – वायु सेना				
43.	2078.00.101-वायु सेना के वेतन एवं भत्ते (प्रभारित)	मू. अ. सं. 0.10 0.20 (+)1.03	12.47	11.14
44.	2078.00.101-वायु सेना के वेतन एवं भत्ते (दत्तमत)	मू. सं. 7379.68 (-)233.63	7492.37	346.32
45.	2078.00.104- गैर-सैनिकों के वेतन एवं भत्ते	मू. सं. 899.83 (-)65.15	872.49	37.81

निधियों के पर्याप्त पुनर्विनियोग के बिना अधिक व्यय के मामले दर्शाने वाली विवरणी
(₹ पांच करोड़ और उससे अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लघु/उप-शीर्ष	मू. सं.	प्रावधान	वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य व्यय
46.	2078.00.111- निर्माण कार्य	मू. सं.	1683.65 (-)37.95	1774.36	128.66
25 – रक्षा आयुध कारखाना					
47.	2079.00.054-उत्पादन	मू. सं.	4460.74 (-)433.77	4335.73	308.76
26 – रक्षा सेवाएं-अनुसंधान एवं विकास					
48.	2080.00.111- निर्माण कार्य	मू. सं.	546.45 (+)68.67	621.39	6.27
27 – रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय					
49.	4076.01.050-भूमि	मू. सं.	80.00 (-)22.99	65.11	8.10
50.	4076.01.103- अन्य उपकरण	मू. सं.	8250.04 (-)1738.72	6658.19	146.87
51.	4076.02.103- अन्य उपकरण	मू. सं.	3272.53 (-)828.44	2773.06	328.97
52.	4076.02.104- संयुक्त स्टाफ	मू. सं.	898.80 (-)0.04	924.21	25.45
53.	4076.02.202- निर्माण कार्य	मू. सं.	604.41 (-)181.68	527.10	104.37
54.	4076.02.204- नौसेनिक बेड़े	मू. सं.	13617.39 (-)2884.19	11074.27	341.07
55.	4076.02.205- नौसेनिक डॉकयार्ड	मू. सं.	1039.50 (-)443.32	751.84	155.66
56.	4076.03.050-भूमि	मू. सं.	90.00 (-)85.00	19.78	14.78
57.	4076.03.101- वायुयान एवं हवाई-इंजन	मू. सं.	23701.44 (-)154.24	23572.95	25.75
58.	4076.03.102-भारी एवं मध्यम वाहन	मू. सं.	0.00 (+)68.87	81.40	12.53
59.	4076.03.103- अन्य उपकरण	मू. सं.	4802.46 (+)2477.84	7398.65	118.35
60.	4076.03.206-विशेष परियोजना	मू. सं.	631.36 (-)52.49	586.98	8.11
	कुल				11860.38

अनुबंध-3.5

(पैराग्राफ 3.7 के संदर्भ में)

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अन्तर्गत ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक की बचतों को दर्शाती विवरणी

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	बजट आवंटन	बचतें	बजट आवंटन की प्रतिशतता
		(₹ करोड़ में)		
सिविल				
राजस्व – दत्तमत				
1.	01- कृषि अनुसंधान और सहकारिता विभाग	20466.80	2480.33	12
2.	02-कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग	5392.04	773.40	14
3.	03-पशुपालन, दुग्ध-उत्पादन एवं मत्स्य-पालन विभाग	2338.60	197.69	8
4.	04- परमाणु ऊर्जा	5564.05	233.31	04
5.	06-रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग	1764.00	100.78	06
6.	08-औषध विभाग	211.04	128.64	61
7.	09- नागरिक उड़्डयन मंत्रालय	1179.62	122.28	10
8.	11-वाणिज्य विभाग	4054.85	186.76	05
9.	12-औद्योगिक एवं उन्नयन विभाग	1494.19	173.78	12
10.	14-दूरसंचार विभाग	11587.39	3985.03	34
11.	15-यांत्रिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	2877.54	1117.86	39
12.	16- उपभोक्ता मामले विभाग	614.42	135.60	22
13.	20-रक्षा मंत्रालय (सिविल)	14723.46	711.62	05
14.	28-उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	1750.33	236.34	14
15.	29-भू-विज्ञान मंत्रालय	1464.45	406.00	28
16.	30-पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	3012.34	1091.15	36
17.	31- विदेश मंत्रालय	8288.95	311.05	04
18.	32- आर्थिक कार्य विभाग	9199.72	1587.03	17
19.	33- वित्तीय सेवाएं विभाग	8535.26	1270.16	15
20.	35 -राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अन्तरण	105786.55	21476.42	20
21.	39- पेंशन	19710.00	190.44	01
22.	41- राजस्व विभाग	1167.05	371.53	32
23.	46- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	30685.78	5109.84	17
24.	47-आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी विभाग (आयुष)	1161.23	406.04	35
25.	48-स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	908.03	187.59	21
26.	49-एड्स नियंत्रण विभाग	1751.56	436.85	25
27.	50-भारी उद्योग विभाग	558.87	184.78	33
28.	52-गृह मंत्रालय	2925.38	1345.01	46
29.	55-गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	1725.56	183.32	11
30.	56- संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अन्तरण	2154.89	305.68	14
31.	57- आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	1163.01	226.46	19
32.	58- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	70559.80	4691.40	7
33.	59-उच्चतर शिक्षा विभाग	25379.08	4868.65	19
34.	61- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	4634.46	807.90	17
35.	63-विधि एवं न्याय	1515.60	331.98	22
36.	65- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	3071.88	632.60	21
37.	67-अल्पसंख्यक मामला मंत्रालय	3054.70	980.02	32

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अन्तर्गत ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक की बचतों को दर्शाती विवरणी

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	बजट आवंटन	बचतें	बजट आवंटन की प्रतिशतता
		(₹ करोड़ में)		
38.	68-नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	1456.48	293.76	20
39.	70 – पंचायती राज मंत्रालय	5350.76	1413.49	26
40.	74-योजना मंत्रालय	1661.23	441.81	27
41.	75- विद्युत मंत्रालय	10949.40	9200.23	84
42.	81- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	22495.36	2836.25	13
43.	82- ग्रामीण विकास विभाग	129923.04	26266.79	20
44.	83-भू-संसाधन विभाग	3208.20	214.66	07
45.	84-पेय जल एवं स्वच्छता विभाग	14005.25	925.97	07
46.	85-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	2842.89	340.10	12
47.	86-वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग	3475.10	529.44	15
48.	87-जैव प्रौद्योगिकी विभाग	1500.40	217.56	15
49.	88-पोत परिवहन मंत्रालय	1403.45	566.08	40
50.	89- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	5708.33	939.48	16
51.	90-अंतरिक्ष विभाग	3575.94	761.47	21
52.	91- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	4926.36	461.50	9
53.	93- वस्त्र मंत्रालय	7775.70	3513.98	45
54.	94-पर्यटन मंत्रालय	1279.98	347.72	27
55.	95-जनजातीय कार्य मंत्रालय	410.21	127.80	31
56.	101-शहरी विकास विभाग	1321.73	232.27	18
57.	104- जल संसाधन मंत्रालय	1937.32	966.23	50
58.	105- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	18584.03	1547.22	8
59.	106- युवा मामले एवं खेल मंत्रालय	1150.75	152.94	13
राजस्व – प्रभारित				
60.	35-राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण	58357.46	13104.04	22
61.	95-जनजातीय कार्य मंत्रालय	3627.80	905.69	25
पूंजीगत – दत्तमत				
62.	4-परमाणु ऊर्जा	3822.32	1240.57	32
63.	5- नाभिकीय ऊर्जा योजना	567.07	385.74	68
64.	07-उर्वरक विभाग	244.04	244.04	100
65.	9- नागरिक उड्डयन मंत्रालय	6155.82	143.72	02
66.	11-वाणिज्य विभाग	971.68	146.59	15
67.	20-रक्षा मंत्रालय (सिविल)	1874.56	276.91	15
68.	28-उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	349.00	121.25	35
69.	31– विदेश मंत्रालय	2403.01	260.21	11
70.	32-आर्थिक कार्य विभाग	58961.13	52110.34	88
71.	33-वित्तीय सेवाएं विभाग	15902.02	1249.36	08
72.	42-प्रत्यक्ष कर	809.29	384.78	48
73.	43-अप्रत्यक्ष कर	119.21	109.26	92
74.	46- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2298.32	998.37	43
75.	54-पुलिस	9333.60	2999.21	32
76.	60- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	544.01	189.30	35
77.	74- योजना मंत्रालय	515.80	256.69	50
78.	75- विद्युत मंत्रालय	5464.22	235.64	04

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अन्तर्गत ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक की बचतों को दर्शाती विवरणी

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	बजट आवंटन	बचतें	बजट आवंटन की प्रतिशतता
		(₹ करोड़ में)		
79.	81- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	24643.50	5610.90	23
80.	88-पोत परिवहन मंत्रालय	583.09	217.55	37
81.	90-अंतरिक्ष विभाग	3138.22	1096.57	35
82.	96-अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	739.25	269.91	36
83.	99 दमन और दीव	350.44	125.66	36
84.	100-लक्षद्वीप	261.11	133.10	51
85.	101-शहरी विकास विभाग	6346.84	927.18	15
पूँजीगत – प्रभारित				
86.	35-राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण	12000.00	1347.30	11
87.	37-विनियोग - ऋण का पुनर्भुगतान	3786074.35	359181.41	09
रक्षा सेवाएं				
राजस्व - दत्तमत				
88.	22-रक्षा सेवाएं - थल सेना	79980.55	463.60	0.58
89.	23-रक्षा सेवाएं - नौसेना	12741.82	645.87	5
90.	24-रक्षा सेवाएं-वायु सेना	18322.87	200.37	1.09
91.	26-रक्षा सेवाएं - अनुसंधान एवं विकास	6034.95	816.63	14
पूँजीगत – दत्तमत				
92.	27-रक्षा सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	79526.99	9043.67	11
डाक सेवाएं				
पूँजीगत – दत्तमत				
93.	13-डाक विभाग	615.77	470.18	76
रेलवे				
राजस्व - दत्तमत				
94.	3-सामान्य अधीक्षण एवं सेवाएं	5343.50	112.13	2
95.	4-स्थायी मार्ग का मरम्मत एवं अनुरक्षण तथा निर्माण कार्य	8786.79	553.38	6
96.	7-संयंत्र एवं उपकरण की मरम्मत एवं अनुरक्षण	5062.24	256.93	5
97.	9-परिचालन व्यय-यातायात	15229.49	145.46	1
98.	11-कर्मचारी कल्याण और सुविधाएँ	4342.68	277.85	6
99.	12-विविध कार्य व्यय	4605.46	382.40	8
100.	14-निधियों का विनियोग - भविष्य निधि, मूल्य हास आरक्षित निधि, विकास निधि, पेंशन निधि, पूँजीगत निधि	43567.00	7730.75	18
101.	15-सामान्य राजस्व को लाभांश, सामान्य राजस्व से लिए गए ऋणों का पुनर्भुगतान तथा अतिपूँजीकरण का परिशोधन	9804.32	1337.81	14
पूँजीगत – दत्तमत				
102.	16- परिसम्पत्तियां - अधिग्रहण, निर्माण एवं विस्थापन - पूँजीगत	61239.51	476.68	0.78
103.	16- परिसम्पत्तियां - अधिग्रहण, निर्माण एवं विस्थापन - रेलवे सुरक्षा निधि	1998.40	414.32	21
104.	16-परिसम्पत्तियां-अधिग्रहण, निर्माण एवं विस्थापन-रेलवे निधि	20025.75	8217.50	41
		योग	586098.89	

अनुबंध-3.6

(पैराग्राफ 3.7 के संदर्भ में)

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अन्तर्गत ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक निरन्तर बचतों को दर्शाती विवरणी

अनुदान की संख्या तथा नाम	वर्ष	बजट आवंटन	वर्ष के दौरान बचतें	बजट आवंटन की प्रतिशतता
		(₹ करोड़ में)		
सिविल राजस्व (दत्तमत)				
1- कृषि एवं सहकारिता विभाग	2010-11	17776.21	471.03	03
	2011-12	17450.74	745.54	04
	2012-13	20466.80	2480.33	12
3-पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग	2010-11	1749.63	265.53	15
	2011-12	2021.25	373.79	18
	2012-13	2338.60	197.69	08
4-परमाणु ऊर्जा	2010-11	5096.90	257.71	05
	2011-12	5636.46	242.10	04
	2012-13	5564.05	233.31	04
6-रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग	2010-11	1641.32	413.75	25
	2011-12	1419.83	145.26	10
	2012-13	1764.00	100.78	06
9- नागरिक उड्डयन मंत्रालय	2010-11	1475.36	235.63	16
	2011-12	1010.70	191.22	19
	2012-13	1179.62	122.28	10
11-वाणिज्य विभाग	2010-11	5994.65	1388.81	23
	2011-12	5629.41	1891.18	34
	2012-13	4054.85	186.76	05
14-दूरसंचार विभाग	2010-11	10575.51	298.37	03
	2011-12	8745.83	111.54	01
	2012-13	11587.39	3985.03	34
15- यांत्रिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	2010-11	3558.03	578.06	16
	2011-12	2871.23	936.08	33
	2012-13	2877.54	1117.86	39
20-रक्षा मंत्रालय (सिविल)	2010-11	11895.28	436.97	04
	2011-12	13403.35	107.09	01
	2012-13	14723.46	711.62	05
28-उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के विकास का मंत्रालय	2010-11	1618.34	118.58	07
	2011-12	1631.58	107.71	07
	2012-13	1750.33	236.34	14
29-भू-विज्ञान मंत्रालय	2010-11	1079.67	109.93	07
	2011-12	1284.96	211.33	16
	2012-13	1464.45	406.00	28
32-आर्थिक कार्य मंत्रालय	2010-11	6845.63	674.55	10
	2011-12	8070.63	984.86	12
	2012-13	9199.72	1587.03	17
33-वित्तीय सेवाएं विभाग	2010-11	36686.98	1812.23	05
	2011-12	16391.96	9880.35	60
	2012-13	8535.26	1270.16	15
35 – राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र की सरकारों को अंतरण	2010-11	83988.83	12463.68	15
	2011-12	91403.62	8476.79	09
	2012-13	105786.55	21476.42	20

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अन्तर्गत ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक निरन्तर बचतों को दर्शाती विवरणी

अनुदान की संख्या तथा नाम	वर्ष	बजट आवंटन	वर्ष के दौरान बचतें	बजट आवंटन की प्रतिशतता
		(₹ करोड़ में)		
46 – स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2010-11	24142.17	875.44	04
	2011-12	26912.38	2130.62	08
	2012-13	30685.78	5109.84	17
52-गृह मंत्रालय	2010-11	4232.66	135.18	03
	2011-12	4921.61	1828.47	37
	2012-13	2925.38	1345.01	46
56- संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अन्तरण	2010-11	1924.11	307.80	16
	2011-12	2058.29	641.90	31
	2012-13	2154.89	305.68	14
57- आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	2010-11	1007.07	178.83	18
	2011-12	1107.63	147.14	13
	2012-13	1163.01	226.46	19
58- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	2010-11	53330.83	783.89	01
	2011-12	60158.65	1009.08	02
	2012-13	70559.80	4691.40	07
59-उच्चतर शिक्षा विभाग	2010-11	18783.34	3216.58	17
	2011-12	21981.74	2335.60	11
	2012-13	25379.08	4868.65	19
61- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	2010-11	3435.68	377.43	11
	2011-12	3789.20	299.77	08
	2012-13	4634.46	807.90	17
65- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	2010-11	2667.18	110.37	04
	2011-12	2834.54	672.31	24
	2012-13	3071.88	632.60	21
67-अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय	2010-11	2500.37	594.40	24
	2011-12	2751.01	568.23	21
	2012-13	3054.70	980.02	32
75- विद्युत मंत्रालय	2010-11	11418.97	3837.54	34
	2011-12	12018.97	7281.05	61
	2012-13	10949.40	9200.23	84
81- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	2010-11	18474.45	589.81	03
	2011-12	20026.47	651.83	03
	2012-13	22495.36	2836.25	13
82- ग्रामीण विकास विभाग	2010-11	148217.71	17918.55	12
	2011-12	149209.75	42368.46	28
	2012-13	129923.04	26266.79	20
88-पोत परिवहन मंत्रालय	2010-11	1654.44	489.53	30
	2011-12	2086.54	653.89	31
	2012-13	1403.45	566.08	40
89- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	2010-11	4374.05	338.88	08
	2011-12	5183.05	333.97	06
	2012-13	5708.33	939.48	16
90-अंतरिक्ष विभाग	2010-11	3100.26	542.78	18
	2011-12	3676.97	916.54	25
	2012-13	3575.94	761.47	21

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अन्तर्गत ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक निरन्तर बचतों को दर्शाती विवरणी

अनुदान की संख्या तथा नाम	वर्ष	बजट आवंटन	वर्ष के दौरान बचतें	बजट आवंटन की प्रतिशतता
		(₹ करोड़ में)		
91- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	2010-11	2287.84	308.66	13
	2011-12	4880.83	1761.88	36
	2012-13	4926.36	461.50	09
93- कपड़ा मंत्रालय	2010-11	13300.24	482.83	04
	2011-12	6099.24	1220.55	20
	2012-13	7775.70	3513.98	45
101-शहरी विकास विभाग	2010-11	1183.24	125.67	11
	2011-12	1232.54	151.30	12
	2012-13	1321.73	232.27	18
104- जल संसाधन मंत्रालय	2010-11	1050.56	121.13	12
	2011-12	1150.06	166.20	14
	2012-13	1937.32	966.23	50
105- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	2010-11	11070.55	370.56	03
	2011-12	16183.04	506.98	03
	2012-13	18584.03	1547.22	08
106- युवा मामले एवं खेल मंत्रालय	2010-11	2377.91	653.08	27
	2011-12	1117.01	132.30	12
	2012-13	1150.75	152.94	13
राजस्व – प्रभारित				
35-राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण	2010-11	32639.01	1124.81	03
	2011-12	49298.62	5325.95	11
	2012-13	58357.46	13104.04	22
पूंजीगत – दत्तमत				
4-परमाणु ऊर्जा	2010-11	3008.05	512.07	17
	2011-12	3448.86	818.98	24
	2012-13	3822.32	1240.57	32
5- नाभिकीय शक्ति योजनाएं	2010-11	1450.41	1052.15	73
	2011-12	1087.40	190.12	17
	2012-13	567.07	385.74	68
9- नागरिक विमानन मंत्रालय	2010-11	1428.70	141.06	10
	2011-12	1393.00	172.59	12
	2012-13	6155.82	143.72	02
32-आर्थिक कार्य विभाग	2010-11	13177.56	2451.67	19
	2011-12	25804.18	11998.50	46
	2012-13	58961.13	52110.34	88
42-प्रत्यक्ष कर	2010-11	1679.01	106.73	06
	2011-12	905.70	644.70	71
	2012-13	809.29	384.78	48
46- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2010-11	1221.04	265.79	22
	2011-12	1989.13	916.16	46
	2012-13	2298.32	998.37	43
54-पुलिस	2010-11	7426.59	2466.59	33
	2011-12	8464.47	2983.03	35
	2012-13	9333.60	2999.21	32
75- विद्युत मंत्रालय	2010-11	5139.49	1959.76	38
	2011-12	3041.81	687.43	23
	2012-13	5464.22	235.64	04

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अन्तर्गत ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक निरन्तर बचतों को दर्शाती विवरणी

अनुदान की संख्या तथा नाम	वर्ष	बजट आवंटन	वर्ष के दौरान बचतें	बजट आवंटन की प्रतिशतता
		(₹ करोड़ में)		
81- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	2010-11	20418.53	945.36	05
	2011-12	22221.38	3282.64	15
	2012-13	24643.50	5610.90	23
90-अंतरिक्ष विभाग	2010-11	2676.88	752.16	28
	2011-12	2948.19	1918.03	65
	2012-13	3138.22	1096.57	35
पूँजीगत (प्रभारित)				
35-राज्य एवं सं.शा.क्षे.सरकारों को अंतरण	2010-11	11413.44	1199.69	11
	2011-12	13000.00	3004.64	23
	2012-13	12000.00	1347.30	11
37-विनियोग - ऋण का पुनर्भुगतान	2010-11	3398559.15	583785.03	17
	2011-12	3524713.20	28784.50	01
	2012-13	3786074.35	359181.41	09
डाक सेवाएं पूँजीगत (दत्तमत)				
13-डाक विभाग	2010-11	474.55	200.90	42
	2011-12	527. 74	317.51	60
	2012-13	615. 77	470.18	76
रेलवे राजस्व (दत्तमत)				
14-निधियों का विनियोग - मूल्य ह्रास आरक्षित निधि, विकास निधि, पेंशन निधि, पूँजीगत निधि	2010-11	25283.09	2533.20	10
	2011-12	28068.41	2802.84	10
	2012-13	43567.00	7730.75	18
पूँजीगत (दत्तमत)				
16- परिसम्पत्तियां - अधिग्रहण, निर्माण एवं विस्थापन - पूँजीगत	2010-11	48528.08	745.58	02
	2011-12	54215.47	1510.81	03
	2012-13	61239.51	476.68	01
16-परिसम्पत्तियां - अधिग्रहण, निर्माण एवं विस्थापन-रेलवे निधि	2010-11	15465.19	856.19	06
	2011-12	15137.70	3565.24	24
	2012-13	20025.75	8217.50	41
16-परिसम्पत्तियां - अधिग्रहण, निर्माण एवं विस्थापन - रेलवे सुरक्षा निधि	2010-11	1698.40	596.96	35
	2011-12	1998.40	669.87	34
	2012-13	1998.40	414.32	21

अनुबंध 3.7

(पैराग्राफ 3.8 के संदर्भ में)

मामले जहाँ बचत से ज्यादा राशियों का अभ्यर्पण किया गया

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	अनुदान/विनियोग	अनुभाग के अंतर्गत बचत	अभ्यर्पित राशि
सिविल			
राजस्व - दत्तमत			
1.	08-औषधीय विभाग	128.64	128.69
2.	31- विदेश मंत्रालय	311.05	365.02
3.	39-पेंशन	190.44	236.00
4.	51-सार्वजनिक उद्यम विभाग	6.93	7.02
5.	91- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	461.50	468.01
6.	98-दादर और नागर हवेली	21.79	21.90
पूंजीगत - दत्तमत			
7.	31- विदेश मंत्रालय	260.21	265.00
8.	66- खदान मंत्रालय	2.80	3.99
9.	85 – विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	18.53	18.65
10.	91- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	7.41	9.95
11.	98- दादर और नागर हवेली	18.79	19.08
रक्षा सेवाएं			
पूंजीगत - दत्तमत			
12.	22-रक्षा सेवाएं -थल सेना	463.60	1926.79
13.	23-रक्षा सेवाएं-नौ सेना	645.87	1153.11
14.	24-रक्षा सेवाएं-वायु सेना	200.37	620.07
15.	25-रक्षा आयुध कारखाने	42.45	426.00
16.	27-रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	9043.67	9990.74

अनुबंध-3.8

(पैराग्राफ 3.9 के संदर्भ में)

उन मामलों के ब्यौरे जहाँ बचतों के मुख्य भाग 31 मार्च 2013 को अभ्यर्पित किए गए थे,
तथा व्यपगत निधियों के ब्यौरे

क्र.सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	बचत की राशि	अभ्यर्पित राशि	30/31 मार्च 2013 को अभ्यर्पित राशि	बचतों की तुलना में 30/31 मार्च को अभ्यर्पित राशि की प्रतिशतता	अभ्यर्पित न की गई तथा व्यपगत राशि
		(₹ करोड़ में)				(₹ करोड़ में)
सिविल						
राजस्व (दत्तमत)						
1.	1- कृषि एवं सहकारिता विभाग	2480.33	2400.27	2400.27	97	80.06
2.	3-पशुपालन, डेरी कार्य तथा मत्स्य पालन विभाग	197.69	170.41	170.41	86	27.28
3.	6-रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग	100.78	100.77	100.77	100	0.01
4.	8-औषध विभाग	128.64	128.69	128.69	100.03	*
5.	9- नागरिक उड्डयन मंत्रालय	122.28	120.80	120.80	99	1.48
6.	11-वाणिज्य विभाग	186.76	178.46	2.58	01	8.30
7.	12-औद्योगिक नीति एवं उन्नयन विभाग	173.78	151.71	151.71	87	22.07
8.	15- यांत्रिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	1117.86	1076.29	1076.29	96	41.57
9.	16- उपभोक्ता मामले विभाग	135.60	130.87	130.87	97	4.73
10.	29-भू-विज्ञान मंत्रालय	406.00	388.46	388.46	96	17.54
11.	30-पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	1091.15	930.45	11.17	1.02	160.70
12.	31- विदेश मंत्रालय	311.05	365.02	365.02	117	*
13.	32 – आर्थिक कार्य विभाग	1587.03	1477.50	1477.50	93	109.53
14.	33- वित्तीय सेवाएं विभाग	1270.16	1268.65	1268.65	100	1.51
15.	35 – राज्य एवं सं.शा.क्षे. सरकारों को अन्तरण	21476.42	19666.71	18666.71	87	1809.71
16.	39-पेंशन	190.44	236.00	236.00	124	*
17.	41-राजस्व विभाग	371.53	361.49	361.49	97	10.04
18.	46 – स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	5109.84	4532.21	4532.21	89	577.63
19.	47-आयुर्वेद, योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग	406.04	404.19	404.19	100	1.85
20.	48- स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	187.59	183.00	183.00	98	4.59

उन मामलों के ब्यौरे जहाँ बचतों के मुख्य भाग 31 मार्च 2013 को अभ्यर्पित किए गए थे,
तथा व्यपगत निधियों के ब्यौरे

क्र.सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	बचत की राशि	अभ्यर्पित राशि	30/31 मार्च 2013 को अभ्यर्पित राशि	बचतों की तुलना में 30/31 मार्च को अभ्यर्पित राशि की प्रतिशतता	अभ्यर्पित न की गई तथा व्यपगत राशि
		(₹ करोड़ में)				(₹ करोड़ में)
21.	49- एड्स नियंत्रण विभाग	436.85	380.33	380.33	87	56.52
22.	50- भारी उद्योग विभाग	184.78	183.04	183.04	99	1.74
23.	52- गृह मंत्रालय	1345.01	588.60	588.60	44	756.41
24.	55-गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	183.32	--	--	--	183.32
25.	56- संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अन्तरण	305.68	300.92	300.92	98	4.76
26.	57- आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	226.46	205.00	205.00	91	21.46
27.	58-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	4691.40	4666.77	4666.77	99	24.63
28.	59- उच्चतर शिक्षा विभाग	4868.65	4814.86	4814.86	99	53.79
29.	61- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	807.90	562.90	562.90	70	245.00
30.	63-विधि एवं न्याय	331.98	269.72	269.72	81	62.26
31.	65- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	632.60	620.96	620.96	98	11.64
32.	67-अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय	980.02	972.32	972.32	99	7.70
33.	70-पंचायती राज मंत्रालय	1413.49	1413.37	1413.37	100	0.12
34.	74- योजना मंत्रालय	441.81	429.20	429.20	97	12.61
35.	75- विद्युत मंत्रालय	9200.23	9200.14	9200.14	100	0.09
36.	81- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	2836.25	2759.71	217.51	08	76.54
37.	82- ग्रामीण विकास विभाग	26266.79	26247.53	26247.53 [#]	100	19.26
38.	83-भू-संसाधन विभाग	214.66	212.64	212.64	99	2.02
39.	84- पेय जल एवं स्वच्छता विभाग	925.97	925.96	925.96	100	0.01
40.	87-जैव प्रौद्योगिकी विभाग	217.56	214.86	14.31	7	2.70
41.	88-पोत परिवहन मंत्रालय	566.08	559.20	333.36	59	6.88
42.	89- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	939.48	937.89	937.89	100	1.59
43.	93- कपड़ा मंत्रालय	3513.98	3311.18	3311.18	94	202.80
44.	94-पर्यटन मंत्रालय	347.72	340.21	340.21	98	7.51
45.	95-जनजातीय मामलों के मंत्रालय	127.80	127.08	127.08	99	0.72
46.	101-शहरी विकास विभाग	232.27	218.61	218.61	94	13.66

उन मामलों के ब्यौरे जहाँ बचतों के मुख्य भाग 31 मार्च 2013 को अभ्यर्पित किए गए थे,
तथा व्यपगत निधियों के ब्यौरे

क्र.सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	बचत की राशि	अभ्यर्पित राशि	30/31 मार्च 2013 को अभ्यर्पित राशि	बचतों की तुलना में 30/31 मार्च को अभ्यर्पित राशि की प्रतिशतता	अभ्यर्पित न की गई तथा व्यपगत राशि
		(₹ करोड़ में)				(₹ करोड़ में)
47.	104- जल संसाधन मंत्रालय	966.23	844.63	844.63	87	121.60
48.	105- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	1547.22	1531.12	1531.12	99	16.10
49.	106- युवा मामले एवं खेल मंत्रालय	152.94	146.40	146.40	96	6.54
राजस्व – प्रभारित						
50.	35 – राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण	13104.04	13104.04	13104.04	100	--
51.	95-जनजातीय मामलों का मंत्रालय	905.69	905.69	905.69	100	--
पूंजीगत – दत्तमत						
52.	07-उर्वरक विभाग	244.04	244.04	244.04	100	--
53.	9- नागरिक उड्डयन मंत्रालय	143.72	143.12	113.04	79	0.60
54.	31- विदेश मंत्रालय	260.21	265.00	265.00	102	*
55.	32 – आर्थिक कार्य विभाग	52110.34	50953.24	50953.24	98	1157.10
56.	33- वित्तीय सेवाएं विभाग	1249.36	1249.36	1249.36	100	--
57.	42-प्रत्यक्ष कर	384.78	375.97	375.97	98	8.81
58.	43-अप्रत्यक्ष कर	109.26	108.28	108.28	99	0.98
59.	46- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	998.37	925.02	925.02	93	73.35
60.	54 – पुलिस	2999.21	2023.16	2023.16	67	976.05
61.	60 – सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	189.30	181.57	181.57	96	7.73
62.	74- योजना मंत्रालय	256.69	254.15	254.15	99	2.54
63.	75- विद्युत मंत्रालय	235.64	235.64	235.64	100	--
64.	81- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	5610.90	5291.61	327.83	06	319.29
65.	88-पोत परिवहन मंत्रालय	217.55	215.50	1.00	0.46	2.05
66.	96-अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	269.91	263.81	263.81	98	6.10
67.	99-दमन और दीव	125.66	125.66	125.66	100	--
68.	100-लक्षद्वीप	133.10	131.91	131.91	99	1.19
69.	101-शहरी विकास विभाग	927.18	926.23	926.23	100	0.95

उन मामलों के ब्यौरे जहाँ बचतों के मुख्य भाग 31 मार्च 2013 को अभ्यर्पित किए गए थे,
तथा व्यपगत निधियों के ब्यौरे

क्र.सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	बचत की राशि	अभ्यर्पित राशि	30/31 मार्च 2013 को अभ्यर्पित राशि	बचतों की तुलना में 30/31 मार्च को अभ्यर्पित राशि की प्रतिशतता	अभ्यर्पित न की गई तथा व्यपगत राशि
		(₹ करोड़ में)				(₹ करोड़ में)
पूंजीगत - प्रभारित						
70.	35 – राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण	1347.30	1347.30	1347.30	100	---
71.	37 – विनियोग - ऋण का पुनर्भुगतान	359181.41	341657.64	341657.64	95	17523.77
रक्षा सेवाएं						
राजस्व (दत्तमत)						
72.	22-रक्षा सेवाएं - थल सेना	463.60	1926.79	1926.79	415.61	*
73.	23-रक्षा सेवाएं - नौ सेना	645.87	1153.11	1153.11	178.54	*
74.	24-रक्षा सेवाएं - वायु सेना	200.37	620.07	620.07	309.46	*
75.	26-अनुसंधान एवं विकास	816.63	793.76	793.76	97.20	22. 87
76.	27-रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	9043.67	9990.74	9990.74	110.47	*

* अभ्यर्पित राशि बचतों से अधिक थी।

राशि को 29 अप्रैल 2013 को अर्थात् वर्ष की समाप्ति के पश्चात अभ्यर्पित किया गया था। ग्रामीण विकास विभाग ने 31 मार्च 2013 को ₹ 29,315.21 करोड़ का अभ्यर्पण किया था (जबकि अभ्यर्पित राशि बचतों से अधिक थी) जिसे वित्त मंत्रालय द्वारा उसी दिन स्वीकार किया गया था। संशोधित अभ्यर्पण आदेश अप्रैल 2013 में वित्त मंत्रालय द्वारा स्वीकृत किया गया था।

नोट – अभ्यर्पित तिथि की गणना के लिए, लेखापरीक्षा आदेश की तिथि यथा तिथि जहां अभ्यर्पण वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित है, को लिया गया है।

अनुबंध 3.9

(पैराग्राफ 3.10 के संदर्भ में)

मुख्य पुनर्विनियोग के महत्वपूर्ण मामले जो कि अनुपयोगिता के कारण अविवेकपूर्ण थे
(₹ पांच करोड़ तथा अधिक की राशि के पुनर्विनियोग)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	उप-शीर्ष को पुनर्विनियोग की राशि	उप-शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचतें
	सिविल				
1.	2- कृषि अनुसंधान व शिक्षा विभाग	2415.01.150.09-कृषि आभियंत्रिकी संस्थान, अनुसंधान एवं शिक्षा योजनाएं	मू.- 157.97	5.78	32.25
2.		2415.01.796.05-कृषि शिक्षा संस्थान, अनुसंधान एवं शिक्षा योजनाएं	मू.- 25.00	9.00	9.00
3.		2415.02.150.02- प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संस्थान, कृषि वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा योजना सहित अनुसंधान एवं शिक्षा योजनाएं	मू.- 473.26	25.10	71.59
4.		2415.02.150.03-जलवायु प्रत्यास्थी कृषि पहल	मू.- 100.00	7.00	32.00
5.		2415.03.150.01-पशु विज्ञान संस्थान, दुग्ध उत्पादन अनुसंधान संस्थानों तथा योजनाओं सहित अनुसंधान एवं शिक्षा योजनाएं	मू.- 636.36	34.76	69.47
6.		2415.05.150.01-मत्स्य पालन संस्थान, अनुसंधान एवं शिक्षा योजनाएं	मू.- 312.62	7.17	34.20
7.	4-परमाणु ऊर्जा	4861.01.207.01-एच.डब्ल्यू.पी. से उत्पादन	मू.- 916.00	54.00	104.44
8.	31- विदेश मंत्रालय	2061.00.798.02-अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन	मू.- 22.93	13.59	15.16
9.	34-ब्याज भुगतान	2049.01.200.03-क्षतिपूर्ति एवं अन्य बंध पत्र	मू.- 1699.25 अ.- 100.00	520.99	538.17
10.		2049.03.109.10-भविष्य सेवानिवृत्ति उपादान निधि के विशेष जमा	मू.- 9346.88 अ.- 50.00	24.12	100.86
11.		2049.05.103-रेलवे विकास निधि पर ब्याज	मू.- 141.67	18.48	71.65

**मुख्य पुनर्विनियोग के महत्वपूर्ण मामले जो कि अनुपयोगिता के कारण अविवेकपूर्ण थे
(₹ पांच करोड़ तथा अधिक की राशि के पुनर्विनियोग)**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	उप-शीर्ष को पुनर्विनियोग की राशि	उप-शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचतें
12.	37-ऋण का पुनर्भुगतान	6001.00.106.24 - 8% सहित बंधपत्र, 2002	मू.- 16.16	13.81	22.94
13.		6001.00.106.31 – 6.5% बचत बंधपत्र, 2003 (गैर कर योग्य)	मू.- 20.55	13.72	23.10
14.	46-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2210.05.105.27-लेडी हार्डिंग चिकित्सा महाविद्यालय और श्रीमती एस.के. अस्पताल	मू.- 198.00	9.01	20.59
15.		2210.05.105.33-क्षेत्रीय स्नातकोत्तर केन्द्र, जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी	मू.- 275.75	17.00	43.65
16.		2210.06.101.07-राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान (राष्ट्रीय रोग नियंत्रक केन्द्र), दिल्ली	मू.- 41.95	7.32	17.34
17.		2210.06.101.32-राष्ट्रीय नशा मुक्ति कार्यक्रम	मू.- 20.70	6.03	11.23
18.		2210.06.102.09-भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण	मू.- 50.00	6.00	13.55
		डाक			
19.	13-डाक विभाग	3201.02.101.10 ग्रामीण डाक सेवक	मू.- 2300.00 अ.- 74.32	9.37	86.58
20.		3201.07.104. 01 उपादान	मू.- 486.00 अ.- 48.35	25.05	25.63
कुल				827.30	

नाट:- मू.- मूल प्रावधान, अ.- अनुपूरक प्रावधान

अनुबंध 3.10

(पैराग्राफ 3.11 के संदर्भ में)

उप-शीर्ष/लघु-शीर्ष से मुख्य पुनर्विनियोग के महत्वपूर्ण मामले परिणामस्वरूप उप-शीर्ष के अंतर्गत अंतिम अतिरिक्त व्यय
(₹ पांच करोड़ तथा अधिक की राशि के पुनर्विनियोग)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	उप-शीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	उप-शीर्ष से पुनर्विनियोग की राशि	उप-शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचतें
सिविल					
1.	04-परमाणु ऊर्जा	4861.01.204.13-पूर्णतः निर्मित सामान की कम लागत	मू- 916.00	54.00	104.44
2.	21-रक्षा पेंशन	2071.02.101.01- पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	मू- 33971.48 अ.- 211.91	70.59	3457.89
3.		2071.02.102.01- पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	मू- .1322.20 अ- 16.59	10.13	189.18
4.		2071.02.103.01-पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	मू- 2312.36 अ- 10.30	59.08	261.44
5.	34-ब्याज भुगतान	2049.03.104.04-राज्य रेलवे भविष्य निधि	मू- 2042.53	56.23	158.44
6.		2049.03.108.06- डाक बीमा तथा जीवन वार्षिकी निधि	मू- 474.54	44.88	532. 24
रक्षा सेवाएं					
7.	22-रक्षा सेवाएं -थल सेना	2076.00.101 – थल सेना के वेतन एवं भत्ते	मू- 45014.03	1341.00	1478.96
8.		2076.00.104 – गैर-सैनिक के वेतन एवं भत्ते	मू- 3660.57	90.32	103.71
9.	23-रक्षा सेवाएं -नौ सेना	2077.00.111 – निर्माण कार्य	मू- 750.00	28.08	37.72
10.		2077.00.800 – अन्य व्यय	मू- 350.00	34.58	35.65
11.	24-रक्षा सेवाएं-वायु सेना	2078.00-101 - वायु सेना के वेतन एवं भत्ते	मू- 7379.68	233.63	346.32
12.		2078.00.111 – निर्माण कार्य	मू- 1683.65	37.95	128.66
	कुल			2060.47	

नोट : मू- मूल प्रावधान, अ.- अनुपूरक प्रावधान

अनुबंध 3.11

(पैराग्राफ 3.12 के संदर्भ में)

सिविल मंत्रालय/विभाग में मूल तथा अनुपूरक अनुदानों/विनियोगों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रावधान	राजस्व		पूंजीगत		योग
		दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	
2005-06	मूल	260249	164936	32274	602709	1060168
	अनुपूरक	34784	612	2744	424882	463022
	प्रतिशतता	13	-	9	70	44
2006-07	मूल	310212	176989	38951	1103562	1629714
	अनुपूरक	90637	5146	9377	350290	455450
	प्रतिशतता	29	3	24	32	28
2007-08	मूल	360510	195865	80133	1616206	2252714
	अनुपूरक	89998	16937	20474	65742	193151
	प्रतिशतता	25	9	26	4	9
2008-09	मूल	437377	243991	43348	1750686	2475402
	अनुपूरक	285013	113	14577	445762	745465
	प्रतिशतता	65	-	34	25	30
2009-10	मूल	667430	268467	61658	1887527	2885082
	अनुपूरक	81044	49	20574	1369563	1471230
	प्रतिशतता	12	-	33	73	51
2010-11	मूल	729198	287617	90171	3390880	4497866
	अनुपूरक	135176	131	31519	19156	185982
	प्रतिशतता	19	-	35	1	4
2011-12	मूल	830436	325521	106393	3155266	4417616
	अनुपूरक	101994	11941	21472	382533	517940
	प्रतिशतता	12	4	20	12	12
2012-13	मूल	919615	387306	159441	3798124	5264486
	अनुपूरक	71562	4844	4444	31	80881
	प्रतिशतता	8	1	3	0	2

अनुबंध 3.12

(पैराग्राफ 3.14 के संदर्भ में)

लघु/उप-शीर्षों के अंतर्गत अनावश्यक अनुपूरक अनुदानों को दर्शाती हुई विवरणी

क्र. सं.	अनुदान की सं. एवं नाम	लघु शीर्ष/ उप-शीर्ष	प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
			(₹ करोड़ में)				
सिविल							
1.	34-ब्याज भुगतान	2049.03.109.10-भविष्य सेवानिवृत्ति उपदान निधि के विशेष जमा	9346.88	50.00	9320.14	76.74	बचत कम दावों की प्राप्ति, शेषों के गैर-समनुरूपण तथा कम आहरणों के कारण थीं।
2.	46-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2210.05.800.13-सरकारी विश्वविद्यालयों में अं.स्ना./स्ना.उ. सीटों के लिए परामर्श	शून्य	3.70	शून्य	3.70	योजना के दिशानिर्देशों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण।
3.	49-एड्स नियंत्रण विभाग	2210.06.101.33-राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	1509.41	53.56	1304.29	258.68	कार्यक्रम के कार्यान्वयन में राज्यों के निष्पादन में अंतर तथा कुछ सविदाओं/प्रापण प्रस्तावों को अंतिम रूप न देने के कारण।

अनुबंध 3.13

(पैराग्राफ 3.15 के संदर्भ में)

उप-शीर्ष के अंतर्गत निरन्तर बचतों को दर्शाती विवरणी

क्र.सं.	उप-शीर्ष	वर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें	बजट प्रावधान से बचतों की प्रतिशतता
(₹ करोड़ में)						
अनुदान सं.4-परमाणु ऊर्जा						
1.	4861.60.190.02 भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड	2010-11	203.00	91.69	111.31	55
		2011-12	154.00	--	154.00	100
		2012-13	216.00	--	216.00	100
अनुदान सं.5 – परमाणु शक्ति योजनाएं						
2.	4801.03.190.02-भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड	2010-11	1400.00	315.00	1085.00	78
		2011-12	1025.00	875.00	150.00	15
		2012-13	536.67	174.67	362.00	67
अनुदान सं. 15- यांत्रिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग						
3.	2852.07.202.60-इलेक्ट्रॉनिक्स प्रशासन	2010-11	927.00	264.15	662.85	72
		2011-12	865.14	199.89	665.25	77
		2012-13	752.83	375.05	377.78	50
अनुदान सं. 17- खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग						
4.	2408.01.800.01 – चीनी के प्रतिरोधक भण्डार के रखरखाव के लिए आर्थिक सहायता	2010-11	200.00	88.00	112.00	56
		2011-12	50.00	11.49	38.51	77
		2012-13	17.00	4.00	13.00	76
अनुदान सं. 32-आर्थिक कार्य विभाग						
5.	3075.60.101.01 रेलवे को भुगतान	2010-11	2829.88	2013.26	816.62	29
		2011-12	3022.61	2034.37	988.24	33
		2012-13	3003.89	2286.14	717.75	24
अनुदान सं. 33-वित्तीय सेवाएं विभाग						
6.	2416.00.800.07 दीर्घ अवधि सहकारी क्रेडिट संरचना पुनरुद्धार	2010-11	1000.00	--	1000.00	100
		2011-12	1000.00	--	1000.00	100
		2012-13	500.00	--	500.00	100
अनुदान सं. 34- विनियोग-ब्याज भुगतान						
7.	2049.01.116 14 दिनों के खजाना बिलों पर ब्याज (प्रभारित)	2010-11	5107.00	4049.06	1057.94	21
		2011-12	4900.00	3795.52	1104.48	23
		2012-13	5200.00	4285.65	914.35	18
8.	2049.03.108.02 औद्योगिक श्रमिकों के लिए पारिवारिक पेंशन सह जीवन प्रत्याभूति (प्रभारित)	2010-11	4508.66	4079.30	429.36	10
		2011-12	4953.65	4551.60	402.05	8
		2012-13	6105.15	5106.43	998.72	16

उप-शीर्ष के अंतर्गत निरन्तर बचतों को दर्शाती विवरणी

क्र.सं.	उप-शीर्ष	वर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें	बजट प्रावधान से बचतों की प्रतिशतता
			(₹ करोड़ में)			
अनुदान सं. 35-राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण						
9.	3601.02.101.26 - त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम तथा अन्य जल संसाधन कार्यक्रम	2010-11	11500.00	8757.53	2742.47	24
		2011-12	12620.00	7459.01	5160.99	41
		2012-13	14242.00	6503.58	7738.42	54
10.	3601.02.101.36 - जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय नवीकरण मिशन	2010-11	11619.00	5284.84	6334.16	55
		2011-12	12522.00	7337.78	5184.22	41
		2012-13	12522.00	5287.77	7234.23	58
11.	3601.02.797.01- राष्ट्रीय निवेश निधि	2010-11	7732.01	2731.42	5000.59	65
		2011-12	7732.00	3976.48	3755.52	49
		2012-13	7365.00	5892.00	1473.00	20
अनुदान सं. 41- राजस्व विभाग						
12.	3601.01.113.05 - वैट संबंधित व्यय हेतु राज्यों को अनुदान	2010-11	375.00	203.99	171.01	46
		2011-12	224.00	120.36	103.64	46
		2012-13	114.00	98.07	15.93	14
अनुदान सं. - 42 - प्रत्यक्ष कर						
13.	4059.01.800.01- तैयार निर्मित आवास का अधिग्रहण	2010-11	1663.00	1527.23	135.77	08
		2011-12	877.70	256.53	621.17	71
		2012-13	777.49	421.00	356.49	46
अनुदान सं 46- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग						
14.	3601.04.246.01- आर.सी.एच. औषधियों एवं उपकरण की आपूर्ति	2010-11	176.01	72.04	103.97	59
		2011-12	160.50	3.44	157.06	98
		2012-13	164.16	22.81	141.35	86
अनुदान सं. 53- मंत्रीमण्डल						
15.	4055.00.206.03- सामान्य	2010-11	92.00	13.83	78.17	85
		2011-12	166.29	62.25	104.04	63
		2012-13	152.60	149.31	3.29	2
अनुदान सं. 55- गृह मंत्रालय के अन्य व्यय						
16.	2245.80.102.04 - राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	2010-11	190.42	43.78	146.64	77
		2011-12	348.22	110.62	237.60	68
		2012-13	183.31	151.67	31.64	17
अनुदान सं.. 56-केन्द्र शासित सरकारों को अंतरण						
17.	3602.02.101.01- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	2010-11	1233.81	943.48	290.33	24
		2011-12	1192.73	582.30	610.43	51
		2012-13	1031.61	800.34	231.27	22
अनुदान सं. 75- विद्युत मंत्रालय						
18.	2801.06.797.01 राष्ट्रीय निवेश निधि को अंतरण	2010-11	5000.00	2000.00	3000.00	60
		2011-12	5000.00	2086.04	2913.96	58
		2012-13	4761.00	674.85	4086.15	86
19.	6801.00.190.04 पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को ऋण	2010-11	3230.00	2246.42	983.58	30
		2011-12	1555.60	1443.89	111.71	7
		2012-13	2485.60	1182.52	1303.08	52

उप-शीर्ष के अंतर्गत निरन्तर बचतों को दर्शाती विवरणी

क्र.सं.	उप-शीर्ष	वर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें	बजट प्रावधान से बचतों की प्रतिशतता
			(₹ करोड़ में)			
अनुदान सं. 81- सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय						
20.	5054.02.337.03 बी.आर.डी.बी. के अंतर्गत निर्माण कार्य	2010-11	3005.48	2541.92	463.56	15
		2011-12	2611.77	2207.77	404.00	15
		2012-13	2630.71	2350.70	280.01	11
अनुदान सं. 88—पोत परिवहन मंत्रालय						
21.	2852.06.102.21-गैर-केन्द्रीय सा.क्षे.उ. शिपयार्डों तथा निजी क्षेत्र शिपयार्डों को आर्थिक सहायता	2010-11	588.30	128.19	460.11	78
		2011-12	542.11	122.42	419.69	77
		2012-13	400.00	220.00	180.00	45
अनुदान सं. 90- अंतरिक्ष विभाग						
22.	5252.00.203.03 इनसेट-4/जी सेट उपग्रह	2010-11	259.06	131. 50	127. 56	49
		2011-12	629.66	135.33	494.33	79
		2012-13	314.44	120.64	193.80	62

अनुबंध 3.14

(पैराग्राफ 3.16 के संदर्भ में)

₹ 10 करोड़ एवं अधिक की बचत के मामले जहाँ समग्र प्रावधान अव्ययित रहा, को दर्शाती विवरणी
(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत
सिविल				
अनुदान सं. 2-कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग				
1.	2415.80.120.02-केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, बुंदेलखण्ड को सहायता अनुदान	20.00	--	20.00
2.	2415.80.120.03-केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, बिहार को सहायता अनुदान	10.00	--	10.00
अनुदान सं. 3 - पशुपालन, डेरी एवं मत्स्य-पालन विभाग				
3.	2403.00.789.01-पक्षी- इन्फ्लून्जा की रोकथाम, नियंत्रण एवं तैयारी	10.00	--	10.00
अनुदान सं. 4-परमाणु ऊर्जा				
4.	4861.60.190.02-भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड	216.00	--	216.00
5.	4861.60.203.44-फास्ट रिएक्टर फ्यूल साईकल फैसेलिटी(एफ.आर.एफ.सी.एफ.)	580.00	--	580.00
6.	5401.00.800.24-डी.ए.ई. आउटरीच का विस्तार तथा निर्देशन प्रबंधन	10.00	--	10.00
7.	5401.00.800.25-वैश्विक नाभकीय ऊर्जा साझेदारी केन्द्र का विकास	14.00	--	14.00
अनुदान सं. 5-नाभिकीय शक्ति योजना				
8.	4801. 03.800.40-उन्नत भारी जल रिएक्टर (उ.भा.ज.रि.-I)	10.00	--	10.00
9.	6801.00.206.01-भारतीय नाभिकीय शक्ति निगम लिमिटेड को ऋण	14.00	--	14.00
अनुदान सं. 7 – उर्वरक विभाग				
10.	6855.00.190.02-द्रावनकोर उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड	61.75	--	61.75
11.	6855.00.190.08-मद्रास उर्वरक लिमिटेड	87.62	--	87.62
अनुदान सं. 9-नागरिक उड्डयन मंत्रालय				
12.	3053.80.800.04- हवाई खेल के विकास हेतु भारतीय हवाई-कलब को सहायता अनुदान	12.00	--	12.00
13.	3053-80-800-17- उ.पू. क्षेत्र हेतु भा.वि.प्रा. को सहायता अनुदान	72.90	--	72.90
14.	5053.80.800.01-नागरिक उड्डयन सुरक्षा	69.70	--	69.70

अनुदान सं. 14- दूरसंचार विभाग				
15.	3275.00.796.02-सार्वभौम सेवा दायित्व हेतु सेवा प्रदाताओं को क्षतिपूर्ति	10.90	--	10.90
16.	5275.00.101.04-निगरानी सेवाएँ	35.10	--	35.10
अनुदान सं.15- इलैक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग				
17.	2852.07.796.02-राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क	22.50	--	22.50
अनुदान सं. 19-संस्कृति मंत्रालय				
18.	3601.04.203.01-राज्य सरकारों द्वारा स्मारकों तथा पुरातत्व स्थलों का संरक्षण, बचाव तथा पर्यावरणीय विकास	19.00	--	19.00
अनुदान सं. 29-भू-विज्ञान मंत्रालय				
19.	3455.00.001.05-वायु-वाहित प्लेटफार्म	50.00	--	50.00
अनुदान सं. 30-पर्यावरण एवं वन मंत्रालय				
20.	2406.04.101.11- हरित भारत मिशन	221.05	--	221.05
अनुदान सं. 31-विदेश मंत्रालय				
21.	7605.00.055.01- नए क्रेडिट	250.00	--	250.00
अनुदान सं. 32-आर्थिक कार्य विभाग				
22.	5465.02.190.09 भारतीय सुरक्षा मुद्रण तथा टकसाल निगम लिमिटेड (भा.स.मु.ट.नि.लि.)	400.00	--	400.00
23.	5466.00.207.04 आई.एम.एफ. के ऋण संसाधनों के प्रति भारत का योगदान	50.00	--	50.00
24.	5466.00.207.05-अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को अंशदान (प्रतिभूतियों में)	42000.00	--	42000.00
25.	5466.00.207.06-अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को अंशदान (नगद में)	14000.00	--	14000.00
अनुदान सं. 33-वित्तीय सेवाएं विभाग				
26.	2416.00.800.01 राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को अनुदान (रा.कृ.एवं ग्रा.वि.बैं.)	200.01	--	200.01
27.	2416.00.800.04-वित्तीय समावेशन निधि (वि.स.नि.) की संरचना के लिए सरकारी योगदान के प्रति नाबार्ड को भुगतान	20.00	--	20.00
28.	2415.00.800.05- वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि (वि.स.प्रौ.नि.) की रचना के लिए सरकारी योगदान हेतु (रा.कृ. एवं ग्रा.वि.बैं.) को भुगतान।	30.00	--	30.00
29.	2416-00-800-07 दीर्घ अवधि सहकारिता क्रेडिट अवसंरचना का पुनरुत्थान	500.00	--	500.00
अनुदान सं. 34-विनियोग- ब्याज भुगतान				
30.	2048.00.200.13-सरकारी प्रतिभूतियों को वापस खरीदने पर प्रीमियम का भुगतान	100.00	--	100.00
31.	2049.01.126- बैंक धन जमा बाजार स्थिरीकरण योजना पर अदा किया ब्याज/छूट	110.00	--	110.00

32.	2049.01.128- रोकड प्रबंधन बिल पर छूट	1100.00	--	1100.00
33.	2049.05.105.04-रेलवे पूंजीगत आरक्षित निधि पर ब्याज	33.43	--	33.43
34.	2049.60.101.09- कोयला खान जमा योजक बीमा निधि	13.96	--	13.96
अनुदान सं. 35-राज्य तथा सं.शा.क्षे. सरकारों को अंतरण				
35.	2075.00.795.03 राज्य सरकारों के ऋण बट्टे खाते में डाले गये	89.04	--	89.04
36.	7601.06.200-अन्य अर्थोपाय अग्रिम (प्रभारित)	1000.00	--	1000.00
अनुदान सं. 37-ऋण का भुगतान				
37.	6001.00.127.-बिलों का रोकड प्रबंधन	95000.00	--	95000.00
अनुदान सं. 41-राजस्व विभाग				
38.	3601.01.110.05-मू.वृ.क. को प्रारम्भ करने के कारण राजस्व हानि हेतु राज्यों को क्षतिपूर्ति	81.00	--	81.00
39.	3601.01.110.07-एस.एस.टी. को चरणबद्ध लागू करने के कारण राजस्व हानि हेतु राज्यों को क्षतिपूर्ति	300.00	--	300.00
अनुदान सं. 46-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग				
40.	2210.06.789.08-ट्रॉमा केन्द्रों को क्षमता निर्माण के लिए सहायता	15.20	--	15.20
41.	2210.06.789.12-पराचिकित्सीय संस्थानों का सुदृढीकरण/सृजन	30.40	--	30.40
42.	2210.06.796.14-पराचिकित्सीय संस्थानों का सुदृढीकरण/सृजन	16.40	--	16.40
43.	2210.06.800.39-स्वास्थ्य बीमा (सी.जी.ई.आई. पी.एस.)	50.00	--	50.00
44.	2210.06.800.47-नवोन्मेष आधारित योजनाएं	50.00	--	50.00
45.	2211.00.789.05-उन्नत अनुपूर्वक देखभाल प्रदत्त करने हेतु जिला अस्पतालों का सुदृढीकरण	19.54	--	19.54
46.	2211.00.789.06-देश में सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में मुफ्त जेनेरिक औषधि प्रदान करना	19.54	--	19.54
47.	2211.00.796.07-उन्नत अनुपूर्वक देखभाल प्रदत्त करने हेतु जिला अस्पतालों का सुदृढीकरण	10.59	--	10.59
48.	2211.00.796.07- देश में सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में मुफ्त जेनेरिक औषधि प्रदान करना	10.59	--	10.59
49.	2211.00.800.18-उन्नत अनुपूर्वक देखभाल प्रदत्त करने हेतु जिला अस्पतालों का सुदृढीकरण	59.87	--	59.87
50.	2211.00.800.19- देश में सभी जन स्वास्थ्य संस्थानों में मुफ्त जेनेरिक औषधि प्रदान करना	59.87	--	59.87
51.	4210.03.105.14-राजकुमारी अमृत कौर नर्सिंग महाविद्यालय, नई दिल्ली	15.00	--	15.00
52.	4210.04.200.17- बी.सी.जी. टीका प्रयोगशाला, ग्युंड़ी, चैन्नई	23.27	--	23.27
53.	4210.04.200.18-केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली	17.57	--	17.57

54.	4210.04.200.21-केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन	20.00	--	20.00
55.	4210.04.200.22-स्वास्थ्य क्षेत्र आपदा तैयारी एवं प्रबंधन	45.00	--	45.00
अनुदान सं. 47- आर्युवेद, योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी विभाग (आयुष)				
56.	2210.02.789.03-अस्पताल एवं औषधालय (आयुष फलैक्सीपूल सहित रा.ग्रा.स्वा.मि. के अंतर्गत)	18.00	--	18.00
57.	2210.05.101.12-आयुष संस्थानों/महाविद्यालयों का विकास तथा उन्नयन	41.64	--	41.64
58.	4210.80.190.04-भारतीय दवा फार्मास्युटिकल निगम लिमिटेड	16.00	--	16.00
अनुदान सं. 48- स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग				
59.	2210.05.105.46-स्वास्थ्य अनुसंधान का उन्नयन, समन्वय तथा विकास	30.00	--	30.00
60.	2210.06.001.07 सरकारों/संगठनों/संस्थानों के साथ समन्वय	13.00	--	13.00
61.	2210.06.003.13-औषधि तथा स्वास्थ्य में अनुसंधान	21.00	--	21.00
62.	2210.06.101.41- प्राकृतिक आपदाओं का प्रबंधन	30.00	--	30.00
अनुदान सं. 50- भारी उद्योग विभाग				
63.	2852.06.103.28 स्वै.से.यो. के कार्यान्वयन हेतु सा.क्षे.उ. को बैंक वित्त पर ब्याज सहायता	14.00	--	14.00
अनुदान सं. 54-पुलिस				
64.	3601.02.117.01-उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण संरचना	155.00	--	155.00
65.	3601.02.117.02- विप्लव विरोधी एवं आतंकवाद विरोधी विद्यालय को सहायता	65.00	--	65.00
66.	4055.00.216.01-राष्ट्रीय खूफिया ग्रिड	70.85	--	70.85
अनुदान सं. 57 – आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय				
67.	2216.02.789.04 शहरी बेघरों के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम	11.25	-	11.25
68.	2216.02.800.04 शहरी बेघरों के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम	37.55	--	37.55
69.	2217.80.003.06 शहरी अभिशासन समावेशन हेतु संस्थानिक विकास	20.00	--	20.00
70.	3601.04.435.04 रेहड़ी वालों की सहायता के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम	30.48	--	30.48
अनुदान सं. 58-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग				
71.	2202.01.112.10-अनाजों की लागत	24.09	--	24.09
अनुदान सं. 59-उच्चतर शिक्षा विभाग				
72.	2203.00.105.13- विद्यमान में उन्नयन/नए पॉलिटिकनीक की स्थापना	15.50	--	15.50
73.	3602.04.175.03 विद्यमान/स्थापित नई पॉलिटिकनीक का उन्नयन	11.63	--	11.63

अनुदान सं.60-सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय				
74.	2251.00.800.11-राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन	20.00	--	20.00
अनुदान सं. 62—चुनाव आयोग				
75.	2015.00.003.02-आई.आई.आई.डी.ई.एम.	32.00	--	32.00
अनुदान सं. 63—विधि एवं न्याय				
76.	2014.00.104.01-न्यायपालिका के संरचात्मक सुविधा हेतु अनुदान	35.00	--	35.00
77.	2014.00.800.17-राष्ट्रीय न्याय परिदान एवं वैधानिक सुधार मिशन	37.50	--	37.50
अनुदान सं. 65-सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम मंत्रालय				
78.	2851.00.102.84-राष्ट्रीय नवाचार निधि	70.00	--	70.00
79.	2851.00.105.06 खादी सुधार एवं विकास कार्यक्रम (ए.डी.बी. सहायता)	34.90	--	34.90
80.	2851.00.106.08 नारियल जटा उद्योग का पुनर्नवीकरण आधुनिकीकरण, एवं तकनीकी उन्नयन	11.20	--	11.20
81.	2851.00.200.10 परंपरागत उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए निधि योजना	38.72	--	38.72
82.	2851.00.200.14 खादी उद्योग तथा कारीगरों की उत्पादकता तथा प्रतियोगितात्मकता को बढ़ाने हेतु योजना	10.47	--	10.47
83.	285.00.789.30 राष्ट्रीय नवोन्मेष निधि	12.00	--	12.00
84.	2851.00.796.01-तकनीकी सहायता संस्थान एवं कार्यक्रम की गुणवत्ता जनजातीय उप योजना	37.50	--	37.50
अनुदान सं. 67 – अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय				
85.	2225.04.277.01-मौलाना आजाद शिक्षा संस्थान को सहायता अनुदान	100.00	--	100.00
86.	2235.02.200.22-कौशल विकास पहल	15.00	--	15.00
87.	3601.04.378.09-पिछड़े के रूप में चिन्हित 251 शहरों/नगरों में से 100 अल्पसंख्यक संकेन्द्रण शहरों/नगरों में शिक्षा के प्रोत्साहन की योजना	42.50	--	42.50
88.	3601.04.378.10-एम.सी.वी./एम.सी.डी. के द्वारा जो गाँव समाविष्ट नहीं हैं उनके लिए ग्रामीण विकास कार्यक्रम	42.80	--	42.80
89.	3601.04.378.11-दि.न.नि. में जिला स्तरीय संस्थानों को सहायता	22.00	--	22.00
अनुदान सं.73 – पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय				
90.	2802.80.105.01-राज्यों/सं.शा.क्षे. के सा.वि.प्र. - कैरोसीन लाभभोगियों हेतु रोकड़ में आर्थिक सहायता के प्रत्यक्ष अंतरण हेतु प्रोत्साहन योजना	100.00	--	100.00
91.	2802.80.106.03-राजीव गांधी पेट्रोलियम तकनीकी संस्थान	41.00	--	41.00

अनुदान सं. 75--ऊर्जा मंत्रालय				
92.	2801.80.800.29 राष्ट्रीय विद्युत निधि (रा.वि.नि.)	72.00	--	72.00
93.	4801.05.001.04-कारगिल होते हुए श्रीनगर से लेह तक 220 के.वी. ट्रांसमिशन लाईन का निर्माण	200.00	--	200.00
अनुदान सं. -81-सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय				
94.	7075.01.190.02-भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (बाहरी सहायता प्राप्त परियोजना)	36.00	--	36.00
अनुदान सं. 82- ग्रामीण विकास विभाग				
95.	2501.06.102.03-महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना	112.50	--	112.50
96.	2501.06.102.04-जम्मू एवं कश्मीर हेतु कौशल सशक्तिकरण तथा रोजगार योजना	35.00	--	35.00
97.	2501.06.789.03-महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना	65.25	--	65.25
98.	2501.06.796.03-महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना	47.25	--	47.25
99.	2505.02.101.10-सामाजिक लेखापरीक्षा तथा शिकायत निवारण प्रणाली	200.00	--	200.00
100.	2515.00.105.01-लोक कार्य तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी उन्नयन परिषद को अनुदान	35.00	--	35.00
101.	2515.00.800.23-ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान (पूरा)	135.00	--	135.00
अनुदान सं. 86- वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग				
102.	3425.60.151.12-सी.एस.आई.आर.-800-योजनाएं	50.00	--	50.00
103.	3425.60.151.13 मुक्त नवोन्मेष हेतु सी.एस.आई.आर. योजना	77.00	--	77.00
104.	3425.60.151.14-साझेदारी एवं सहयोगी अनुसंधान तथा विकास के समावेशन करने हेतु सी.एस.आई.आर. की पहल	10.00	--	10.00
105.	3425.60.151.15-राष्ट्रीय नागरिक विमान विकास	10.00	--	10.00
अनुदान सं. 88-पोत परिवहन मंत्रालय				
106.	505.01.106.01 परिवहन सुविधाएं एवं जहाजी बेड़ा	25.00	--	25.00
107.	5052.01.800.01-सर्वेक्षण जलयान	15.00	--	15.00
108.	7051.01.190.02-पोर्ट ट्रस्ट को ऋण	90.00	--	90.00
अनुदान सं.89- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय				
109.	2225.01.789.05-अ.जा. के लिए राजीव गांधी शिक्षावृत्ति कार्यक्रम	123.00	--	123.00
110.	2225.01.789.20- डॉ. बी.आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय केन्द्र	10.00	--	10.00
111.	2225.01.789.21- डॉ. बी.आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक	14.00	--	14.00
112.	2225.03.277.10- अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए राजीव गांधी शिक्षावृत्ति कार्यक्रम	45.00	--	45.00
113.	3601.04.362.02-वृद्धाश्रम का निर्माण	67.00	--	67.00

114.	3601.04.362.03- विकलांग छात्रों के लिए मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति	30.00	--	30.00
115.	3601.04.377.05-गैर-अधिसूचित एवं खानाबदोष जनजातियों का शैक्षणिक तथा आर्थिक विकास	10.00	--	10.00
अनुदान सं.90- अंतरिक्ष विभाग				
116.	3252.00.053.09-इनसेट 3-डी लांच सेवाएं	33.40	--	33.40
117.	3252.00.053.10-जी सेट-7 लांच सेवाएं	52.70	--	52.70
118.	3402.00.101.48-जी.एस.एल.वी. एम.के. III परिचालन	50.00	--	50.00
119.	5402.00.101.30- ओसिनसेट 2 एवं 3	47.48	--	47.48
अनुदान सं. 93 – कपड़ा मंत्रालय				
120.	2851.00.789.43-हस्तकरघा क्षेत्र के लिए पुनरुद्धार , सुधार एवं पुनरुत्थान पैकेज	122.50	--	122.50
121.	2851.00.796.43- हस्तकरघा क्षेत्र के लिए पुनरुद्धार , सुधार एवं पुनरुत्थान पैकेज	36.45	--	36.45
अनुदान सं. 94 –पर्यटन मंत्रालय				
122.	3452.01.102.06- बृहत राजस्व सृजन परियोजनाओं हेतु सहायता	40.00	--	40.00
123.	3602.04.826.01-गन्तव्य तथा क्षेत्र हेतु उत्पाद/अवसंरचना विकास	10.00	--	10.00
अनुदान सं. 96-अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह				
124.	3053.01.800.06-पोर्ट ब्लेयर-चैन्नई/कोलकाता क्षेत्र के बीच परिचालन हेतु पट्टा आधार पर विमान का अधिग्रहण	35.73	--	35.73
125.	5225.04.209.01-मुख्य भूमि तथा अ. एवं नि. द्वीपसमूह के बीच समुद्र के नीचे ऑप्टिकल फाइबर केबल की स्थापना	200.00	--	200.00
अनुदान सं.100- लक्षद्वीप				
126.	5053.02.102.05 हवाई पट्टी	10.00	-	10.00
अनुदान सं. 101 – शहरी विकास विभाग				
127.	2217-05-800.27- सेवास्तर बेंचमार्क को मुख्यधारा में लाने हेतु सहायता की योजना	10.00	-	10.00
अनुदान सं. 104 –जल संसाधन मंत्रालय				
128.	2701.80.001.02-मानव संसाधन विकास/ क्षमता निर्माण	53.00	--	53.00
129.	2701.80.800.18-राष्ट्रीय जल मिशन का कार्यान्वयन	195.00	--	195.00
130.	3601.01.752.01-सतुलज यमुना लिंक नहर परियोजना	18.04	--	18.04
अनुदान सं. 105 – महिला एवं बाल विकास मंत्रालय				
131.	2235.02.103.28-महिलाओं के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट निधि (आर.एम.के)	90.00	--	90.00
132.	3601.04.356.07-बलात्कार पीड़ितों के लिए सहायता एवं पुनर्वास	17.50	--	17.50

133.	3601.04.356.10-घरेलू हिंसा से महिलाओं के बचाव अधिनियम का कार्यान्वयन	18.00	--	18.00
डाक				
अनुदान सं. 13 – डाक विभाग				
134.	5201.104.07 बचत बैंक का कम्प्यूटरीकरण/आधुनिकीकरण	17.00	--	17.00
कुल				161185.18

अनुबंध 3.15

(पैराग्राफ 3.17 के संदर्भ में)

**उप-शीर्ष के अंतर्गत ₹100 करोड़ और अधिक की बचत, जो संस्वीकृत प्रावधानों का
10 प्रतिशत से अधिक हैं**

क्र. सं.	लघु शीर्ष/उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
अनुदान सं. 1- कृषि एवं सहकारिता विभाग					
1.	2401.00.119.41-सूक्ष्म सिंचाई पर राष्ट्रीय मिशन	960.00	783.43	176.57	कम प्रस्तावों की प्राप्ति तथा कार्यान्वयन अभिकरण के पास पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता
2.	2401.00.789.17- राष्ट्रीय बागवानी मिशन	350.00	229.41	120.59	कम प्रस्तावों की प्राप्त तथा कार्यान्वयन अभिकरण के पास पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता
3.	2435.01.101.06-ग्रामीण गोदामों का निर्माण	636.00	244.85	391.15	कार्यान्वयन अभिकरण के पास पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता
4.	3601.04.453.02 एकीकृत तेलबीज, पॉम ऑयल, दालें एवं मक्का विकास	285.00	161.00	124.00	कम प्रस्तावों की प्राप्ति तथा राज्य सरकारों के पास पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता
अनुदान सं.2-कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग					
5.	2415.01.150.03-कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति बोर्ड एवं सूचना महानिदेशालय तथा कृषि प्रकाशन, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार प्रबंधन सहित आई.सी.ई.आर. मुख्यालय प्रशासन	340.22	237.94	102.28	XII योजना की ई.एफ.सी. को अंतिम रूप देने में विलम्ब के कारण तथा सम्मेलन कक्ष की धीमी प्रगति के कारण संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधानों की कटौती
6.	3401.00.004.15- प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, गांधीनगर	661.22	224.21	437.00	पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के प्रति कम निधियों की आवश्यकता, अंतर्राष्ट्रीय थर्मो नाभिकीय प्रयोगात्मक रिएक्टर (आई.टी.ई.आर.) के डिजाईन तथा सारणी में बदलाव तथा कुछ परियोजनाओं की संस्वीकृति में विलम्ब।
7.	5401.00.201.84-अतिरिक्त भा.प.अ.के. परिसर	143.00	36.01	106.99	बार्क, विशाखापटनम में केन्द्र रिएक्टर उपकरण तथा जांच प्रणाली (रि.उ.के.प्र.प्रा.) के भवन के कार्य की धीमी प्रगति के कारण।
अनुदान सं. 5-नाभिकीय शक्ति योजना					
8.	4801.03.190.02- भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड	536.67	174.67	362.00	पूर्व-परियोजना कार्यों की अगले वित्तीय वर्ष के लिए पुनः संशोधित कार्यक्रम परिवर्तन, करने के कारण।
अनुदान सं. 9-नागरिक विमानन मंत्रालय					
9.	3053.80.800.18-अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों हेतु भा.वि.प्रा. को सहायता अनुदान	198.48	59.29	139.19	‘गगन’ सहित अनेक परियोजनाओं को अंतिम रूप न देना।

क्र. सं.	लघु शीर्ष/उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
अनुदान सं. 12- औद्योगिक नीति एवं प्रोन्नयन विभाग					
10.	2852.80.800.10-भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम	243.00	84.20	158.80	बृहत चमड़ा समूह योजना एवं सामान्य निरसारी उपचार संयंत्र (सा.नि.उ.सं.) का उन्नयन/संस्थापन के अंतर्गत प्रस्तावों की गैर-स्वीकृति, चमड़ा क्षेत्र के एकीकृत विकास के अंतर्गत उद्योग से कम मांग, तथा नई उप-योजनाओं की गैर -स्वीकृति
अनुदान सं. 14-दूरसंचार विभाग					
11.	3451.00.091.01-निदेशालय (दत्तमत्त)	311.93	202.76	109.17	वेतनों, घरेलू यात्रा व्ययों, विदेश यात्रा व्ययों एवं कार्यालय व्यय के अंतर्गत कम दावों की प्राप्ति के अंतर्गत कम व्यय
12.	2071.01.102.01-सामान्य पेंशन	1019.31	711.67	307.64	कम दावों की प्राप्ति
13.	2071.01.104.01- सामान्य पेंशन	1131.50	989.60	141.90	कम दावों की प्राप्ति
14.	3275.00.103.01- सेवा प्रदाताओं को क्षतिपूर्ति	2689.10	625.00	2064.10	बेतार ब्रॉडबैंड योजना के गैर-क्रियान्वयन तथा अनाच्छादित ग्राम सार्वजनिक टेलीफोन (अ.ग्रा.सा.टे.) चरण-II हेतु दावों को अस्वीकृत करना, सोलर फोटों वोल्टाईक (एस.पी.वी.) मोड्यूलो तथा चर्चा संकेतकों का गैर-प्रावधान तथा रोल आउट में कमी
अनुदान सं. 15-सूचना प्रौद्योगिकी एवं यांत्रिक विभाग					
15.	2852.07.202.60- इलैक्ट्रॉनिक प्रशासन	752.83	375.05	377.78	वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर लगाई गई कटौती तथा अनुदानग्राही संस्थानों के पास अव्ययित शेषों की उपलब्धता
16.	2852.07.202.83-राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क	305.00	122.19	182.81	अनुदानग्राही संस्थानों से व्यवहार्य प्रस्तावों उपयोगिता प्रमाणपत्रों की अप्राप्ति तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण लगाई गई कटौती
अनुदान सं.28-उत्तर-पूर्वी क्षेत्र का विकास					
17.	3601.02.101.14-उत्तर पूर्व तथा सिक्किम हेतु संसाधनों के गैर व्यपगत पूल से केन्द्रीय सहायता	879.00	775.00	104.00	वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान की कटौती के कारण तथा मित्तव्ययी उपाय।
अनुदान सं. 29 भू-विज्ञान मंत्रालय					
18.	3403.00.102.06-ध्रुव विज्ञान तथ क्रायोस्फर	290.00	190.00	100.00	वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर लगाई गई कटौती के कारण कार्यों में विलंब।
अनुदान सं.30-पर्यावरण एवं वन मंत्रालय					
19.	3435.04.101.06-राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम	660.30	338.45	321.85	वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान की कटौती, उपयोगिता प्रमाणपत्र का गैर-प्रस्तुतीकरण तथा मित्तव्ययी उपाय।

क्र. सं.	लघु शीर्ष/उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
20.	3435.04.104.04-राष्ट्रीय तटीय प्रबंधन कार्यक्रम	125.00	25.00	100.00	वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान की कटौती।
अनुदान सं. 31-विदेश मंत्रालय					
21.	3605.00.101.14- म्यांमार को सहायता	302.21	121.88	180.33	सी. टिडिम सड़क परियोजना को अंतिम रूप देने में विलंब के कारण तथा म्यांमार सरकार द्वारा स्थान की सुपुर्दगी में विलम्ब के कारण वर्ष के आरम्भिक भाग में कालादान परियोजना पर कार्य की धीमी गति।
22.	3605.00.101.33-अफगानिस्तान को सहायता	707.00	490.96	216.04	गेहूँ आपूर्ति की परियोजना में पुनर्विनिर्माण तथा दोषी तथा चारीवर इलेक्ट्रिकल सब-स्टेशन परियोजना के संघटन में सालमा डैम परियोजना के विनियामक स्वीकृति में विलंब के कारण।
अनुदान सं. 32-आर्थिक कार्य विभाग					
23.	2235.60.797.02-असंगठित क्षेत्र श्रमिकों हेतु राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि	1000.00	120.00	880.00	योजनाओं को अंतिम रूप न देना।
24.	3075-60-101-01-रेलवे को भुगतान	3003.89	2286.14	717.75	लाभांश राहत हेतु रेलवे को आर्थिक सहायता के प्रति कम निधियों की आवश्यकता।
25.	4046-00-208-01- सिक्के	1645.35	1000.00	645.35	भारतीय प्रतिभूति मुद्रण तथा टकसाल निगम लिमिटेड (भा.प्र.मु.मि.नि.लि.) के सलाहकारों द्वारा निर्धारित लागत तक सिक्के की लागत को प्रतिबंधित करना।
अनुदान सं. 33-वित्तीय सेवाएं विभाग					
26.	2235.60.102.03 असंगठित क्षेत्रों के लोगों को नई पेंशन योजना (न.पें.यो.) से जुड़ने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए स्वावलंबन योजना	220.00	104.41	115.59	योजना के अंतर्गत धीमा नामांकन।
27.	2416.00.800.02 किसानों को कम अवधि वाले उधार प्रदान करने के लिए ब्याज पर आर्थिक सहायता	6000.00	5400.00	600.00	वित्त मंत्रालय द्वारा गैर-योजनाएं व्यय पर 10% कटौती लागू करने के कारण।
28.	5465.01.190.33-सार्वजनिक क्षेत्र बैंक का पुनः पूँजीकरण	14588.00	12517.00	2071.00	वांछित स्तर पर टियर-1 सी.आर.ए.आर. को बनाए रखने हेतु सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों को प्रदत्त कम पूँजीगत सहायता।
अनुदान सं. 34-विनियोग- ब्याज भुगतान					
29.	2049.01.115-अर्थोपाय अग्रिमों पर ब्याज (प्रभारित)	2000.00	248.50	1751.50	सरकार की रोकड़ स्थिति में सुधार।

क्र. सं.	लघु शीर्ष/उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
30.	2049.01.116 14 दिवसीय खजाना बिल पर ब्याज (प्रभारित)	5200.00	4285.65	914.35	राज्य सरकारों द्वारा मध्यस्थ खजाना बिलों का बोली आधारित खजाना बिलों में निवेश का परिवर्तन।
31.	2049.03.108.02 औद्योगिक श्रमिकों हेतु परिवार पेंशन सह जीवन बीमा निधि	6105.15	5106.43	998.72	कम जमा के कारण
32.	2049.60.701.01-एस.डी.आर. के उपयोग हेतु आइ.एम.एफ. को देय प्रभार	201.03	33.55	167.48	एस.डी.आर. के उपयोग हेतु कम प्रभारों भुगतान
अनुदान सं. 35- राज्य एवं सं.शा.क्षे. सरकारों को अंतरण					
33.	2245.80.103.02- गम्भीर प्रकृति के आपदाओं के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि से राज्यों को सहायता	4620.00	2810.29	1809.71	कम आपदाओं का होना
34.	2245.80.797.02-राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (रा.आ.प्र.नि) को अंतरण	4620.00	2810.29	1809.71	आरक्षित निधि तथा वास्तविक संचित राशि पर आधारित जमा खातों को कम राशि का अंतरण
35.	3601.01.104.05-स्थानीय निकायों हेतु अनुदान (प्रभारित)	18654.60	14266.68	4387.92	कुछ राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित नियमों एवं शर्तों को पूरा न किया जाना।
36.	3601.01.104.09-सड़कों एवं पुलों के अनुसंधान हेतु सहायता अनुदान (प्रभारित)	4731.00	3663.83	1067.17	कुछ राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित नियमों एवं शर्तों को पूरा न किया जाना।
37.	3601.01.104.13- राज्य विशिष्ट आवश्यकताओं हेतु सहायता अनुदान (प्रभारित)	6723.75	2634.26	4089.49	कुछ राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित नियमों एवं शर्तों को पूरा न किया जाना।
38.	3601.01.104.17- पर्यावरण हेतु सहायता अनुदान (प्रभारित)	2500.00	1099.26	1400.74	कुछ राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित नियमों एवं शर्तों को पूरा न किया जाना।
39.	3601.01.104.18- प्रशासन हेतु सहायता-अनुदान (प्रभारित)	3528.82	1636.10	1892.72	कुछ राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित नियमों एवं शर्तों को पूरा न किया जाना।
40.	3601.02.101.26- त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम तथा अन्य जल संसाधन कार्यक्रम	14242.00	6503.58	7738.42	जल संसाधन मंत्रालय से कम प्रस्तावों की प्राप्ति।
41.	3601.02.101.27- राष्ट्रीय ई-प्रशासन कार्य योजना (रा.ई.प्र.का.यो.)	190.00	89.54	100.46	सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से कम प्रस्तावों की प्राप्ति।
42.	3601.02.101.35-पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि (पि.क्षे.अ.नि.)	6990.00	5338.00	1652.00	योजना आयोग से कम प्रस्तावों की प्राप्ति।
43.	3601.02.101.36- जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन	12522.00	5287.77	7234.23	राज्य सरकारों द्वारा बराबर अंश को जारी न किया जाना, परियोजनाओं को वापस होना तथा योजनाओं के प्रारम्भ में विलम्ब।
44.	3601.02.797.01-राष्ट्रीय निवेश निधि	7365.00	5892.00	1473.00	विनिवेश से कम प्रगति।

क्र. सं.	लघु शीर्ष/उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
अनुदान सं. 37- ऋणों का पुनर्भुगतान					
45.	6001.00.106.30 - 8% बचत बंधपत्र, 2003 (कर योग्य)	10594.43	5413.95	5180.48	बंधपत्र धारकों द्वारा कम दावों की प्राथमिकता।
46.	6001.00.114 - अर्थोपाय अग्रिम	700000.00	124648.00	575352.00	भारत सरकार के रोकड़ शेष में अधिशेष के बावजूद ओवरड्राफ्ट तथा अर्थोपाय अग्रिम का कम उपयोग।
अनुदान सं. 39- पेंशन					
47.	2071.01.102.01- साधारण पेंशन	2070.00	1541.88	528.12	वे.ले.का/मंत्रालयों द्वारा प्रत्याशित से कम भुगतान।
48.	2071.01.115.01- साधारण पेंशन	1440.00	1283.64	156.4	कम दावों की प्राप्ति।
अनुदान सं. 42- प्रत्यक्ष कर					
49.	4059.01.800.01- तैयार - बने आवास का अधिग्रहण	777.49	421.00	356.49	कार्यालय भवन की खरीद हेतु कुछ प्रस्तावों को अंतिम रूप न देना तथा अगले वित्तीय वर्ष में दि.न.नि. को सिविक सेंटर भवन के भुगतान का विलम्ब।
अनुदान सं. 45-खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय					
50.	2408.01.103.15-बागवानी आधारित उद्योग -राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मिशन योजना	168.00	11.62	156.38	ठेकेदारों/संस्थानों/संगठनों से व्यवहार्य प्रस्तावों की अप्राप्ति।
अनुदान सं. 46- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग					
51.	2210.06.101.08-राष्ट्रीय रोगाणु वाहक जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम	567.15	266.85	300.30	प्रापण अभिकरणों के बिलों का निपटान न करने, सेवाओं का कम प्रापण, राज्य समितियों के पास अव्ययित शेषों की उपलब्धता तथा उपयोगिता प्रमाणपत्रों की अप्राप्ति।
52.	2210.06.101.30-राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम	561.97	434.93	127.04	प्रति क्षयरोग दवाईयों के प्रापण हेतु बोलियों को अंतिम रूप न देना।
53.	2210.06.800.24-केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत नई पहल	404.94	154.39	250.55	प्रशासनिक स्वीकृति में विलम्ब के कारण नई पहलों के कार्यान्वयन में धीमी प्रगति तथा कार्यान्वयन अभिकरणों के पास अव्ययित शेषों की उपलब्धता।
54.	2210.06.800.31-स्वास्थ्य हेतु मानव संसाधन	337.50	88.60	248.90	व्यवहार्य प्रस्तावों की कम प्राप्ति, अवसंचनात्मक विकास का गैर-कार्यान्वयन तथा पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के प्रति कम निधियों की आवश्यकता ।
55.	2211.00.109.07- औषधियों एवं उपकरणों (टीका इत्यादि के अलावा) की अधिप्राप्ति	287.65	44.87	242.78	प्रापण अभिकरणों के बिलों का निपटान न किया जाना।
56.	2211.00.109.08-राज्य पी.आई.पी. हेतु आर.सी.एच. फ्लेक्सीबल पूल	2836.56	2222.28	614.28	उपयोगिता प्रमाणपत्रों की अप्राप्ति।

क्र. सं.	लघु शीर्ष/उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
57.	2211.00.796.05-मिशन फ्लेक्सीबल पूल	626.45	438.43	188.02	राज्य समितियों के पास अव्ययित शेषों की उपलब्धता।
58.	2211.00.800.15- मिशन फ्लेक्सीबल पूल	3364.25	2953.30	410.95	राज्य समितियों के पास अव्ययित शेषों की उपलब्धता।
59.	3601.04.246.01- आरसीएच औषधियों एवं उपकरणों की आपूर्ति	164.16	22.81	141.35	कार्यान्वयन अभिकरणों के पास अव्ययित शेषों की उपलब्धता।
60.	3601.04.789.07-परिवार कल्याण-जनन एवं शिशु स्वास्थ्य	293.48	168.28	125.20	कार्यान्वयन अभिकरणों के पास अव्ययित शेषों की उपलब्धता।
61.	3606.00.237.05-राष्ट्रीय प्रतिरोधक कार्यक्रम एवं पोलियो उन्मूलन के सुदृढीकरण हेतु सामग्री सहायता।	332.36	94.21	238.15	संयुक्त राष्ट्र बाल निधि से कम सहायता सामग्री की प्राप्ति।
62.	4210.03.105.12-अ.भा.आ.वि.सं. जैसे अति-विशेषज्ञता वाले अस्पतालों सह शिक्षण संस्थानों की स्थापना तथा राज्य सरकारी अस्पतालों का उन्नयन	1376.21	854.62	521.59	उपकरणों के प्रापण में धीमी गति के कारण बृहत निर्माण कार्यों में धीमी प्रगति।
अनुदान सं. 47- आयुर्वेद, योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी (आयुष) विभाग					
63.	2210.02.200.30 अस्पतालों एवं औषधालयों (आयुष फ्लैक्सीपूल सहित रा.ग्रा.स्वा.मि. के तहत)	234.00	71.95	162.05	राज्य से उपयोगिता प्रमाणपत्र की अप्राप्ति
अनुदान सं.50- भारी उद्योग विभाग					
64.	2852.80.003.12 राष्ट्रीय स्वचालित जांच तथा अ. एवं वि. अवसंरचना परियोजना	488.48	341.94	146.54	कम प्रस्तावों की प्राप्ति।
अनुदान सं. 52-गृह मंत्रालय					
65.	3454.02.800.08- राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर	1754.82	759.43	995.39	मंत्रीमण्डल/मंत्रालयों के समूहों द्वारा योजना की गैर-स्वीकृति।
अनुदान सं.54-पुलिस					
66.	2055.00.001.04-राष्ट्रीय खूफिया ग्रिड	364.09	9.68	354.41	रिक्त पदों को न भरना, योजनागत पदों के सृजन के संबंध में प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिया जाना तथा मितव्ययी उपाय।
67.	2055.00.115.08- राज्य पुलिस संगठन को उनके स्वरूप में सहायता	250.00	33.00	217.00	मंत्रीमंडल द्वारा प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिया जाना।
68.	2055.00.800.11- अपराध एवं आपराधिक नैटवर्क प्रणाली	400.00	37.23	362.77	प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिया जाना तथा प्रतिपूर्ति दावों की गैर-प्राप्ति।
69.	3601.01.116.01-राज्य पुलिस संगठन का सुदृढीकरण	860.00	417.00	443.00	मंत्रीमंडल द्वारा प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिया जाना।
70.	4055.00.201.01- कार्यालयी भवन	1112.29	811.99	300.30	प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिया जाना
71.	4055.00.201.02- आवासीय भवन	390.85	245.12	145.73	प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिया जाना तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य को पूर्ण नहीं किया जाना।

क्र. सं.	लघु शीर्ष/उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
72.	4055.00.204.01- कार्यालयी भवन	200.13	43.39	156.74	प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिया जाना तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग तथा राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम को सौंपे गए निर्माण कार्यों को पूर्ण नहीं किया जाना।
73.	4055.00.216.10-आसूचना ब्यूरो	219.57	93.64	125.93	प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिया जाना तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निधियों का गैर-उपयोग।
अनुदान सं. 55- गृह मंत्रालय के अन्य व्यय					
74.	2250.00.800.14-ज.एवं क. में विशेष औद्योगिक पहल	150.00	10.00	140.00	कॉर्पोरेट द्वारा योजना के कार्यान्वयन में विलम्ब, योजना का कार्यान्वयन के आरम्भिक चरण पर होना।
अनुदान सं. 56- संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण					
75.	3602.02.101.01- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	1031.61	800.34	231.27	शहरी विकास मंत्रालय, आवास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन परियोजना के अंतर्गत निधियों के निर्गम हेतु कम सिफारिशों के कारण तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान की कटौती।
अनुदान सं. 58 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग					
76.	2202.02.110.16-उत्कर्ष के बेंचमार्क के रूप में ब्लॉक स्तर पर 6000 मॉडल स्कूलों की स्थापना की योजना	671.15	475.56	195.59	कार्यान्वयन अभिकरणों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति।
77.	2202.04.200.14-प्रौढ़ शिक्षा एवं कौशल विकास योजना	366.96	263.81	103.15	राज्य सरकारों की कार्यान्वयन अभिकरणों से व्यवहार्य प्रस्तावों की कम संख्या में प्राप्ति।
अनुदान सं. 59- उच्चतर शिक्षा विभाग					
78.	2202.03.789.03-विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, केन्द्रीय विश्वविद्यालय	907.40	732.73	174.67	व्यवहार्य प्रस्तावों की कम संख्या में प्राप्ति।
79.	2202.80.800.40- आईसीटी के माध्यम से शिक्षा में राष्ट्रीय मिशन	592.86	149.12	443.74	व्यवहार्य प्रस्तावों की कम संख्या में प्राप्ति।
80.	2203.00.112.52- भारत सरकार की तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजना (ईएपी)	219.08	71.84	147.24	व्यवहार्य प्रस्तावों की अप्राप्ति।
81.	3601.01.166.01-विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के शिक्षकों के वेतनमान में सुधार	2250.00	98.22	2151.78	राज्य सरकारों को व्यवहार्य प्रस्तावों का कम संख्या में प्राप्ति।
82.	3601.04.175.03-विद्यमान के उन्नयन/नई पॉलिटेक्निक की संस्थापना हेतु सहायता।	558.78	323.49	235.29	राज्य सरकारों से व्यवहार्य प्रस्तावों की अप्राप्ति

क्र. सं.	लघु शीर्ष/उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
अनुदान सं. 61-श्रम एवं रोजगार मंत्रालय					
83.	2230.03.800.13-कौशल विकास पहल	541.21	249.40	291.81	अपूर्ण प्रस्तावों की प्राप्ति तथा राज्य सरकारों से उपयोगिता प्रमाणपत्रों की प्राप्ति में विलम्ब।
अनुदान सं. 63-विधि एवं न्याय					
84.	2014.00.800.09- जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण	212.66	72.97	139.69	योजना के अंतर्गत कम मांग की प्राप्ति के कारण एन.आई.सी. को निधियों का कम निर्गमन।
85.	2014.00.800.16- ग्राम न्यायालयों की स्थापना एवं परिचालन हेतु राज्य सरकारों को सहायता।	109.00	4.10	104.90	राज्य सरकार से कम मांग तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान की कटौती।
अनुदान सं. 67- अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय					
86.	3601.04.378.04-चयनित अल्पसंख्यक संकेद्रण जिलों में अल्पसंख्यकों हेतु बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	864.08	638.97	225.11	राज्य सरकारों से प्रर्याप्त प्रस्तावों तथा उपयोगिता प्रमाणपत्रों की अप्राप्ति तथा योजना का पुनर्रचना का जारी रहना।
87.	3601.04.378.06-अल्पसंख्यकों हेतु मैट्रिक पश्चात छात्रवृत्ति	444.00	326.14	117.86	वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर लगाई गई कटौती।
अनुदान सं. 70-पंचायती राज मंत्रालय					
88.	3601.02.471.01- पिछड़े क्षेत्रों हेतु अनुदानें	3817.81	2355.40	1462.41	राज्य सरकारों से व्यवहार्य प्रस्तावों की कम प्राप्ति तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर लगाई गई कटौती।
89.	3601.02.789.01-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम-पंचायती राज	818.10	601.05	217.05	राज्य सरकारों से व्यवहार्य प्रस्तावों की कम प्राप्ति तथा संशोधित अनुमान चरण पर लगाइ गई कटौती तथा पहले के निर्गमों का बृहत पैमाने पर अव्ययित शेषों/देरी से प्रस्तुतीकरण के कारण।
अनुदान सं.-73- पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय					
90.	2802-80-102-01 घरेलू एल.पी.जी तथा पी.डी.एस. केरोसिन पर आर्थिक सहायता	3050.00	2730.56	319.44	केरोसिन तथा एल.पी.जी. की बिक्री की वृद्धि में गिरावट।
अनुदान सं. 74-योजना मंत्रालय					
91.	3454.02.206.01-भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण	1300.00	1090.05	209.95	आधार कार्डों को तैयार करने हेतु अभिकरणों से दावों की अप्राप्ति, सेमीनारों/कार्यशाला/बैठक का कम आयोजन तथा कार्यालय उपकरण की खरीद को अंतिम रूप देने में विलम्ब।
92.	3475.00.800.83-योजना लेखांकन तथा सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली	130.00	14.45	115.55	प्रापण प्रस्तावों की गैर-स्वीकृति/भवन के नवीकरण कार्य की गैर-समाप्ति, कम प्रशिक्षण तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की गैर-स्वीकृति।

क्र. सं.	लघु शीर्ष/उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
93.	5475.00.112.38- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण	457.00	248.66	208.34	आधार कार्डों को जारी करने हेतु बायोमेट्रिक उपकरण का गैर-प्रापण तथा कुछ परियोजनाओं की गैर-समाप्ति।
अनुदान सं. 75 -ऊर्जा मंत्रालय					
94.	2801.06.789.01-राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (रा.गा.ग्रा.वि.यो.)	600.00	50.21	549.79	कार्यान्वयन अभिकरणों के पास अव्ययित शेष की उपलब्धता, चरण-II परियोजना को सौंपने में विलम्ब, कार्यान्वयन अभिकरणों से समापन प्रस्तावों की अप्राप्ति तथा कुछ राज्यों में कार्य की धीमी प्रगति।
95.	2801.06.797.01 राष्ट्रीय निवेश निधि को अंतरण	4761.00	674.85	4086.15	विनिवेश हेतु निर्धारित लक्ष्य की अप्राप्ति।
96.	2801-06-800-03 राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण निगम	3810.00	647.73	3162.27	कार्यान्वयन अभिकरणों के पास अव्ययित शेष की उपलब्धता, चरण-II परियोजना को सौंपने में विलम्ब, कार्यान्वयन अभिकरणों से समापन प्रस्तावों की अप्राप्ति तथा कुछ राज्यों में कार्य की धीमी प्रगति।
97.	2801.80.004.02-केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान	265.00	40.36	224.64	XII योजना हेतु योजना को अंतिम रूप न दिया जाना।
98.	2801.80.800.15-ऊर्जा दक्षता ब्यूरो	197.40	41.50	155.90	XII योजना हेतु योजना को अंतिम रूप न दिया जाना।
99.	2801.80.800.27-ऊर्जा संरक्षण	200.00	37.00	163.00	XII योजना हेतु योजना को अंतिम रूप न दिया जाना
100.	4801.02.190.02-राष्ट्रीय ताप शक्ति निगम लिमिटेड	720.04	214.24	505.80	वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान की कटौती।
101.	6801.00.190.04-ऊर्जा वित्त निगम को ऋण	2485.60	1182.52	1303.08	वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान की कटौती।
102.	6801.00.789.01-त्वरित ऊर्जा विकास तथा सुधार कार्यक्रम (त्व.अ.वि.सु.का.)	200.00	34.93	165.07	वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान की कटौती।
अनुदान सं.81 -सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय					
103.	3054.01.337.01-सड़क स्कंध द्वारा अनुसंधान	1928.03	1440.65	487.38	विस्तारित मॉनसून के कारण कार्य लक्ष्य में संशोधन।
104.	3054.80.797.01-राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पुल शुल्क निधि को अंतरण	3627.17	1850.14	1777.03	संबंधित अभिकरणों से सांविधिक स्वीकृति/पर्यावरण स्वीकृति की अप्राप्ति।
105.	3055.00.004.20-सड़क सुरक्षा	215.15	103.42	111.73	चालक प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थानों के निर्माण कार्य का गैर-समापन तथा सड़क सुरक्षा पर समिति की रिपोर्ट को अंतिम रूप न दिया जाना।
106.	5054.01.190.01-भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	11435.98	7780.00	3655.98	संबंधित अभिकरणों से सांविधिक स्वीकृति का अप्राप्ति।

क्र. सं.	लघु शीर्ष/उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
107.	5054.01.337.01- सड़क स्कंध के अंतर्गत निर्माण कार्य	5613.80	893.72	4720.08	विश्व बैंक के साथ ऋण को अंतिम रूप न दिया जाना, कार्य की धीमी प्रगति तथा राज्य सरकारों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति।
108.	5054.02.337.03-बी.आर.डी.बी. के अंतर्गत निर्माण कार्य	2630.71	2350.70	280.01	पुनः सतह निर्माण लक्ष्यों में कमी के कारण कम भण्डारण का प्रापण तथा समय पर भूमि अधिग्रहण एवं वन का अनुमति की अप्राप्ति।
अनुदान सं. 82-ग्रामीण विकास विभाग					
109.	2216.03.105.08- इंदिरा आवास योजना कार्यक्रम संघटन	4038.96	3082.32	956.64	राज्य सरकारों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति।
110.	2216.03.789.01-इंदिरा आवास योजना	3687.46	2834.73	852.73	राज्य सरकारों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति।
111.	2216.03.796.01- इंदिरा आवास योजना	2239.58	1951.72	287.86	राज्य सरकारों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति।
112.	2501.06.101.20-स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना-कार्यक्रम संघटन	786.55	377.27	409.28	राज्य सरकारों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति।
113.	2501.06.789.01- स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	520.39	216.60	303.79	राज्य सरकारों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति।
114.	2501.06.796.01- स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	365.66	156.80	208.86	राज्य सरकारों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति।
115.	2505.02.101.12-सूचना संचार प्रौद्योगिकी (सू.सं.प्रौ.)	200.00	4.47	195.53	सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति।
116.	2505.02.101.13-वेतन संवितरण हेतु सेवा प्रभार	500.00	184.99	315.01	डाक विभाग तथा संबंधित बैंकों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति।
117.	2505.02.101.14-मनरेगस श्रमिकों तक राष्ट्रीय सुरक्षा बीमा योजना (स.सु.बी.यो.) का विस्तार	350.00	60.00	290.00	राज्यों द्वारा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के साथ पात्र श्रमिकों के डाटा को न साझा करना।
118.	3054.04.338.01-जिला ग्रामीण विकास अभिकरण/अन्य कार्यकारी अभिकरणों आदि को सहायता	16042.11	3397.76	12644.35	पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता तथा राज्य सरकार की कम ग्रहण क्षमता।
119.	3054.04.338.05-नाबार्ड से मिले ऋण पर ब्याज के संवितरण हेतु एन.आर.आर.डी.ए. को सहायता	941.21	772.52	168.69	नाबार्ड से लिए गए अग्रिम ऋण के पुनर्भुगतान के कारण ब्याज का कम संवितरण।
अनुदान सं. 84-पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय					
120.	2515.02.105.21-संपूर्ण स्वच्छता अभियान	2030.00	1673.51	356.49	कार्यान्वयन अभिकरणों से व्यवहार्य प्रस्तावों की अप्राप्ति तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर की गई कटौती।
121.	2215.02.789.01-संपूर्ण स्वच्छता अभियान	770.00	549.99	220.01	वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर लगाई गई कटौती।
122.	2215.02.796.01- संपूर्ण स्वच्छता अभियान	350.00	249.99	100.01	वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर की गई कटौती।

क्र. सं.	लघु शीर्ष/उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
अनुदान सं. 85-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग					
123.	3425.60.200.56-सहयोग तथा अ.एवं वि. मिशन	366.00	204.08	161.92	ई.एफ.सी./एस.एफ.टी. बैठकों तथा नई योजना की स्वीकृति का स्थगन।
अनुदान सं. 88-पोत परिवहन मंत्रालय					
124.	2852-06-102-21 गैर केन्द्रीय सा.क्षे.उ. पोत कारखानों तथा निजी क्षेत्रीय पोत कारखानों को आर्थिक सहायता	400.00	220.00	180.00	पोत-कारखानों से पूर्ण प्रस्तावों की अप्राप्ति के कारण
125.	3051.01.108.01-कोलकाता पत्तनन्यास द्वारा हलदिया चैनल का अनुस्क्षण तथा निकर्षण	245.68	68.58	177.10	कोलकाता पत्तन न्यास द्वारा निकर्षण के प्रति कम निधियों की आवश्यकता, लेखापरीक्षा प्रमाणपत्रों तथा वित्त मंत्रालय की स्वीकृति के आधार पर।
अनुदान सं. 89-सामाजिक न्याय तथा अधिकारित मंत्रालय					
126.	2235.02.101.10- अन्य योजनाएं	257.55	141.01	116.54	कार्यान्वयन अभिकरणों से पर्याप्त/पूर्ण प्रस्तावों की अप्राप्ति तथा कुछ योजनाओं की गैर-स्वीकृति।
127.	3601.03.789.08-अनुसूचित जाति का कल्याण-आर्थिक विकास	1174.00	872.05	301.95	राज्य सरकारों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति तथा उपयोगिता प्रमाणपत्रों की अप्राप्ति
अनुदान सं. 90-अंतरिक्ष विभाग					
128.	3252.00.053.08-इनसैट/जीसेट ट्रांसपोडरों को किराए पर लेने हेतु सेवा प्रभार	170.00	39.96	130.04	योजना के प्रति कम निधियों की आवश्यकता।
129.	3402.00.101.04- ध्रुवीय उपग्रह लांच वाहन अवस्थिति (पो.उ.ला.वा.सी.) परियोजना	347.91	154.84	193.07	पो.उ.ला.वा. (सी.35 से सी 49) हेतु अतिरिक्त वायुयानों की स्वीकृति प्रस्ताव करने में विलम्ब।
130.	5252.00.203.03- इन्सैट 4/जीसैट उपग्रह	314.44	120.64	193.80	वी.आई.पी.स्यूटस, नई कैन्टीन भवन, वी.एस.एल.सी. प्रदर्शनी भवन, एम.एम.एफ. भण्डारण भवन, सी.एम.एम. एवं पी.पी.एम.एफ. परियोजना कार्य भवन की निर्माण प्रगति में विलम्ब, इनसेट-4/जी सेट उपग्रह श्रृंखला की प्रणाली/उप प्रणाली की सुपुर्दगी सारणी के स्थगन तथा मिशन को जारी रखने हेतु वित्तीय संस्वीकृति प्राप्त करने में विलम्ब के कारण।
131.	5402.00.101.01- विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र (वि.सा.अं.के.)	295.00	163.47	131.53	सुविधा प्रतिस्थापन एवं संवर्द्धन पर व्यय का भिन्न क्रमवस्था में होना एवं आर्थिक उपाय।

क्र. सं.	लघु शीर्ष/उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
132.	5402.00.101.08-इसरो उपग्रह केन्द्र (इसाक)	225.94	86.20	139.74	सुविधा प्रतिस्थापन तथा उच्च शक्ति आर.एफ. जांच प्रयोगशाला, कोटेक्स प्रणालियों तथा आधार उपकरण प्रयोगशाला जैसी संवर्द्धन गतिविधियों तथा स्थापना और सुविधा प्रतिस्थापन एवं भौतिक प्रतिमान मशीन, अंतरिक्षयान स्थान सूचक, उपकरण परिवहन प्रणाली जैसी संवर्धन गतिविधियों के अंतर्गत कम निधियों की आवश्यकता।
133.	5402.00.101.17- सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र -एस एच ए आर (स.ध.अं.के.- एस एच ए आर)	224.84	92.35	132.49	बहु-वस्तु खोज राडार (एम.ओ.आर.) परियोजना की स्वीकृति की देरी से प्राप्ति।
134.	5402.00.101.33- उन्नत संचार उपग्रह (जी सैट-11 प्रक्षेपण सेवाओं सहित)	243.25	84.76	158.49	जांच उपकरणों की सुपुर्दगी सारणी में विसर्पण तथा लांच सेवा संविदा हेतु स्वीकृति प्राप्त करने में विलम्ब के कारण।
अनुदान सं. 91-सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय					
135.	3601.03.432.04-भारत सांख्यिकीय सुदृढीकरण परियोजना (भारत में सांख्यिकीय प्रणाली का आधुनिकीकरण)	170.00	22.35	147.65	अतिरिक्त राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिए जाने में विलम्ब तथा राज्य सरकारों द्वारा योजनाओं के कार्यान्वयन की धीमी प्रगति।
अनुदान सं. 93-कपड़ा मंत्रालय					
136.	2851.00.103.01-हस्त करघा विकास	330.90	114.84	216.06	कार्यान्वन अभिकरणों से कम दावों की प्राप्ति।
137.	2851.00.103.45- हस्त करघा क्षेत्र हेतु पुनरुद्धार, सुधार एवं पुननिर्माण पैकेज	2046.05	291.03	1755.02	कड़े पात्रता प्रतिमानों तथा व्यवहार्य प्रस्तावों की अप्राप्ति के कारण योजना को प्रारम्भ न किया जाना।
138.	2852-08-202-13 प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (प्रौ.उ.नि.यो.)	2635.75	2024.82	610.93	कार्यान्वयन अभिकरणों से कम दावों की प्राप्ति के कारण।
139.	2852-08-202-16 मूल्य समर्थन के अंतर्गत भारतीय कपास निगम द्वारा कपास की अधिप्राप्ति	200.00	68.07	131.93	कार्यान्वयन अभिकरणों से कम दावों की प्राप्ति तथा बाजार समर्पित मूल्य प्रक्रिया न अपनाया जाना।
अनुदान सं. 95-जनजाति मामलों का मंत्रालय					
140.	3601.02.796.01-अनुसूचित जनजाति का कल्याण-सांविधान के अनुच्छेद 275(1) की शर्तों के तहत अनुदान (प्रभारित)	2517.00	1672.54	844.46	वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर लगाई गई कटौती।
अनुदान सं. 101-शहरी विकास विभाग					
141.	4217.60.190.03 दिल्ली मेट्रो रेल निगम	1112.57	750.00	362.57	राज्य सरकारों द्वारा बराबर अंश के गैर-निर्गम के कारण।
142.	4217.60.190.06 बैंगलोर जनसमूह तीव्र परिवहन प्रणाली	900.00	513.92	386.08	राज्य सरकारों द्वारा बराबर अंश का गैर-निर्गम।

क्र. सं.	लघु शीर्ष/उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
143.	6217.60.191.12 जे.बी.आई.सी. से दिल्ली मेट्रो रेल निगम को सहायता	749.12	583.00	166.12	कार्यान्वयन अभिकरणों से कम मांग की प्राप्ति।
अनुदान सं. 104 जल संसाधन मंत्रालय					
144.	2702.02.005.16-भूमि जल प्रबंधन तथा विनियमन	285.50	117.98	167.52	डी.जी-एस. एवं डी. द्वारा क्रय प्रक्रिया को अंतिम रूप न दिया जाना तथा कम समन्वेशी कुओं का निर्माण।
अनुदान सं. 105 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय					
145.	2236.80.800.05-राष्ट्रीय पोषण मिशन (रा.पो.मि.)	224.98	55.69	169.29	मातृ तथा बाल कुपोषण हेतु बहु-क्षेत्रीय कार्यक्रम का प्रारम्भ न किया जाना।
146.	3601.04.356.06-इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (इं.गा.मा.स.यो.) पहले सोपाथिक मातृत्व लाभ योजना (सो.मा.ला.यो.)	376.60	66.55	310.05	राज्य सरकारों के पास पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता।
147.	3601.04.358.08-राजीव गांधी किशोर कन्या सशक्तीकरण योजना (रा.गां.कि.क.स.यो.)	533.60	384.25	149.35	पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता।
रक्षा सेवाएं					
अनुदान सं. 22 – रक्षा सेवाएं-थल सेना					
148.	2076.00.113 –राष्ट्रीय कैडेट कोर	1076.58	790.25	286.33	वित्त मंत्रालय द्वारा वेतन खंड पर कटौती लागू करने के कारण।
149.	2076.00.800 –अन्य व्यय	2129.30	1638.63	490.67	वित्त मंत्रालय द्वारा आर.ई ऋण पर कटौती लागू करने तथा कोष का प्राथमिक क्षेत्रों जैसे राशन एफ.ओ.एल. एवं औषधियों में विपथन के कारण।
अनुदान सं. 23 – रक्षा सेवाएं-नौसेना					
150.	2077.00.104 –असैनिक को वेतन एवं भत्ते	1844.00	1548.13	295.87	वित्त मंत्रालय द्वारा आर.ई. स्तर पर वेतन खंड में 10% कटौती लागू करने के कारण।
अनुदान सं.24 – रक्षा सेवाएं-वायु सेना					
151.	2078.00.800-अन्य व्यय	452.19	333.70	118.49	वित्त मंत्रालय द्वारा आर.ई ऋण पर कटौती लागू करने के कारण।
अनुदान सं.25 – रक्षा आयुद्ध कारखाने					
152.	2079.00.110-भण्डारण	6473.17	5691.76	781.41	आर.ई. स्थानीय खरीद, विदेशी खरीद, समय पूर्व की अपेक्षा सी.के.डी./एस.के.डी. तथा मामलों के पूर्ण मूल्य पर कम व्यय के कारण।
अनुदान सं. 26 – रक्षा सेवाएं –अनुसंधान तथा विकास					
153.	2080.00.004 –अनुसंधान/अनुसंधान विकास	1149.86	516.97	632.89	ए.डी.ए. तथा अन्य अ. एवं वि. बोर्डों की आवश्यकता में कटौती तथा अनेक ए. एवं वि. बोर्डों से सीमांत बचतों का सामूहिक प्रभाव के कारण

क्र. सं.	लघु शीर्ष/उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
154.	2080.00.102- असैनिक को वेतन एवं भत्ते	1946.63	1694.22	252.41	प्रदर्शन संबंधित प्रोत्साहन योजना (प्र. सं. प्रो.यो.) के कार्यान्वयन में विलंब तथा समयोपरि कार्य एवं चिकित्सा उपचार हेतु आवश्यकता में कमी तथा अपेक्षित व्यय कम करने के कारण।
अनुदान सं. 27 –रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय					
01- थल सेना					
155.	4076.01.101 –वायुयान तथा विमान इंजन	3052.52	2306.94	745.58	मंत्रालय द्वारा कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है।
156.	4076.01.102 –भारी एवं मध्यम वाहन	2249.29	1773.31	475.98	वित्त मंत्रालय द्वारा रक्षा पूँजी बजट में कटौती तथा एम.जी.ओ.एवं. ई. - इन.सी.द्वारा लक्ष्यों को अमल में न लाना।
157.	4076.01.103 –अन्य उपकरण	8250.04	6658.19	1591.85	मंत्रालय द्वारा कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया।
158.	4076.01.112-राष्ट्रीय रायफल	252.17	133.24	118.93	वित्त मंत्रालय द्वारा कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया।
159.	4076.01.202 –निर्माण कार्य	5163.16	3812.94	1350.22	अत्य बुकिंग के परिणामस्वरूप डी.जी. एम.ए.पी. द्वारा बैंक गारंटी का नकदीकरण तथा एम.ए.पी.एवं रोहतांग सुरंग परियोजना में धीमी प्रगति तथा वित्त मंत्रालय द्वारा रक्षा पूँजी बजट में कमी के कारण।
02- नौसेना					
160.	4076.02.101 – वायुयान तथा विमान इंजन	5303.29	1695.34	3607.95	वित्त मंत्रालय द्वारा कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है
161.	4076.02.103-अन्य उपकरण	3272.53	2773.06	499.47	बैंकिंग की प्रवृत्ति के आधार तथा संपूर्ण बजटीय संसाधन में कमी को देखते हुए प्राथमिक क्षेत्र को पुनर्विनियोग के माध्यम से कोषों के विपथन के कारण।
162.	4076.02.204-नौसैनिक बेड़ा	13617.39	11074.27	2543.12	वित्त मंत्रालय द्वारा रक्षा पूँजी बजट में कटौती।
163.	4076.02.205-नौसैनिक गोदी	1039.50	751.84	287.66	वित्त मंत्रालय द्वारा रक्षा पूँजी बजट में कटौती।

अनुबंध 3.16

(पैराग्राफ 3.18 के संदर्भ में)

अवास्तविक बजटीय अनुमानों को प्रदर्शित करने वाले मामलों का विवरण (उप-शीर्ष के अंतर्गत ₹50 करोड़ और उससे अधिक की बचतें जो बजट प्रावधान का 40 प्रतिशत से अधिक बनता है)

क्र. सं.	लघु/उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	बजट प्रावधान से बचत की प्रतिशतता
(₹ करोड़ में)					
सिविल					
अनुदान सं. 1- कृषि एवं सहकारिता विभाग					
1.	2401.00.800.35-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	92.17	10.63	81.54	88
2.	3601.04.789.24-फसल उत्पादन-तेल बीज का विकास	90.00	36.50	53.50	59
अनुदान सं. 4-परमाणु ऊर्जा					
3.	5401.00.400.02-परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र	155.98	67.92	88.06	56
अनुदान सं. 6- रसायन एवं पेट्रोसायन विभाग					
4.	2852.04.800.01- केन्द्रीय प्लास्टिक अभियंत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी संस्थान (के.प्ला.अ.प्रौ.सं.)	110.00	21.70	88.30	80
अनुदान सं. 15-सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग					
5.	2852.07.202.03-सूक्ष्म-इलेक्ट्रॉनिक्स एवं नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स विकास कार्यक्रम	95.00	37.89	57.11	60
6.	2852.07.796.01-इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नेंस	92.42	20.43	71.99	78
अनुदान सं. 30-पर्यावरण एवं वन मंत्रालय					
7.	3435.60.800.11-खतरनाक पदार्थ प्रबंधन	89.85	24.65	65.20	73
अनुदान सं. 33-वित्तीय सेवाएं विभाग					
8.	2235.60.800.10-वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन योजना हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम को भुगतान	182.25	99.55	82.70	45
अनुदान सं. 34-व्याज भुगतान					
9.	2049.03.110.01 भारतीय श्रेणी के असंवितरण वेतन हेतु बोनस (प्रभारित)	84.67	18.30	66.37	78
अनुदान सं. 43-अप्रत्यक्ष कर					
10.	4047.00.037.03- निवारक एवं अन्य कार्य	87.15	5.45	81.70	94
अनुदान सं. 46- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग					
11.	2211.00.800.14-प्रबंधन सूचना प्रणाली	145.00	74.39	70.61	49
12.	3601.04.789.08- रोगों का पी.एच.-निवारण एवं नियंत्रण	99.68	32.20	67.48	68
13.	3601.04.796.06-प.क.-जनन एवं बाल स्वास्थ्य	158.32	91.75	66.57	42
14.	4210.01.110.06-सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली	100.00	32.57	67.43	67
अनुदान सं. 54-पुलिस					
15.	3601.01.117.04- मादक द्रव्य यंत्रण ब्यूरो	83.00	1.72	81.28	98
16.	4055.00.210.01-राष्ट्रीय पुलिस अकादमी	109.00	42.60	66.40	61

अवास्तविक बजटीय अनुमानों को प्रदर्शित करने वाले मामलों का विवरण (उप-शीर्ष के अंतर्गत ₹50 करोड़ और उससे अधिक की बचतें जो बजट प्रावधान का 40 प्रतिशत से अधिक बनता है)

17.	4055.00.214.05-भारत-नेपाल सीमा निर्माण कार्य	110.00	40.00	70.00	64
18.	4055.00.214.07- समेकित चैक-पोस्ट का संस्थापन	160.00	73.11	86.89	54
19.	4055.00.215.03- तटीय सुरक्षा हेतु राज्य/सं.शा.क्षे. को सहायता	170.00	79.97	90.03	53
20.	4055.00.216.04-केन्द्रीय न्यायालयिक -विज्ञान प्रयोगशाला	73.25	2.69	70.56	96
अनुदान सं. 59-उच्च शिक्षा विभाग					
21.	2202.80.789.05- आई.सी.टी. के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन	114.75	28.47	86.28	75
22.	3601.04.175.01-सामुदायिक पॉलिटेक्नीक	83.68	29.39	54.29	65
23.	3601.04.789.02-तकनीकी शिक्षा पॉलिटेक्नीक	160.31	77.73	82.58	52
अनुदान सं. 68-नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय					
24.	2810.00.104.01- नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी में अ. एवं वि.	134.55	57.47	77.08	57
अनुदान सं. 75- ऊर्जा मंत्रालय					
25.	2801-80-800.26-त्वरित ऊर्जा विकास तथा सुधार कार्यक्रम (त्व.अ. वि.सु.का.)	117.00	17.04	99.96	85
अनुदान सं. 81-सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय					
26.	3055.00.004.24-निरीक्षण एवं अनुरक्षण केन्द्र	90.00	10.00	80.00	89
अनुदान सं. 82-ग्रामीण विकास विभाग					
27.	2515.00.003.01-राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान को अनुदानें	113.80	48.87	64.93	57
अनुदान सं. 88- नौ परिवहन मंत्रालय					
28.	5051.02.200.01-अवतरण सुविधाओं तथा घाटों का निर्माण	99.86	45.88	53.98	54
अनुदान सं.89-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय					
29.	2225.01.789.10- मैला ढोने वालों के पुनर्वास हेतु स्वरोजगार योजना	98.00	20.00	78.00	80
30.	3601.03.359.03-अपंग व्यक्ति अधिनियम 1995 के कार्यान्वयन हेतु योजना	75.00	8.37	66.63	89
31.	4225.80.190.16 कमजोर वर्ग हेतु राष्ट्रीय वित्त विकास निगम	91.00	27.65	63.35	70
अनुदान सं.90-अंतरिक्ष विभाग					
32.	3252.00.053.06 इनसेट-4/जी सेट उपग्रहें	76.46	24.96	51.50	67
33.	3402.00.103.01-भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (भौ.अ.प्र.)	111.90	55.89	56.01	50
34.	5402.00.101.07-तरल प्रणोदन प्रणाली केन्द्र (त.प्र.के.)	165.34	82.31	83.03	50
35.	5402.00.101.37-अर्द्ध निम्नतापी ईंजन विकास	106.59	56.22	50.37	47

अवास्तविक बजटीय अनुमानों को प्रदर्शित करने वाले मामलों का विवरण (उप-शीर्ष के अंतर्गत ₹50 करोड़ और उससे अधिक की बचतें जो बजट प्रावधान का 40 प्रतिशत से अधिक बनता है)

36.	5402.00.800.02-विशेष स्वदेशीकरण/उन्नत क्रमण	94.25	2.40	91.85	97
अनुदान सं. 93- कपड़ा मंत्रालय					
37.	2851.00.103.41-एकीकृत हस्त करधा विकास योजना	105.56	30.74	74.82	71
अनुदान सं. 95- जनजातीय मामलों मंत्रालय					
38.	2225.02.796.08-अनुसूचित जनजाति का कल्याण-शिक्षा	119.50	62.12	57.38	48
39.	2225.02.796.09-अनुसूचित जनजाति का कल्याण-अन्य व्यय	91.90	32.23	59.67	65
अनुदान सं. 99- दमन एवं दीव					
40.	5051.02.200.04 पत्तनों तथा प्रकाश गृहों का निर्माण एवं विकास	79.80	6.85	72.95	91
अनुदान सं. 101- शहरी विकास विभाग					
41.	2217-80.191.33 विश्व बैंक-शहरी विकास हेतु क्षमता निर्माण	65.17	1.58	63.59	98
अनुदान सं. 104- जल संसाधन मंत्रालय					
42.	2701.80.004.05-अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम	92.00	31.37	60.63	66
43.	2701.80.800.19-सिंचाई प्रबंधन कार्यक्रम	90.00	0.24	89.76	100
44.	3601.03.786.03-नदी प्रबंधन गतिविधियां तथा सीमा क्षेत्रों से संबंधित निर्माण कार्य	100.00	9.24	90.76	91
अनुदान सं. 105- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय					
45.	3601.04.358.02-विश्व बैंक स.बा.वि.यो.-परियोजना- IV (बाह्य सहायता प्राप्त संघटक)	64.00	5.58	58.42	91
46.	3601.04.789.16-इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (इं.गां.मा.स.यो.) (पहले सशर्त मातृत्व लाभ योजना (स.मा.ला.यो.)	79.00	15.23	63.77	81
रक्षा सेवाएं					
अनुदान सं. 27 – रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय					
47.	4076.03.050-भूमि	90.00	19.78	70.22	78
48.	4076.04-052-मशीनरी एवं उपकरण	173.24	90.42	82.82	48

अनुबंध 4.1

(पैरा सं. 4.5.5 और तालिका सं. 4.8 के संदर्भ में)

विषय शीर्षो 'मुख्य निर्माण कार्य' तथा 'मशीनरी एवं उपकरण' में वृद्धि का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लेखा का शीर्ष	डी डी जी में बजट (मूल प्रावधान)	वास्तविक व्यय	आधिक्य राशि
	4-परमाणु उर्जा विभाग			
1.	4861.02.201.01.12.52- ए.एम.डी. सर्वेक्षण एवं पूर्वक्षण	0.35	0.56	0.21
2.	4861.60.105.15.00.52-अपशिष्ट निपटान सुविधा	1.30	1.84	0.54
3.	4861.60.202.13.00.52- एन.एफ.सी.	0.20	0.89	0.69
4.	4861.60.202.32.00.52- एन.एफ.सी.	2.67	3.18	0.51
5.	4861.60.202.46.00.52- एन.एफ.सी.	0.74	1.15	0.41
6.	4861.60.203.26.00.52-ईंधन पुनर्संसाधन	1.90	3.16	1.26
7.	4861.60.203.43.00.52-ईंधन पुनर्संसाधन	4.08	6.13	2.05
8.	5401.00.201.01.01.52- भा.प.अ.के.	6.96	9.38	2.42
9.	5401.00.201.01.03.52- भा.प.अ.के.	1.00	1.48	0.48
10.	5401.00.201.03.01.52- भा.प.अ.के.	4.99	6.87	1.88
11.	5401.00.201.09.02.52- भा.प.अ.के.	0.01	0.25	0.24
12.	5401.00.201.03.04.52- भा.प.अ.के.	0.01	0.11	0.10
13.	5401.00.201.04.13.52- भा.प.अ.के.	18.50	20.49	1.99
14.	5401.00.201.04.17.52- भा.प.अ.के.	0.01	0.07	0.06
15.	5401.00.201.04.18.52- भा.प.अ.के.	0.01	0.03	0.02
16.	5401.00.201.05.01.52- भा.प.अ.के.	6.39	8.22	1.83
17.	5401.00.201.07.01.52- भा.प.अ.के.	2.32	3.26	0.94
18.	5401.00.201.11.05.52- भा.प.अ.के.	0.01	0.05	0.04
19.	5401.00.201.13.08.52- भा.प.अ.के.	0.01	0.02	0.01
20.	5401.00.201.19.01.52- भा.प.अ.के.	4.26	5.12	0.86
21.	5401.00.201.26.01.52- भा.प.अ.के.	1.08	2.00	0.92
22.	5401.00.201.26.02.52- भा.प.अ.के.	0.00	0.01	0.01
23.	5401.00.201.26.03.52- भा.प.अ.के.	1.60	3.02	1.42
24.	5401.00.201.49.00.52- भा.प.अ.के.	1.94	2.64	0.70
25.	5401.00.201.90.00.52- भा.प.अ.के.	8.00	9.00	1.00
26.	5401.00.202.57.00.52 आई.जी.सी.ए.आर.	0.83	1.50	0.67
27.	5401.00.202.62.00.52 आई.जी.सी.ए.आर.	0.68	1.12	0.44
28.	5401.00.202.81.00.52 आई.जी.सी.ए.आर.	0.25	0.31	0.06
29.	5401.00.202.82.00.52 आई.जी.सी.ए.आर.	0.01	0.36	0.35

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन संघ लेखे 2012-13

30.	5401.00.202.86.00.52 आई.जी.सी.ए.आर.	0.01	0.57	0.56
31.	5401.00.202.93.06.52 आई.जी.सी.ए.आर.	0.15	0.24	0.09
32.	5401.00.202.94.06.52 आई.जी.सी.ए.आर.	0.10	1.60	1.50
33.	5401.00.206.36.00.52 आर.आर.सी.ए.टी.	4.50	5.80	1.30
34.	5401.00.206.37.00.52 आर.आर.सी.ए.टी.	3.50	3.92	0.42
35.	5401.00.206.49.00.52 आर.आर.सी.ए.टी.	0.27	2.00	1.73
36.	5401.00.206.67.00.52 आर.आर.सी.ए.टी.	0.14	0.20	0.06
37.	5401.00.400.02.35.52-अन्य अनुसंधान सुविधाएँ	0.27	0.70	0.43
38.	5401.00.400.02.49.52- अन्य अनुसंधान सुविधाएँ	4.30	4.86	0.56
39.	5401.00.400.03.07.52- अन्य अनुसंधान सुविधाएँ	0.70	0.85	0.15
40.	5401.00.400.03.10.52- अन्य अनुसंधान सुविधाएँ	0.02	0.08	0.06
41.	5401.00.800.17.00.52- अन्य व्यय	2.90	3.58	0.68
42.	5401.00.800.18.00.52- अन्य व्यय	2.40	2.79	0.39
43.	4861.60.105.16.00.52-अपशिष्ट निपटान सुविधा	9.30	15.94	6.64
44.	4861.60.203.58.00.52-ईंधन पुनर्संसाधन	9.00	12.88	3.88
45.	4861.60.203.59.00.52-ईंधन पुनर्संसाधन	13.00	64.03	51.03
46.	5401.00.201.01.06.52- भा.प.अ.के.	1.00	8.66	7.66
47.	5401.00.201.02.03.52- भा.प.अ.के.	5.00	9.41	4.41
48.	5401.00.201.04.12.52- भा.प.अ.के.	6.62	11.76	5.14
49.	5401.00.201.04.14.52- भा.प.अ.के.	3.87	14.28	10.41
50.	5401.00.201.10.01.52- भा.प.अ.के.	4.18	7.82	3.64
51.	5401.00.201.06.04.52- भा.प.अ.के.	5.45	8.96	3.51
52.	5401.00.201.09.01.52- भा.प.अ.के.	10.78	15.62	4.84
53.	5401.00.201.11.02.52- भा.प.अ.के.	7.67	18.10	10.43
54.	5401.00.201.13.01.52- भा.प.अ.के.	41.15	49.00	7.85
55.	5401.00.201.13.02.52- भा.प.अ.के.	9.67	19.09	9.42
56.	5401.00.201.18.01.52- भा.प.अ.के.	6.21	10.58	4.37
57.	5401.00.201.18.02.52- भा.प.अ.के.	10.85	16.00	5.15
58.	5401.00.201.25.01.52- भा.प.अ.के.	2.00	5.33	3.33
59.	5401.00.201.92.00.52- भा.प.अ.के.	8.63	15.41	6.78
60.	5401.00.202.52.00.52- आई.जी.सी.ए.आर.	1.70	14.98	13.28
61.	5401.00.206.40.00.52- आर.आर.सी.ए.टी.	7.92	12.08	4.16
62.	4861.60.203.46.00.53-ईंधन पुनर्संसाधन	2.80	3.19	0.39
63.	4861.60.203.48.00.53-ईंधन पुनर्संसाधन	3.71	6.32	2.61
64.	5401.00.201.10.01.53- भा.प.अ.के.	2.00	4.50	2.50
65.	5401.00.202.57.00.53- आई.जी.सी.ए.आर.	0.19	0.25	0.06
66.	5401.00.283.15.16.53-आवास के प्रबंध	10.00	11.20	1.20
67.	5401.00.283.15.21.53-आवास के प्रबंध	10.00	21.99	11.99
68.	5401.00.400.02.27.52-अन्य अनुसंधान सुविधाएँ	0.61	3.95	3.34
	योग			218.06

	90-अंतरिक्ष विभाग			
1.	3402.00.101.25.00.52 एस.डी.एस.सी.-एस.एच.ए.आर. केन्द्र	0.12	0.14	0.02
2.	3402.00.101.33.00.52 जी.एस.एल.वी. परिचालन (जी.एस.एल.वी.-ओ) परियोजना	2.00	14.59	12.59
3.	3402.00.101.45.00.52 अर्द्ध निम्न तापिकी इंजन विकास	1.50	3.00	1.50
4.	5402.00.101.20.00.52 पी.एस.एल.वी. निरंतर परियोजना	3.75	6.33	2.58
5.	5402.00.103.04.00.52 मेघा-ट्रॉपिक्स	0.09	0.14	0.05
6.	5252.00.204.01.00.53 इनसैट-एम.सी.एफ.	1.23	3.43	2.20
7.	5402.00.101.02.00.53 आई.आई.एस.यू.	5.91	9.42	3.51
8.	5402.00.101.25.00.53 जी.एस.एल.वी. परिचालन (जी.एस.एल.वी.-ओ) परियोजना	0.74	1.86	1.12
9.	5402.00.283.02.00.53 एल.पी.एस.सी.	1.77	4.30	2.53
10.	5402.00.283.03.00.53 एस.डी.एस.सी.-एस.एच.ए.आर. केन्द्र	2.78	3.56	0.78
11.	5402.00.283.05.00.53 एस.ए.सी.	3.84	5.19	1.35
12.	5402.00.283.07.00.53 केन्द्रीय प्रबंधन	7.20	8.12	0.92
	योग			29.15
	96-अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह			
1.	4055.00.207.05.00.53 शहरी विकास-राज्य पुलिस-अन्य सिविल निर्माण कार्य	9.75	11.25	1.50
2.	4059.80.051.04.00.53 शहरी विकास-लोक निर्माण कार्य-सामान्य प्रशासन	11.95	14.40	2.45
3.	4059.80.796.01.00.53 शहरी विकास-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना निर्माण-भवन निर्माण	1.86	2.13	0.27
4.	4202.01.201.01.00.53 शहरी विकास- खेलकूद, कला तथा सामान्य एवं मौलिक शिक्षा-भवन निर्माण	3.34	5.75	2.41
5.	4202.01.202.05.00.53 शहरी विकास- खेलकूद, कला और सामान्य एवं द्वितीयक शिक्षा-भवन निर्माण	3.47	6.13	2.66
6.	4202.04.800.02.00.53 शहरी विकास-खेलकूद, कला एवं संस्कृति-भवन निर्माण	0.05	0.56	0.51
7.	4210.80.796.01.00.53 शहरी विकास-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना -भवन निर्माण	1.10	1.40	0.30
8.	4210.80.800.01.00.53 शहरी विकास-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य-अन्य व्यय-भवन निर्माण	7.91	10.36	2.45
9.	4215.01.102.03.00.53 ग्रामीण विकास-ग्रामीण जलापूर्ति	23.00	25.46	2.46
10.	4216.01.106.05.00.53 शहरी विकास-आवास प्रबंध-सरकारी आवासीय भवन-सामान्य पूल	9.41	13.86	4.45
11.	4217.60.051.01.00.53 शहरी विकास-गैर सड़क के किनारे अपवाहिका का निर्माण	1.23	1.45	0.22
12.	4250.00.201.02.00.53 शहरी विकास-अन्य सामाजिक सेवाएं-श्रमिक भवन	1.55	1.99	0.44

13.	4401.00.800.15.00.52 शहरी विकास-फसल कृषिकर्म-अन्य व्यय-भवन निर्माण	0.20	0.32	0.12
14.	4403.00.800.13.00.53 शहरी विकास-पशुपालन-अन्य व्यय-भवन निर्माण	1.70	2.58	0.88
15.	4406.01.105.01.00.53 पर्यावरण एवं वन-वन एवं वन्यजीव-वन संरक्षण-वन उत्पाद एवं अन्य योजनाएँ	2.00	3.33	1.33
16.	4408.02.800.01.00.53 शहरी विकास-खाद्य भण्डारण एवं गोदाम-अन्य व्यय-भवन निर्माण	0.63	1.45	0.82
17.	4801.05.800.06.00.53 शहरी विकास-बिजली परियोजनाएँ- प्रसारण एवं वितरण-भवन निर्माण	0.50	2.05	1.55
18.	4801.06.800.01.00.53 शहरी विकास-बिजली परियोजनाएँ-ग्रामीण विद्युतीकरण-अन्य व्यय	0.50	1.35	0.85
19.	4851.00.102.09.00.53 शहरी विकास-ग्रामीण एवं लघु उद्योग-भवन निर्माण	0.98	1.58	0.60
20.	5054.04.337.01.00.53 सड़क, परिवहन एवं राज मार्ग-सड़कें एवं पुलें-जिला एवं अन्य सड़क निर्माण कार्य	7.00	7.90	0.90
21.	5425.00.800.02.00.53 शहरी विकास-अन्य वैज्ञानिक, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण-अन्य व्यय-भवन निर्माण	0.05	0.15	0.10
	योग			27.27

अनुबंध 4.2

(पैरा 4.6.1 तथा 4.7.3 के संदर्भ में)

प्रत्यायोजन वित्तीय शक्ति नियम, 1978 के नियम 8 में समाहित विषय शीर्षों तथा उनका विवरण

विषय शीर्ष	विवरण
01- वेतन	यात्रा खर्चों (छुट्टी यात्रा रियायत के अलावा) के अतिरिक्त मानदेय तथा अवकाश नकदीकरण सहित इसमें कर्मियों के सभी प्रकार के वेतन तथा भत्ते शामिल होंगे। यह विषय शीर्ष वर्गीकरण साकार भत्तों सहित राज्यों के प्रमुखों और अन्य उच्चाधिकारियों के भत्तों तथा परिलाभ पर हुए व्यय को दर्ज करने के लिए भी उपयोग किया जाएगा।
02- मजदूरी	इसमें वर्तमान में आकस्मिकता से देय कर्मियों एवं श्रमिकों की मजदूरी शामिल होगी।
03-समयोपरि भत्ता	राशि का भुगतान अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी को उनके कार्य दिवस के अतिरिक्त कार्यालयी समय के बाद कार्यालयी कार्य संपन्न करने हेतु किया जाएगा।
04- पेंशन की प्रभारें	इसमें सरकारी सेवकों, संसद सदस्यों, स्वतंत्रता सेनानियों आदि के पेंशन के भुगतान एवं सभी प्रकार के ग्रेजुटी के अलावा सेवा निधि अनुदान एवं अंशदायी भविष्य निधि शामिल होगा। फिर भी, इसमें सामाजिक सुरक्षा व्यय जैसे कि वृद्धावस्था इत्यादि शामिल नहीं होगा।
05- पारितोषिक	इसमें केवल सरकारी सेवकों को योजनानुसार चुकता की गई राशि शामिल होगी, यदि कोई, मंत्रालय/विभाग में परिचालित हो।
06- चिकित्सकीय उपचार	इसमें सरकारी सेवकों/पेंशनरों के चिकित्सकीय प्रतिपूर्ति के लिए चुकता की गई राशि शामिल होगी।
11- घरेलू यात्रा व्यय	इसमें भारत में की गई सेवा के लिए सभी प्रकार के यात्रा खर्च, परिवहन एवं निर्धारित यात्रा भत्ता सहित शामिल होगा लेकिन छुट्टी यात्रा रियायत को छोड़कर जो कि वेतन का भाग होगा। इसमें गैर-कार्यालयी सदस्यों के भारत में यात्रा के दौरान या.भ./म.भ. भी शामिल होगी।
12- विदेशी यात्रा व्यय	इसमें वैज्ञानिकों के भारत से बाहर के दौरे, वैज्ञानिकों की विदेशी प्रतिनियुक्ति सहित पर किए जाने वाला व्यय शामिल होगा। इसमें गैर-कार्यालयी सदस्यों के भारत से बाहर किए जाने या.भ./म.भ. पर व्यय भी शामिल होगा।
13-कार्यालयी व्यय	इसमें कार्यालय संचालन के लिए किए जाने वाले सभी आकस्मिक खर्च शामिल होंगे जैसे कि कुर्सी, डाक, कार्यालयी मशीनों एवं औजारों का अनुक्षण एवं खरीद, सर्द और गर्म मौसम प्रभार (आकस्मिक निधि से कर्मचारियों को किए भुगतान को छोड़कर), टेलीफोन, विद्युत और जल प्रभार, लेखन-सामग्री, फार्मों की छपाई, कार्यालयी उद्देश्य के लिए स्टाफ कार एवं अन्य वाहनों जैसे- एम्बुलेंस, वैन इत्यादि की खरीद एवं अनुक्षण। इसमें कार्यालयी उपयोग के लिए गाड़ियों पर किए जाने वाला पी.ओ.एल. व्यय भी शामिल होगा।
14- किराया, दर एवं कर	इसमें किराये पर लिए गए भवनों के किराये, निगम दर एवं कर आदि शामिल होंगे। इसमें भूमि का पट्टा प्रभार भी शामिल होगा।
15- रॉयल्टी	वित्तीय शक्ति नियम, 1978 के प्रत्यायोजन का विवरण उपलब्ध न होना।
16- प्रकाशन	इसमें कार्यालयी कोड के छपाई, नियमावली एवं अन्य दस्तावेजों पर हुए व्यय शामिल होंगे चाहे वे मूल्यांकित हो या अमूल्यांकित लेकिन इसमें प्रकाशन की बिक्री पर अभिकर्ताओं को दिए जाने वाले छूट भी शामिल होंगे।
20- अन्य प्रशासनिक खर्च	इसमें विभागीय कैंटीन, आवभगत/मनोरंजन खर्च, उपहार तथा किए गए दौरो पर व्यय, सम्मेलनों/सेमीनारों/कार्यशालाओं आदि पर व्यय तथा अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर व्यय शामिल होगा।
21-आपूर्तियां तथा सामग्रियां	इसमें सामग्रियों तथा आपूर्तियों, भण्डार तथा उपकरण आदि पर व्यय शामिल होगा।
22-शस्त्र और गोला बारूद	इसमें पुलिस तथा अन्य अर्द्ध सैनिक प्रतिष्ठानों के शस्त्र और गोला बारूद पर किया जाने वाला व्यय शामिल होगा।

विषय शीर्ष	विवरण
23-राशन की लागत	इसमें पुलिस तथा अन्य अर्द्ध सैनिक प्रतिष्ठानों के राशन पर किया जाने वाला व्यय शामिल होगा।
24-पी.ओ.एल	इसमें पुलिस एवं अन्य अर्द्ध सैनिक वाहनों के पी.ओ.एल. पर किया जाने वाला व्यय शामिल होगा। यह क्षेत्रीय गतिविधियों के लिए परिवहन वाहनों के पी.ओ.एल. पर किए जाने वाले व्यय को शामिल करेगा, लेकिन उनको छोड़कर जो कार्यालय चलाने के लिए प्रयुक्त होते हैं।
25- कपडा और तंबू	इसमें पुलिस तथा अन्य अर्द्ध सैनिक प्रतिष्ठानों के कपड़े और टेंट पर किया जाने वाला व्यय शामिल होगा।
26- विज्ञापन एवं प्रकाशन	इसमें प्रचार सामग्री के प्रकाशन एवं बिक्री के लिए अभिकर्ताओं को दिया जाने वाला कमीशन शामिल होगा।
27- लघु निर्माण कार्य	इसमें निर्माण कार्य, मशीनरी तथा उपकरण की मरम्मत एवं अनुसंधान पर किया गया व्यय दर्ज होगा।
28- व्यवसायिक सेवाएँ	इसमें कानूनी सेवाओं के प्रभार, परामर्श शुल्क, स्टाफ कलाकारों को शुल्क, परीक्षाएं आयोजित करने के लिए परीक्षकों, निरीक्षकों आदि को पारिश्रमिक, आकाशवाणी, दूरसंचार, दूरदर्शन द्वारा नैमित्तिक कलाकारों को पारिश्रमिक तथा अन्य सभी प्रकार के पारिश्रमिक के प्रभार शामिल होंगे। इसमें की गई सेवाओं अन्य विभागों जैसे रेलवे, पुलिस आदि द्वारा की गई आपूर्तियों के भुगतान शामिल होंगे, की गई आपूर्तियों तथा एक कार्यालय को चलाने के लिए की गई सेवाओं को पृथक करते हुए उन मामलों में व्यय खर्च के अंतर्गत दर्ज किया जाएगा।
30- अन्य संविदात्मक सेवाएँ	इसमें सेवा या प्रतिबद्धता प्रभारों तथा प्राप्त उपहारों के सैद्धांतिक मूल्य आदि पर व्यय शामिल होगा।
31-सहायता अनुदान-सामान्य	वित्तीय शक्ति नियमों, 1978 के प्रत्यायोजन का विवरण उपलब्ध न होना।
32- अंशदान	इसमें अंतर्राष्ट्रीय निकायों की सदस्यता पर व्यय शामिल होगा।
33-आर्थिक सहायता	वित्तीय शक्ति नियमों, 1978 के प्रत्यायोजन का विवरण उपलब्ध न होना।
34- छात्रवृत्ति/वृत्तिछात्र	वित्तीय शक्ति नियमों, 1978 के प्रत्यायोजन का विवरण उपलब्ध न होना।
35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	इसमें पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के रूप में जारी राशियां शामिल होंगी।
36- सहायता अनुदान-वेतन	इसमें वेतन के भुगतान हेतु सहायता अनुदान के रूप में जारी राशियां शामिल होंगी।
41-गुप्त सेवा व्यय	वित्तीय शक्ति नियमों, 1978 के प्रत्यायोजन का विवरण उपलब्ध न होना।
42-एकमुश्त प्रावधान	इसमें योजनाओं/उप-योजनाओं/संगठनों जहाँ प्रावधान रु.10 लाख से अधिक न हो के संबंध में व्यय शामिल होंगे। अन्य सभी मामलों में व्यय के अन्य विषयों द्वारा अलग-अलग ब्यौरा भी दिया जाएगा।
43- उचित	वित्तीय शक्ति नियमों, 1978 के प्रत्यायोजन का विवरण उपलब्ध न होना।
44- विनिमय विभिन्नता	विदेशी स्रोतों से ऋण/अग्रिम की प्राप्ति तथा उसके पुनर्भुगतान के समय विनिमय की दर में विभिन्नता को संबंधित सेवा व्यय शीर्ष के अंतर्गत इस विषय शीर्ष के अंतर्गत डेबिट किया जाएगा।
45-ब्याज	इसमें पूँजीगत पर ब्याज तथा ऋण पर छूट शामिल होंगी।
46- केन्द्र राज्य संसाधनों का अंतरण	वित्तीय शक्ति नियमों, 1978 के प्रत्यायोजन का विवरण उपलब्ध न होना।
50-अन्य प्रभारें	इसमें विवेकाधिकार अनुदानों में से भुगतान शामिल होगा। अन्य शुल्क, क्षतिपूर्ति, इनाम तथा पुरस्कार आदि तथा अन्य व्यय जो इन विशिष्ट विषय शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किये जा सकते, वे इस शीर्ष में डेबिट किए जाएंगे।
51-मोटर वाहन	कार्यालय को चलाने के लिए प्रयोग में आनेवाले वाहनों से अलग कार्यात्मक गतिविधियों (जैसे-एम्बुलेंस वैन) के लिए प्रयोग किए जाने वाले परिवहन वाहनों का खरीद एवं अनुसंधान शामिल।
52- मशीनरी तथा उपकरण	इसमें एक कार्यालय को चलाने के लिए आवश्यक के अलावा मशीनरी उपकरण औजार आदि तथा विशिष्ट निर्माण कार्य के लिए अपेक्षित विशेष औजार तथा संयंत्र शामिल होंगे।
53 मुख्य निर्माण कार्य	इसमें भूमि तथा ढांचों के अधिग्रहण का लागत भी शामिल होगा।
54-निवेश	वित्तीय शक्ति नियमों, 1978 के प्रत्यायोजन का विवरण उपलब्ध न होना।

विषय शीर्ष	विवरण
55-ऋण तथा अग्रिम	इसमें अन्य सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों, उपक्रमों तथा अन्य सरकारी निकायों आदि को दिए गए सभी ऋण तथा अग्रिम शामिल होंगे।
56-उधारों का पुनर्भुगतान	वित्तीय शक्ति नियमों, 1978 के प्रत्यायोजन का विवरण उपलब्ध न होना।
60-अन्य पूंजीगत व्यय	वित्तीय शक्ति नियमों, 1978 के प्रत्यायोजन का विवरण उपलब्ध न होना।
61- मूल्यहास	वित्तीय शक्ति नियमों, 1978 के प्रत्यायोजन का विवरण उपलब्ध न होना।
62-आरक्षित	वित्तीय शक्ति नियमों, 1978 के प्रत्यायोजन का विवरण उपलब्ध न होना।
63- अंतर-खाता अंतरण	इसमें आरक्षित निधि से तथा को अंतरण शामिल होगा, इत्यादि, पूंजी से राजस्व को वापस लिखना।
64- बट्टे खाते/हानियाँ	बट्टे खाते में डाली गई अवसूली योग्य ऋण, हानियाँ, व्यापारिक हानियाँ शामिल होंगी।
70- वसूलियाँ कटौती	वित्तीय शक्ति नियमों, 1978 के प्रत्यायोजन का विवरण उपलब्ध न होना।

अनुबंध 4.3

(पैरा सं. 4.12 तालिका सं. 4.19 के संदर्भ में)

अंतरिक्ष विभाग में पुनर्विनियोग जारी करने से पूर्व प्रावधान से अधिक किए गए व्यय के मामले

(₹ लाख में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	लेखा वर्गीकरण	बजट प्रावधान	व्यय	ऐसे माह जिसमें उपलब्ध प्रावधानों से ज्यादा खर्च किए गये	पुनर्विनियोग से पूर्व के प्रावधान जिसमें अधिक व्यय किया गया
1.	01- एम.सी.एफ.	3252.00.053.01.00.01 योजना	131.00	142.82	जनवरी-13	11.82
2.	01- एम.सी.एफ.	3252.00.053.01.00.01 गैर-योजना	1739.00	1892.26	जनवरी-13	153.26
3.	01- एम.सी.एफ.	3252.00.053.01.00.06 योजना	7.00	7.41	मार्च -13	0.41
4.	01- एम.सी.एफ.	3252.00.053.01.00.06 गैर-योजना	85.00	85.47	मार्च -13	0.47
5.	01- एम.सी.एफ.	3252.00.053.01.00.11 गैर-योजना	5.00	5.89	जनवरी -14	0.89
6.	01- एम.सी.एफ.	3252.00.053.01.00.27 योजना	207.00	256.56	फरवरी-13	49.56
7.	01- एम.सी.एफ.	3252.00.053.01.00.27 गैर-योजना	35.00	44.04	फरवरी -13	9.04
8.	01- एम.सी.एफ.	3252.00.053.01.00.31 गैर-योजना	1.00	1.06	मार्च -13	0.06
9.	04-इनसैट 3	3252.00.053.04.00.20 योजना	10.00	11.95	दिसम्बर-12	1.95
10.	04-इनसैट 3	3252.00.053.04.00.21 योजना	10.00	27.30	अगस्त-12	17.30
11.	04-इनसैट 3	3252.00.053.04.00.28 योजना	20.00	24.89	सितम्बर-12	4.89
12.	06-इनसैट 4	3252.00.053.06.00.11 योजना	151.00	174.53	फरवरी -13	23.53
13.	06-इनसैट 4	3252.00.053.06.00.21 योजना	12.00	249.70	मई-12	237.70
14.	07-इनसैट 4 एल.एस.	3252.00.053.07.00.50 योजना	10.00	11.20	जनवरी -13	1.20
15.	10- जी.एस.ए.टी. 7 एल.एस.	3402.00.001.01.00.06 गैर-योजना	351.50	451.90	फरवरी -13	100.40
16.	10- जी.एस.ए.टी. 7 एल.एस.	3402.00.001.01.00.27 गैर-योजना	660.00	887.80	जनवरी -13	227.80
17.	01-इसरो मुख्यालय	3402.00.001.01.00.28 गैर-योजना	18.00	30.33	नवम्बर-12	12.33
18.	01-इसरो मुख्यालय	3402.00.001.01.00.50 गैर-योजना	1280.00	1491.05	फरवरी -13	211.05
19.	01-वी.एस.एस.सी.	3402.00.101.01.00.06 योजना	1625.00	1743.00	मार्च -13	118.00
20.	01-वी.एस.एस.सी.	3402.00.101.01.00.06 गैर-योजना	325.00	357.00	दिसम्बर-12	32.00
21.	01-वी.एस.एस.सी.	3402.00.101.01.00.20 गैर-योजना	250.00	270.00	फरवरी -13	20.00
22.	01-वी.एस.एस.सी.	3402.00.101.01.00.26 गैर-योजना	20.00	30.00	जनवरी -13	10.00
23.	01-वी.एस.एस.सी.	3402.00.101.01.00.50 गैर-योजना	6.00	11.87	मार्च -13	5.87
24.	02-आई.आई.एस.यू.	3402.00.101.02.00.11 योजना	69.00	70.00	मार्च -13	1.00
25.	02-आई.आई.एस.यू.	3402.00.101.02.00.13 योजना	256.00	352.03	दिसम्बर-12	96.03
26.	02आई.आई.एस.यू.	3402.00.101.02.00.27 योजना	55.00	74.00	नवम्बर-12	19.00
27.	02-आई.आई.एस.यू.	3402.00.101.02.00.52 योजना	457.00	499.00	मार्च -13	42.00
28.	04-पी.एस.एल.वी.सी.	3402.00.101.04.00.01 योजना	357.00	385.01	जनवरी -13	28.01
29.	04-पी.एस.एल.वी.सी.	3402.00.101.04.00.11 योजना	50.00	169.26	सितम्बर-12	119.26

क्र. सं.	उप-शीर्ष	लेखा वर्गीकरण	बजट प्रावधान	व्यय	ऐसे माह जिसमें उपलब्ध प्रावधानों से ज्यादा खर्च किए गये	पुनर्विनियोग से पूर्व के प्रावधान जिसमें अधिक व्यय किया गया
30.	04पी.एस.एल.वी.सी.	3402.00.101.04.00.13 योजना	50.00	94.28	अक्तूबर-12	44.28
31.	04-पी.एस.एल.वी.सी.	3402.00.101.04.00.27 योजना	15.00	63.52	अप्रैल-12	48.52
32.	06 जी.एस.एल.वी. एम.के. III	3402.00.101.06.00.50 योजना	40.00	80.59	जनवरी -12	40.59
33.	09 एल.पी.एस.सी.	3402.00.101.09.00.02 गैर-योजना	3.00	9.00	दिसम्बर-12	6.00
34.	09- एल.पी.एस.सी.	3402.00.101.09.00.06 योजना	390.00	432.00	मार्च -13	42.00
35.	09- एल.पी.एस.सी.	3402.00.101.09.00.27 योजना	820.00	898.00	मार्च -13	78.00
36.	09- एल.पी.एस.सी.	3402.00.101.09.00.28 योजना	910.00	1048.00	मार्च -13	138.00
37.	10-आई.एस.ए.सी.	3402.00.101.10.00.06 योजना	800.00	990.00	जनवरी -13	190.00
38.	10-आई.एस.ए.सी.	3402.00.101.10.00.20 गैर-योजना	124.00	129.07	फरवरी -13	5.07
39.	10-आई.एस.ए.सी.	3402.00.101.10.00.21 योजना	1810.00	1939.54	नवम्बर-12	129.54
40.	10आई.एस.ए.सी.	3402.00.101.10.00.21 गैर-योजना	190.00	229.97	मार्च -13	39.97
41.	10आई.एस.ए.सी.	3402.00.101.10.00.27 योजना	216.00	219.56	मार्च -13	3.56
42.	10-आई.एस.ए.सी.	3402.00.101.10.00.50 योजना	175.00	176.97	मार्च -13	1.97
43.	10आई.एस.ए.सी.	3402.00.101.10.00.50 गैर-योजना	50.00	55.58	फरवरी -13	5.58
44.	11- एल.ई.ओ.एस.	3402.00.101.11.00.06 योजना	14.00	15.15	मार्च -13	1.15
45.	11- एल.ई.ओ.एस.	3402.00.101.11.00.20 योजना	9.00	9.23	मार्च -13	0.23
46.	11 एल.ई.ओ.एस.	3402.00.101.11.00.26 योजना	5.00	5.35	जनवरी -13	0.35
47.	11- एल.ई.ओ.एस.	3402.00.101.11.00.27 योजना	210.30	232.34	फरवरी -13	22.04
48.	11- एल.ई.ओ.एस.	3402.00.101.11.00.50 योजना	65.00	144.10	सितम्बर-12	79.10
49.	11- एल.ई.ओ.एस.	3402.00.101.11.00.52 योजना	27.00	27.15	मार्च -13	0.15
50.	25- एस.एच.ए.आर.	3402.00.101.25.00.02 गैर-योजना	16.00	43.71	अगस्त-12	27.71
51.	25- एस.एच.ए.आर.	3402.00.101.25.00.06 योजना	282.00	590.70	मार्च -13	308.70
52.	25 एस.एच.ए.आर.	3402.00.101.25.00.06 गैर-योजना	968.00	987.58	फरवरी -13	19.58
53.	25- एस.एच.ए.आर.	3402.00.101.25.00.14 गैर-योजना	1.00	19.00	मार्च -13	18.00
54.	25- एस.एच.ए.आर.	3402.00.101.25.00.20 गैर-योजना	25.00	37.18	सितम्बर-12	12.18
55.	25- एस.एच.ए.आर.	3402.00.101.25.00.50 गैर-योजना	1.00	4.62	जून-12	3.62
56.	25- एस.एच.ए.आर.	3402.00.101.25.00.52 योजना	3.00	56.98	फरवरी -13	53.98
57.	26-आई.एस.टी.आर.ए.सी.	3402.00.101.26.00.01 योजना	340.00	348.00	मार्च -13	8.00
58.	26-आई.एस.टी.आर.ए.सी.	3402.00.101.26.00.01 गैर-योजना	3060.00	3149.23	फरवरी -13	89.23
59.	26-आई.एस.टी.आर.ए.सी.	3402.00.101.26.00.06 योजना	60.00	69.66	जनवरी-13	9.66
60.	26-आई.एस.टी.आर.ए.सी.	3402.00.101.26.00.06 गैर-योजना	105.00	120.33	मार्च -13	15.33
61.	26-आई.एस.टी.आर.ए.सी.	3402.00.101.26.00.11 योजना	75.00	75.10	मार्च -13	0.10
62.	26-आई.एस.टी.आर.ए.सी.	3402.00.101.26.00.11 गैर-योजना	25.00	25.65	मार्च -13	0.65
63.	26-आई.एस.टी.आर.ए.सी.	3402.00.101.26.00.12 योजना	88.00	88.50	मार्च -13	0.50
64.	26-आई.एस.टी.आर.ए.सी.	3402.00.101.26.00.12 गैर-योजना	13.00	17.77	मार्च -13	4.77

क्र. सं.	उप-शीर्ष	लेखा वर्गीकरण	बजट प्रावधान	व्यय	ऐसे माह जिसमें उपलब्ध प्रावधानों से ज्यादा खर्च किए गये	पुनर्विनियोग से पूर्व के प्रावधान जिसमें अधिक व्यय किया गया
65.	26-आई.एस.टी.आर.ए.सी.	3402.00.101.26.00.20 गैर-योजना	4.00	4.03	मार्च -13	0.03
66.	26-आई.एस.टी.आर.ए.सी.	3402.00.101.26.00.26 गैर-योजना	6.00	8.78	मार्च -13	2.78
67.	26-आई.एस.टी.आर.ए.सी.	3402.00.101.26.00.28 योजना	89.00	111.03	दिसम्बर-12	22.03
68.	26-आई.एस.टी.आर.ए.सी.	3402.00.101.26.00.28 गैर-योजना	231.00	288.52	दिसम्बर-12	57.52
69.	33-जी.एस.एल.वी.ओ.	3402.00.101.33.00.01 योजना	400.00	441.23	जनवरी-13	41.23
70.	35-आर.आई.एस.ए.टी. 1	3402.00.101.35.00.11 योजना	7.00	20.02	अप्रैल-12	13.02
71.	38-आई.आर.एन.एस.एस	3402.00.101.38.00.11 योजना	121.00	145.71	फरवरी -13	24.71
72.	38-आई.आर.एन.एस.एस	3402.00.101.38.00.28 योजना	120.00	143.70	फरवरी -13	23.70
73.	41- जी.एस.ए.टी. 11	3402.00.101.41.00.11 योजना	32.00	34.69	फरवरी -13	2.69
74.	41- जी.एस.ए.टी. 11	3402.00.101.41.00.21 योजना	10.00	65.21	अगस्त-12	55.21
75.	41- जी.एस.ए.टी. 11	3402.00.101.41.00.27 योजना	25.00	44.00	फरवरी -13	19.00
76.	41- जी.एस.ए.टी. 11	3402.00.101.41.00.28 योजना	5.00	12.06	मार्च -13	7.06
77.	41- जी.एस.ए.टी. 11	3402.00.101.41.00.50 योजना	6.00	17.00	अप्रैल-12	11.00
78.	45- एस.सी.ई.डी.	3402.00.101.45.00.52 योजना	150.00	300.00	दिसम्बर-12	150.00
79.	46-ई.ओ.एन.एम.	3402.00.101.46.00.13 योजना	60.00	82.41	फरवरी -13	22.41
80.	46-ई.ओ.एन.एम.	3402.00.101.46.00.28 योजना	15.00	22.00	फरवरी -13	7.00
81.	47-एस.ए.आर.ए.एल.	3402.00.101.47.00.13 योजना	53.00	54.80	मार्च -13	1.80
82.	47-एस.ए.आर.ए.एल.	3402.00.101.47.00.20 योजना	21.50	24.22	मार्च -13	2.72
83.	47-एस.ए.आर.ए.एल.	3402.00.101.47.00.28 योजना	10.00	18.12	दिसम्बर-12	8.12
84.	47-एस.ए.आर.ए.एल.	3402.00.101.47.00.50 योजना	7.00	10.54	मार्च -13	3.54
85.	49- जी.आई.एस.ए.टी.	3402.00.101.49.00.11 योजना	17.00	18.00	फरवरी -13	1.00
86.	49- जी.आई.एस.ए.टी.	3402.00.101.49.00.27 योजना	30.00	31.59	मार्च -13	1.59
87.	49 जी.आई. एस.ए.टी.	3402.00.101.49.00.28 योजना	5.00	8.60	फरवरी -13	3.60
88.	01- एस.ए.सी.	3402.00.102.01.00.01 योजना	5250.00	5300.00	फरवरी -13	50.00
89.	01- एस.ए.सी.	3402.00.102.01.00.01 गैर-योजना	9350.00	9599.64	फरवरी -13	249.64
90.	01- एस.ए.सी.	3402.00.102.01.00.06 योजना	400.00	499.94	फरवरी -13	99.94
91.	01- एस.ए.सी.	3402.00.102.01.00.11 योजना	200.00	219.95	फरवरी -13	19.95
92.	01- एस.ए.सी.	3402.00.102.01.00.14 गैर-योजना	5.00	15.00	फरवरी -13	10.00
93.	01- एस.ए.सी.	3402.00.102.01.00.50 योजना	950.00	1013.00	मार्च -13	63.00
94.	05- एन.एन.आर.एम.एस	3402.00.102.05.00.01 योजना	96.00	130.34	फरवरी -13	34.34
95.	11- एन.आर.एस.सी.	3402.00.102.11.00.01 योजना	1173.00	1185.45	जनवरी -13	12.45
96.	11- एन.आर.एस.सी.	3402.00.102.11.00.01 गैर-योजना	6447.00	6546.40	मार्च -13	99.40
97.	11 एन.आर.एस.सी.	3402.00.102.11.00.06 योजना	294.00	442.12	दिसम्बर-12	148.12
98.	11- एन.आर.एस.सी.	3402.00.102.11.00.11 गैर-योजना	14.00	16.02	जनवरी -13	2.02
99.	11- एन.आर.एस.सी.	3402.00.102.11.00.12 गैर-योजना	5.00	5.68	जनवरी -13	0.68
100.	11 एन.आर.एस.सी.	3402.00.102.11.00.14 गैर-योजना	15.00	30.56	अगस्त-12	15.56

क्र. सं.	उप-शीर्ष	लेखा वर्गीकरण	बजट प्रावधान	व्यय	ऐसे माह जिसमें उपलब्ध प्रावधानों से ज्यादा खर्च किए गये	पुनर्विनियोग से पूर्व के प्रावधान जिसमें अधिक व्यय किया गया
101.	11- एन.आर.एस.सी.	3402.00.102.11.00.20 गैर-योजना	84.00	182.82	अगस्त-12	98.82
102.	11- एन.आर.एस.सी.	3402.00.102.11.00.26 गैर-योजना	30.00	120.15	सितम्बर-12	90.15
103.	12-आई.आई.आर.एस.	3402.00.102.12.00.02 गैर-योजना	9.00	12.80	दिसम्बर-12	3.80
104.	12-आई.आई.आर.एस.	3402.00.102.12.00.06 योजना	34.00	69.43	दिसम्बर-12	35.43
105.	12आई.आई.आर.एस.	3402.00.102.12.00.06 गैर-योजना	20.00	40.84	दिसम्बर-12	20.84
106.	12-आई.आई.आर.एस.	3402.00.102.12.00.11 योजना	20.00	27.22	दिसम्बर-12	7.22
107.	12-आई.आई.आर.एस.	3402.00.102.12.00.11 गैर-योजना	16.00	21.77	दिसम्बर-12	5.77
108.	12-आई.आई.आर.एस.	3402.00.102.12.00.13 योजना	40.00	50.15	फरवरी -13	10.15
109.	12-आई.आई.आर.एस.	3402.00.102.12.00.13 गैर-योजना	25.00	31.34	फरवरी -13	6.34
110.	12-आई.आई.आर.एस.	3402.00.102.12.00.20 योजना	4.00	18.29	नवम्बर-12	14.29
111.	12-आई.आई.आर.एस.	3402.00.102.12.00.20 गैर-योजना	2.00	9.14	नवम्बर-12	7.14
112.	12- आई.आई.आर.एस.	3402.00.102.12.00.26 गैर-योजना	12.50	17.31	दिसम्बर-12	4.81
113.	12-आई.आई.आर.एस.	3402.00.102.12.00.27 योजना	230.00	276.30	मार्च -13	46.30
114.	12-आई.आई.आर.एस.	3402.00.102.12.00.27 गैर-योजना	30.00	36.04	मार्च -13	6.04
115.	12-आई.आई.आर.एस.	3402.00.102.12.00.28 योजना	10.00	11.91	फरवरी -13	1.91
116.	12-आई.आई.आर.एस.	3402.00.102.12.00.28 गैर-योजना	5.00	5.96	फरवरी -13	0.96
117.	12- ए.एस.पी.	3402.00.103.12.00.50 योजना	520.00	754.85	नवम्बर-12	234.85
118.	16- एम.ए.आर.एस.	3402.00.103.16.00.13 योजना	50.00	131.53	मार्च -13	81.53
119.	02-ओ.पी.	3402.00.798.02.00.32 योजना	20.00	22.50	फरवरी -13	2.50
120.	18 डी.ओ.एस.	3451.00.090.18.00.11 गैर-योजना	80.00	117.91	दिसम्बर-12	37.91
121.	18- डी.ओ.एस.	3451.00.090.18.00.14 गैर-योजना	1.00	1.59	मार्च -13	0.59
122.	18- डी.ओ.एस.	3451.00.090.18.00.20 गैर-योजना	12.00	15.41	फरवरी -13	3.41
123.	18 डी.ओ.एस.	3451.00.090.18.00.28 गैर-योजना	60.00	87.65	नवम्बर-12	27.65
124.	18 डी.ओ.एस.	3451.00.090.18.00.31 गैर-योजना	30.00	50.51	मार्च -13	20.51
125.	18- डी.ओ.एस.	3451.00.090.18.00.50 गैर-योजना	6.50	61.35	जून-12	54.85
126.	01- एम.सी.एफ.	5252.00.204.01.00.53 योजना	123.00	342.70	सितम्बर-12	219.70
127.	01-वी.एस.एस.सी.	5402.00.101.01.00.53 योजना	4299.00	4393.98	मार्च -13	94.98
128.	02-आई.आई.एस.यू.	5402.00.101.02.00.53 योजना	591.00	941.99	जनवरी -13	350.99
129.	17- एस.एच.ए.आर.	5402.00.101.17.00.53 योजना	2492.00	2586.95	मार्च -13	94.95
130.	18-आई.एस.टी.आर.ए.सी.	5402.00.101.18.00.53 योजना	122.00	129.42	मार्च -13	7.42
131.	25- जी.एस.एल.वी.ओ.	5402.00.101.25.00.52 योजना	1416.00	1423.84	मार्च -13	7.84
132.	25- जी.एस.एल.वी.ओ.	5402.00.101.25.00.53 योजना	74.00	185.93	फरवरी -13	111.93
133.	27- आर.आई.एस.ए.टी.	5402.00.101.27.00.60 योजना	13.00	23.07	अगस्त-12	10.07
134.	04- एम.ई.जी.ए	5402.00.103.04.00.52 योजना	9.00	13.76	जुलाई-12	4.76
135.	06- एस. एस.	5402.00.103.06.00.60 योजना	136.00	159.51	मार्च -13	23.51
136.	02- एल.पी.एस.सी.	5402.00.283.02.00.53 योजना	177.00	430.00	अक्टूबर -12	253.00

क्र. सं.	उप-शीर्ष	लेखा वर्गीकरण	बजट प्रावधान	व्यय	ऐसे माह जिसमें उपलब्ध प्रावधानों से ज्यादा खर्च किए गये	पुनर्विनियोग से पूर्व के प्रावधान जिसमें अधिक व्यय किया गया
137.	03- एस.एच.ए.आर.	5402.00.283.03.00.53 योजना	278.00	355.97	दिसम्बर-12	77.97
138.	05- एस.ए.सी.	5402.00.283.05.00.53 योजना	384.00	519.00	नवम्बर-12	135.00
139.	07- सी.एम.	5402.00.283.07.00.53 योजना	720.00	811.95	फरवरी -13	91.95
140.	01- वी.एस.एस.सी.	3402.00.101.01.00.01 योजना	7000.00	8060.00	मार्च -13	1060.00
141.	01-वी.एस.एस.सी.	3402.00.101.01.00.01 गैर-योजना	21000.00	21151.61	जनवरी -13	151.61
142.	01-वी.एस.एस.सी.	3402.00.101.01.00.13 योजना	1210.00	1602.00	दिसम्बर-12	392.00
143.	01-वी.एस.एस.सी.	3402.00.101.01.00.13 गैर-योजना	152.00	190.99	दिसम्बर-12	38.99
144.	01-वी.एस.एस.सी.	3402.00.101.01.00.27 योजना	1150.00	1620.00	दिसम्बर-12	470.00
145.	01-वी.एस.एस.सी.	3402.00.101.01.00.27 गैर-योजना	125.00	180.00	दिसम्बर-12	55.00
146.	01-वी.एस.एस.सी.	3402.00.101.01.00.50 योजना	1500.00	2224.04	जनवरी -13	724.04
147.	01-वी.एस.एस.सी.	3402.00.101.01.00.50 गैर-योजना	200.00	228.00	अक्तूबर-12	28.00
148.	02-आई.आई.एस.यू.	3402.00.101.02.00.21 योजना	1172.00	1621.00	जनवरी -13	449.00
149.	06- जी.एस.एल.वी. एम.के. III	3402.00.101.06.00.21 योजना	4874.00	6009.15	नवम्बर-12	1135.15
150.	25- एस.एच.ए.आर.	3402.00.101.25.00.21 योजना	948.00	2893.78	सितम्बर-12	1945.78
151.	25- एस.एच.ए.आर.	3402.00.101.25.00.21 गैर-योजना	902.00	1783.27	जून-12	881.27
152.	25- एस.एच.ए.आर.	3402.00.101.25.00.27 योजना	509.00	1435.24	नवम्बर-12	926.24
153.	25- एस.एच.ए.आर.	3402.00.101.25.00.27 गैर-योजना	591.00	1108.97	जुलाई-12	517.97
154.	25- एस.एच.ए.आर.	3402.00.101.25.00.28 योजना	515.00	516.25	फरवरी -13	1.25
155.	25- एस.एच.ए.आर.	3402.00.101.25.00.28 गैर-योजना	1735.00	2139.02	दिसम्बर-12	404.02
156.	25- एस.एच.ए.आर.	3402.00.101.25.00.50 योजना	551.00	1537.85	दिसम्बर-12	986.85
157.	25- एस.एच.ए.आर.	3402.00.101.25.00.50 गैर-योजना	703.00	1095.60	अगस्त-12	392.60
158.	26- आई.एन.एस.टी.आर.ए.सी.	3402.00.101.26.00.50 योजना	855.00	2353.15	दिसम्बर-12	1498.15
159.	13- जी.एस.एल.वी.ओ.	3402.00.101.33.00.21 योजना	18484.00	21840.49	दिसम्बर-12	3356.49
160.	13- जी.एस.एल.वी.ओ.	3402.00.101.33.00.52 योजना	200.00	1458.83	जुलाई-12	1258.83
161.	11-एन.आर.एस.सी.	3402.00.102.11.00.27 योजना	131.00	1003.68	मई-12	872.68
162.	11-एन.आर.एस.सी.	3402.00.102.11.00.50 योजना	0.00	1134.80	मार्च -13	1134.80
163.	11- -एन.आर.एस.सी.	3402.00.102.11.00.50 गैर-योजना	32.00	182.79	मार्च -13	150.79
164.	06- जी एस.ए.टी. 7 एल.एस.	5252.00.203.06.00.60 योजना	15500.00	44850.79	दिसम्बर-12	29350.79
165.	31- एन.एस.एस.	5402.00.101.31.00.60 योजना	7299.00	8136.57	मार्च -13	837.57
166.	40- एस.ए.आर.ए.एल.	5402.00.101.40.00.60 योजना	1161.00	1700.00	जनवरी -13	539.00
167.	01- एस.ए.सी.	5402.00.102.01.00.60 योजना	100.00	1139.98	मार्च -13	1039.98
168.	09- एम.ए.आर.एस.	5402.00.103.09.00.60 योजना	10090.00	11564.10	मार्च -13	1474.10
		योग				58,670.59

अनुबंध 5.1

(पैरा सं. 5.6.8(घ) के संदर्भ में)

उन अग्रिमों को दर्शाती हुई विवरणी जिनका भुगतान निर्माण अभिकरणों, स्टाफ सदस्यों, आपूर्तिकर्ताओं आदि को किया गया लेकिन उ.प्र. में पृथक रूप से दर्शाया नहीं गया है

(₹ लाख में)

क्र.सं.	संस्थान का नाम	वर्ष	वार्षिक खाते में दर्शाई गई संवितरित ऋणें एवं अग्रिमें
1.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, रायपुर	2010-11	11.77
2.		2011-12	33.70
3.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, लखनऊ	2010-11	78.65
4.		2011-12	77.07
5.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, रोहतक	2011-12	1297.10
6.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, तिरुचिरापल्ली	2011-12	427.54
7.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की	2011-12	5326.93
8.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास	2011-12	110.75
9.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली	2011-12	324.55
10.	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद	2011-12	5989.01
11.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना	2011-12	6504.04
कुल			20181.11

अनुबंध 5.2

(पैरा सं. 5.6.9 (घ) के संदर्भ में)

हिन्दी के विकास एवं प्रोत्साहन की योजना के अंतर्गत व्यक्तियों/संगठनों/निजी संस्थानों को ₹ 10 लाख तथा अधिक की अनुमोदित सहायता अनुदान को दर्शाती हुई विवरणी

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	संस्थान/संगठन का नाम	अनुमोदित राशि	
		2010-11	2011-12
1.	असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, गुवाहाटी	3121050	3121050
2.	असम राज्य राष्ट्रभाषा प्रचार समिति	2842290	2842290
3.	मैसूर हिन्दी प्रचार परिषद, बंगलौर	3277762	3277762
4.	कर्नाटक हिन्दी प्रचार समिति, जयनगर, बंगलौर	2393025	2393025
5.	कर्नाटक महिला हिन्दी सेवा समिति, बंगलौर	2498700	2498700
6.	दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, (कर्नाटक) धारवाड़	5878800	5878800
7.	मुंबई हिन्दी विद्यापीठ, मुंबई	2800350	2800350
8.	दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	4787070	4787070
9.	आन्ध्र प्रदेश हिन्दी प्रदेश हिन्दी प्रचार सभा, हैदराबाद	1068750	1068750
10.	दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, चेन्नई शहर योजना	3263400	3263400
11.	दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, चेन्नई (पी.जी. केन्द्र के लिए)	6156320	6156320
12.	दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, त्रिची	7482200	7482200
13.	अखिल भारतीय हिन्दी संस्था संघ, नई दिल्ली	1881000	1211000
14.	दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा (केरल) एर्नाकुलम	3157575	3157575
15.	केरल हिन्दी प्रचार सभा, तिरुवनन्तपुरम	3257175	3257175
	कुल	5,38,65,467	5,31,95,467

अनुबंध 5.3

(पैरा सं. 5.6.9 (ख) के संदर्भ में)

उच्च शिक्षा विभाग में वर्षवार लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र

वित्तीय वर्ष	लंबित उ.प्र. की सं.	जारी किया गया कुल अनुदान (₹ लाख में)
1977-1978	1	3.50
1978-1979	23	29.26
1979-1980	16	18.32
1980-1981	9	17.20
1981-1982	11	21.10
1982-1983	32	67.65
1983-1984	19	36.31
1984-1985	15	28.56
1985-1986	77	382.02
1986-1987	26	94.96
1987-1988	91	491.51
1988-1989	76	359.36
1989-1990	75	515.23
1990-1991	12	11.75
1991-1992	40	297.96
1992-1993	45	427.15
1993-1994	57	553.33
1994-1995	17	122.33
1995-1996	20	180.59
1996-1997	20	270.76
1997-1998	29	337.27
1998-1999	32	169.99
1999-2000	90	382.05
2000-2001	80	648.53
2001-2002	85	736.64
2002-2003	161	1632.28
2003-2004	139	2052.71
2004-2005	145	4146.43
2005-2006	213	1313.90
2006-2007	68	6170.95
2007-2008	23	78.89
2008-2009	36	626.64
2009-2010	193	3095.29
2010-2011	372	11103.61
2011-2012	286	63765.17
	2634	100189.20

अनुबंध 5.4

(पैरा सं. 5.6.22 के संदर्भ में)

वस्त्र मंत्रालय में, 31 मार्च 2012 को वर्षवार लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्र

(₹ लाख में)

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	लंबित उ.प्र. की संख्या	राशि
1.	1978-1979	10	44.83
2.	1979-1980	2	11
3.	1980-1981	3	3.87
4.	1981-1982	1	0.40
5.	1982-1983	4	2.02
6.	1984-1985	1	0.65
7.	1985-1986	3	2.15
8.	1988-1989	1	0.25
9.	1989-1990	2	1.50
10.	1991-1992	3	7.47
11.	1992-1993	7	8.85
12.	1993-1994	8	77.11
13.	1994-1995	31	26.26
14.	1995-1996	47	229.47
15.	1996-1997	15	41.11
16.	1997-1998	15	35.46
17.	1998-1999	9	26.20
18.	1999-2000	28	126.53
19.	2000-2001	28	72.44
20.	2001-2002	26	35.46
21.	2002-2003	34	74.38
22.	2003-2004	74	549.51
23.	2004-2005	111	576.98
24.	2005-2006	133	995.69
25.	2006-2007	122	1218.17
26.	2007-2008	290	2569.36
27.	2008-2009	409	3611.06
28.	2009-2010	653	13682.43
	योग	2070	24030.61

(स्रोत: परिणाम बजट 2013-14)

अनुबंध 5.5

(पैरा सं. 5.6.27 के संदर्भ में)

मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन द्वारा संसद को सूचित किए बिना, निजी एवं स्वैच्छिक संगठनों को ₹10 लाख से ₹ 25 लाख तक अवमुक्त की गई आवृत्ति अनुदान

(₹ लाख में)

क्र.सं.	अनुदानग्राही का नाम	2010-11	2011-12
1.	बैरागी शिक्षा संस्थान, यू.पी.	19.17	18.82
2.	कला विद्या संकुल पॉलिटेक्निक, मुंबई	15.70	--
3.	गुरु अंगद देव सेवा सोसायटी, पंजाब	13.50	--
4.	भारतीय शिल्पकला एवं डिजाईन संस्थान, जयपुर	13.50	--
5.	लक्ष्य फाउंडेशन, छत्तीसगढ़	13.50	--
6.	महाशक्ति सेवा केन्द्र, भोपाल	13.50	--
7.	नारी चेतना संगठन, हरियाणा	13.50	--
8.	विकलांगों के लिए जे.एस.एस. पॉलिटेक्निक, मैसूर	12.64	12.75
9.	भारतीय मानव विकास शिक्षा समिति, नागपुर	--	18.98
10.	भारतीय महिला ग्रामोद्योग संस्थान, इलाहाबाद, यू.पी.	--	18.72
11.	ज्योति शिक्षा संस्थान, नागौर, राजस्थान	--	13.90
12.	सार्वभौमिक मूल्य रचना, नई दिल्ली	--	13.50
13.	आर्क शैक्षिक सोसायटी, जयपुर	--	13.30
14.	पी.एस.जी. प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, कोयम्बटूर	--	12.60
15.	सेंट जॉन डी ब्रिट्स औद्योगिक विद्यालय, माला	--	12.54
16.	फैशन प्रौद्योगिकी विद्यालय, भुवनेश्वर	--	12.00
17.	अखिल भारतीय अल्पसंख्यक कल्याण कार्य समूह, लखनऊ	--	10.04
	योग	115.01	157.15

स्रोत: अ.वि.मां. 2012-13 एवं 2013-14

अनुबंध 5.6

(पैरा सं. 5.6.31 (ख) के संदर्भ में)

एकीकृत वस्त्र पार्कों के लिए योजना के अंतर्गत रद्द परियोजनाओं का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	एस.पी.वी.का नाम	अवमुक्त राशि (अवमुक्त का माह एवं वर्ष)	वसूल की गई राशि (धन वापसी की तिथि)	मार्च 2013 को धन वापसी में विलंब (माह में)	लंबित अनुदान की रशि	धन वापसी की तिथि को बकाया ब्याज	ब्याज भुगतान	31 मार्च 2012 को लंबित ब्याज	कुल लंबित
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (7-8)	10 (6+9)
1.	सोहम एकीकृत वस्त्र पार्क अहमदाबाद प्रा.लि., गुजरात	4.00 (10/2006)	4.00 (6/2007)	7	शून्य	0.23	0.07	0.16	0.16
2.	वाडा हाई-तक. बुनाई पार्क, थाने	4.00 (3/2006)	2.21 (7/2008)	27	1.79	0.50 1.25 (3/06 से 3/2013 पर ₹1.79 करोड़)	शून्य	1.75	3.54
3.	श्री लक्ष्मीनारायण औद्योगिक सहाकरी सेवा समिति, सूरत	4.00 (1/2007)	4.00 (6/2008)	16	शून्य	0.53	शून्य	0.53	0.53
4.	राजस्थान टेक्समार्ट (प्रा.) लि., राजस्थान	3.78 (6/2007)	3.78 (4/2008)	9	शून्य	0.28	शून्य	0.28	0.28
5.	कपिला अवसंरचना प्रा.लि., गुजरात	4.00 (7/2007)	4.00 (9/2008)	13	शून्य	0.43	शून्य	0.43	0.43
6.	तारापुर वस्त्र पार्क लि., मुंबई	4.00 (10/2006)	4.00 (6/2010)	43	शून्य	1.43	0.19	1.24	1.24
7.	हैदराबाद हाई-टेक वस्त्र पार्क, महबूब नगर, आ.प्र.	12.00 (4.00+8.00) (1/2007) (3/2008)	शून्य	74 60	4.00 8.00	2.47 4.00	शून्य	6.47	18.47
8.	श्री धैर्यशील माने वस्त्र पार्क, सहकारी समिति इच्छलकरंजी, महाराष्ट्र	8.67 (2.89+5.78) (2/2007) (2/2008)	शून्य	73 61	2.89 5.78	1.76 2.94	शून्य	4.70	13.37
9.	भारत फैबटेक्स एवं कार्पोरेट पार्क प्रा.लि., पाली, राजस्थान	4.00 (6/2009)	शून्य	45	4.00	1.50	शून्य	1.50	5.50
10.	वैगाई हाई-टेक बुनाई पार्क, तमिलनाडु	2.44 (3/2010)	शून्य	36	2.44	0.73	शून्य	0.73	3.17
	योग	50.89	21.99		28.90	18.05	0.26	17.79	46.69